# OFFICE OF PRINCIPAL

## GOVERNMENT PATALESHWAR COLLEGE MASTURI

## DISTRICT- BILASPUR (C.G) -495551

PHONE NO — 07752—273135 Email id –govtcollegemasturi@gmail.com


### 3.3.2 Number of research papers per teachers in the Journals notified on UGC website during the last five years (10)

| Title of paper | Name of the author/s | Department of the teacher | Name of journal | Year of publication | ISSN number | Link to the recognition in UGC enlistment of the Journal /Digital Object Identifier (doi) number | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Link to website of the Journal | Link to article/paper/abstract of the article | Is it listed in UGC Care list/Scopus/Web of Science/other, mention |
| Youn Aparadh - Balatkar (Dhara -376) | Dr. Durga Bajpai Assistant Professor | Sociology | Kritika | 2016 | 0974-0002 | htt:/kritika-shodh.blogspot.com | NA | No |
| Chhattisgarh ki Samajik Vyavastha evam manavadhikar | | | Education Waves | 2016 | 0975-8771 | www.educationalwaves.com | NA | No |
| Chhattisgarh rajya me Jansankhya Vriddhi- Ek Bhaugolik Vishleshan | Dr. K. R. Matawale Assistant Professor | Geography | Vidyawarta | 2016 | 23199318 | www.vidyawarta.com | NA | No |
| Gramin Mahilaon ke Matdaan Vyavhar par Shiksha ka Prabhav | Dr. Sujata Samuel Assistant Professor | Pol. Science | Kritika | 2016 | 0974-0002 | htt:/kritika-shodh.blogspot.com | NA | No |
| Vaishvikaran ke Daur me Manavadhikar | | | Education Waves | 2016 | 0975-8771 | www.educationalwaves.com | NA | No |
| Vaishvikaran ke Daur me Manavadhikar | Smt KantiAnchal Assistant Professor | Pol. Science | Education Waves | 2016 | 0975-8771 | www.educationalwaves.com | NA | No |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthesis and Ion Condition Mechanism on Hot Pressed sodium ion conducting nano Composite Polymerelectrolyte | Dr. Smt Kiran thakur Assistant Professor | Chemistry | Arabian J. Chemistry | 2016 | volume-9 Issue 3 | https://www.journals.elsevier.com/arabian-journal-of-chemistry | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213002141 | Yes |
| Rashtra Vikas me Naari ki Bhumika | Dr. Durga Bajpai (Assistant Professor) | Sociology | Shodh-Dhara UGC 41386RNI U.P.BIL/2012/43696 | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |
| Sarvekshit Gram Khudubhata ka Janankikiya Adhyayan | Dr. K. R. Matawale Assistant Professor | Geography | Vidyawart | 2018 | 23199318 | www.vidyawarta.com | NA | No |
| Paryavaraniya Rashtravad | | | Shodh-Dhara UGC 41386RNI U.P.BIL/2012/43696 | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |
| Rashtra Vikas me Kaviyon ka Yogdan | Dr.Rajesh Chaturvedi (Professor) | Hindi | Shodh-Dhara UGC 41386RNI U.P.BIL/2012/43696 | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |
| Gramin Mahilaon ke Vikas me Svasahayata Samuhon ke Sanghon ki Bhumika | Dr. Sujata Samuel Assistant Professor | Pol. Science | Shodh-Dhara UGC 41386RNI U.P.BIL/2012/43696 | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |
| Rashtra Vikas me Naari ki Bhumika | | | Shodh-Dhara UGC 41386RNI U.P.BIL/20 | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12/43696 | | | | | |
| Rashtra ki Avdharana aur Bhartiya Chintan | Smt KantiAnchal Assistant Professor | Pol. Science | Shodh-Dhara UGC 41386RNI U.P.BIL/2012/43696 | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |
| Paryavaran Sanrakshan aur Arthik Vikas | Dr. D. K.Singh (Asst. Professor) | Commerce | Shodh-Dhara | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |
| Naari Sashaktikaran | Dr. Kiran Thakur (Asst. Professor) | Chemistry | Shodh-Dhara UGC 41386RNI U.P.BIL/2012/43696 | 2018 | 0975-3664 | htt:/shodhdhara.com | https://shodhdhara.com/wp-content/uploads/2018/11/491-2.pdf | YES |
| Solid Polymer Electrolytes: Temperature Dependent Ionic Conductivity and Solid State Battery Fabrication | | | J. Chemistry and Chemical Sciences | 2019 | 2278-6783 | http://www.chemistry-journal.org/ | http://chemistry-journal.org/dnload/Kiran-Thakur-Angesh-Chandra-Archana-Chandra-and-S-S-Thakur-/CHEMISTRY-JOURNAL-CHJV09I05P0170.pdf | YES |
| Current perspective on Scientific Aspects of Yoga and Meditation | | | Social Science & Humanities | 2020 | 2348-3318 | WWW.recentjournals.In | NA | No |
| Yogabhyas ka Vidyarthiyon ke Uplabdhi Abhipreran par Padane | Dr. D.R. Sahu Professor | Maths | Social Science & Humanities | 2020 | 2348-3318 | WWW.recentjournals.In | NA | No |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wale Prabhav | | | | | | | | |
| Yogabhyas ka Vidyarthiyon ke Uplabdhi Abhipreran par Padane Wale Prabhav | Dr. D.K.Singh (Asst. Professor) | Commerce | Social Science & Humanities | 2020 | 2348-3318 | WWW.recentjournals.In | NA | No |
| Adultary Dhara 497 par Supreme Court ke Faisale ka Samajik Prabhav | Dr. Durga Bajpai Assistant Professor | Sociology | Vidyawarta | 2020 | 23199318 | www.vidyawarta.com | NA | No |
| silver ion conducting solid polymer electrolytes: Synthesis and ion transport studies | Dr. Kiran Thakur (Assistant Professor) | Chemistry | Indian Journal of pure and Applied Physics | 2020 | volume 58 | http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/63 | http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/55197 | YES |
| Mob Lynching | Dr. Durga Bajpai (Assistant Professor) | Sociology | Printing Area | 2021 | 2394-5303 | www.vidyawarta.com | NA | NO |

PRINCIPAL
Govt. Pataleshwar College
Mastur, Distt.-Bilaspur (C.G.)

RNI : UPHIN/2008/30136 0974-0002

वर्ष : 9 संयुक्तांक : 17-18

# वृतिका

जनवरी-दिसम्बर 2016

साहित्य, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, मानविकी
एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक
अन्तर्राष्ट्रीय रेफ्रीड शोध पत्रिका

[illegible] अन्तर्राष्ट्रीय रेफ्रीड रिसर्च जर्नल आफ हाफ इयरली ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज
ISSN : 0974-0002 वाल्यूम : 17–18, वर्ष : 09, जनवरी–दिसम्बर 2016

# कृतिका परिवार

[illegible] सम्पादकीय सलाहकार समिति

- डॉ. [illegible] भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, मॉरीशस
- डॉ. [illegible] 64 लागसवर्ड, ड्राइव, स्कारबोरो [illegible] एम.आई.बी. 3ए 3
- डॉ. [illegible] सिंह [illegible] पो. बॉ. 119, हानउड 2680, एन.एस. [illegible] आस्ट्रेलिया
- डॉ. [illegible] हाजल वेग 15ए 53340 मेकन्हाईम, [illegible]
- डॉ. दिव्या माथुर, नेहरू सेन्टर, 8 साउथ आउडली स्ट्रीट, लंदन– डब्लु 1 के 1 एच.एफ.

मुख्य परामर्शदाता एवं मानद संरक्षक

- डॉ. [illegible] यादव – प्रवक्ता – शिक्षाशास्त्र, महाराज सिंह स्मृति महाविद्यालय, इटैली, औरैया, उ.प्र.
- डॉ. आनन्द कुमार खरे, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, डी.वी. कालेज, उरई (जालौन) उ.प्र.
- डॉ. रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, रामस्वरूप ग्रामोद्योग (पी.जी.) महाविद्यालय, पुखरायां, कानपुर देहात (उ.प्र.)
- आदित्य कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, डी.वी. कालेज, उरई (जालौन) उ.प्र.

विशेष परामर्शदात्री समिति

- डॉ. हेमा देवरानी, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, बाबू शो. कला महा. अलवर, राजस्थान
- डॉ. ज्योति सिन्हा, प्रवक्ता, संगीत विभाग, महिला पी.जी. कॉलेज, जौनपुर (उ.प्र.)
- डॉ. सविता मसीह, सहा. प्रध्यापक–हिन्दी विभाग, शा. स्ना. महाविद्यालय, सिवनी (म.प्र.)

सम्पादकीय परामर्शदात्री समिति

- डॉ. शशि त्रिपाठी, प्रो.–राजनीति विज्ञान, शास. ठा. रणमत सिंह स्वशासी महा. रीवा (म.प्र.)
- डॉ. बिनोद कुमार पाल, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार।
- डॉ. शारदा दुबे, विभागाध्यक्ष–समाजशास्त्र, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या, महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
- डॉ. अलका द्विवेदी, वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, जुहारी देवी गर्ल्स कालेज, कानपुर
- डॉ. अंजु दुआ जैमिनी, 839ए सेक्टर–21 सी. पार्ट–2, फरीदाबाद (हरियाणा)
- डॉ. [illegible] पाण्डेय, प्रवक्ता हिन्दी, जवाहर लाल नेहरू कालेज, [illegible] (उ.प्र.)
- डॉ. [illegible], रीडर, इतिहास विभाग, राष्ट्र संत तु0म0 [illegible] विश्वविद्यालय, नागपुर (म0)

- डॉ. आनन्द प्रकाश सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखंड)
- डॉ. आशा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डी. बी. एस. कालेज, कानपुर
- डॉ. अरविन्द शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला पी.जी. कालेज, बिन्दकी, फतेहपुर (उ.प्र.)
- डॉ. अशोक एम. पवार, हिंदी विभाग, गजमल तुलशीराम पाटील महाविद्यालय, नंदुरबार (महा.)

मुख्य सम्पादक मण्डल

- डॉ. सुरेश एफ. कानडे, प्लाट नं. 48, साई बंगला, प्रोफेसर कॉलोनी, विजडम हाईस्कूल के पीछे, रामेश्वर नगर, गंगापुर रोड, नासिक–422013 (महाराष्ट्र)

विशेष सम्पादन सहयोग

- डॉ. अजय सिंह, रीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, हंडिया कालेज, हंडिया, इलाहाबाद
  मो. : 09415638535 – ई–मेल : drajaysingh@gmail.com
- डॉ. सियाराम, वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, तिलक महाविद्यालय, औरैया
  मो. : 09219828316–ई–मेल : siyaramhindi@rediffmail.com
- डॉ. रणविजय सिंह, प्रवक्ता–राजनीति विज्ञान विभाग, एल.डी. आर.एस.वाई. महाविद्यालय, उसरगाँव, कालपी (जालौन, उ.प्र.)
  मो. : 09919123763 – ई–मेल : rajuranvijay@gmail.com

प्रधान सम्पादक

- मनोज कुमार यादव
  पूर्व सदस्य
  उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद
  सम्पर्क : 09628824017
  Email : aradhanabooks@rediffmail.com

सम्पादक

- डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव
  एसोसिएट प्रोफेसर – हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग
  उ.प्र. विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय
  लखनऊ–226 017 (उ.प्र.)
  सम्पर्क : 09415924888
  Email : dr.virendrayadav@gmail.com
  Email : virendra_kritika@rediffmail.com

प्रबन्धन

- आराधना ब्रदर्स
  (प्रकाशक एवं वितरक)
  124 / 152– सी ब्लाक, गोविन्दनगर, कानपुर–20800[illegible]
  दूरभाष –09935007102, 0512–2651490
  Email : aradhanabooks[illegible]

...008/30136 ISSN : 0974-0002

इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ हाफ इयरली ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज

ISSN : 0974-0002 वाल्यूम : 17–18, वर्ष : 09, जनवरी–दिसम्बर 2016

देश–देशान्तर मित्रों का शोधपरक अनुष्ठान

# कृतिका

(साहित्य, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, मानविकी एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)

वर्ष : 09 अंक : 17–18 जनवरी–दिसम्बर 2016

**प्रधान सम्पादक**

**मनोज कुमार यादव**

पूर्व सदस्य

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद (उ. प्र.)

**सम्पादक**

**डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव**

एसोसिएट प्रोफेसर – हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ, 226 017 (उ. प्र.)

सम्पर्क – 07607782917, 09415924888

Email : dr.virendrayadav@gmail.com • Email : virendra_kritika@rediffmail.com

Email : kritika_orai@rediffmail.com • http://kritika-shodh.blogspot.com

**सह–सम्पादक**

**नीलम यादव**

303 तीसरा तल, टाईप फाइव, विश्वविद्यालय परिसर

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226 017

**प्रबन्धन**

**आराधना ब्रदर्स**

(प्रकाशक एवं वितरक)

124 / 152– सी ब्लाक, गोविन्दनगर, कानपुर–208 006, उ.प्र.

दूरभाष –09935007102, 05122651490

Email : aradhanabooks@rediffmail.com

ISSN : 09..
... जर्नल आफ ... ह्यूमैनिटीज एण्ड सोशल ...
... वाल्यूम . 17-18 ... 09 जनवरी–दिसम्बर 2016

देश–देशान्तर मित्रों का शोधपरक अनुष्ठान

# कृतिका

(... आयुर्वेद, मानविकी एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)

... 17-18 ... जनवरी–दि...

## अनुक्रमणिका


| | लेखक | पृ.सं. |
|---|---|---|
| सुलगते सवाल | | 7 |
| ... एवं चुनौतियाँ | मनोज कुमार यादव | |
| ... | डॉ. अंजना वर्मा | |
| ... और ... | डॉ. अनीता यादव | |
| ... बहुम ... की विवेचना | डॉ. हर्षकुमार | |
| ... | डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव | |
| ... धारा 37 | डॉ. दुर्गा, डॉ. शारदा दुबे | 3 |
| ... मानवाधिकार | डॉ. प्रतिभा, डॉ. ... | |
| ... | डॉ. ... | 40 |

UPHIN/2008/30136 ISSN : 0974-0002

# यौन अपराध–बलात्कार (धारा 376)

डॉ. दुर्गा बाजपेयी
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. शारदा दुबे
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र
राजीव गांधी शा. कला एवं वाणिज्य
महा. लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.)

बलात्कार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो केवल एक स्त्री को ही नहीं बल्कि उसके समूचे अस्तित्व, उसकी अस्मिता, समग्रतः उसके समस्त जीवन को ही छिन्न– भिन्न कर देती है। कानून की नजर में बलात्कार एक जघन्य अपराध है। महिलायें आये दिन इसका शिकार हो रही हैं सामाजिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए इस बात को दबा देती है। इसकी खास वजह पुलिस एवं कोर्ट–कचहरी है। कुछ लोग पुलिस थानों में सूचना भी नहीं देते हैं।

"किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध यदि कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है उसे बलात्कार कहते हैं।"

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार कब माना जाता है –

1. 15 वर्ष से कम उम्र न होने पर पत्नी के साथ किया गया शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं कहलाता ।
2. अगर कोई पुरुष महिला की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है सहमति किसी तरह से डरा–धमका कर ली गई हो जैसे उसको मारने, घायल करने या उसके करीबी लोगों को मारने या घायल करने की धमकी देकर ली गई है।
3. यदि सहमति झूठे प्रलोभन, झूठे वादे तथा धोखेबाजी (जैसे की शादी का वादा , जमीन जायदाद का वादा आदि) से ली जाती है तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जायेगा।
4. नकली पति बनकर उसकी सहमति ली गई हो।
5. उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो।
6. नशीले पदार्थ के सेवन के कारण वह होश में न हो तब उसकी सहमति ली गई हो।
7. 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है चाहे लड़की की सहमति हो तब भी।

## बलात्कार के लिए सजा –

सात साल का कारावास जो बढ़कर 10 साल का भी हो सकता है। कुछ मामलों में इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है।

जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया हो वह उसकी पत्नी हो या 12 साल से कम उम्र की न हो तब उस व्यक्ति को 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते है।

अगर न्यायालय 7 साल से कम की सजा देता है तो उसे लिखित रूप में उसका उचित कारण देना होगा।

## विशेष परिस्थितियाँ –

निम्न व्यक्तियों द्वारा किये गए बलात्कार की सजा कम से कम 10 साल का सश्रम करावास, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी निम्न अवस्थाओं में बलात्कार करता है –

1. उस थाने के अंदर जिसका वह क्षेत्रधिकारी हो।
2. उन थानों के अंदर जो उसके अधिकार में हो।
3. वह महिला जो उसकी हिरासत में या उसके अधीनस्थ अधिकारी की हिरासत में हो।
4. लोक सेवक जो अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके उसकी हिरासत में हो या उसके अधीनस्थ की हिरासत में होने वाली महिला के साथ बलात्कार करता है।
5. अस्पताल के प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोंग करते हुए उनकी हिरासत में जो महिलायें हो उनके साथ बलात्कार करता हो।
6. गर्भवती महिला के साथ जो बलात्कार करता हो।
7. जो सामूहिक बलात्कार करता हो।

निम्नलिखित परिस्थितियों में शारीरिक संबंध स्थापित करना अपराध माना जाता है :–

जो व्यक्ति कानूनी तौर पर अलग रह रहा हो परन्तु पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करता हो उसको 2 साल का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है।

लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहो एवं कारावास, अस्पताल का प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा उनके संरक्षण में जो महिलायें हों, उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता हो ऐसे सभी अपराधों में 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।

**बलात्कार की शिकार महिला द्वारा रखी जाने वाली सावधानी –**

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायें। बलात्कार होने के 24 घंटे के भीतर मेडिकल परीक्षण करवा लेना चाहिये। घटना के समय पहने हुए कपड़े धोये नहीं। डॉक्टरी जाँच के पहले नहायें नहीं, इससे सबूत मिट सकता है। यदि बलात्कारी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है तो उसकी भी मेडिकल जांच की मांग करनी चाहिये, ताकि सबूत मिल सके। बलात्कार स्थल से प्राप्त कोई भी सामान सिगरेट का टुकड़ा, चश्मा, रूमाल, घड़ी आदि पर अपना हाथ न लगायें उसे कपड़े से उठाकर पुलिस को दे दें। घटनास्थल की स्थिति ज्यों की त्यों रहने दें जब तक कि पुलिस की जांच न हो जाये क्योंकि वहां से वीर्य, खून के धब्बे बलात्कारी के बाल आदि पाये जाने की संभावना रहती है। यदि सभव हो तो बलात्कारी का हुलिया लिख लें। वह देखने में कैसा था, आवाज कैसी थी, कैसे कपड़े पहने था, उसकी कोई खास आदत या वाक्य आदि।

**प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय ध्यान देने योग्य बातें –**

1. घटना की तारीख।
2. घटना का समय
3. घटना का स्थान अवश्य लिखायें।
4. रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी एक कॉपी अवश्य लें जो थाने द्वारा मुफ्त में दी जाती है।
5. पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह पीड़ित महिला की डाक्टरी जाँच पंजीकृत डॉक्टर से या नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में करवाकर डॉक्टरी जाँच की कॉपी अवश्य लें।
6. बलात्कार के समय जो कपड़े पीड़ित महिला ने पहने हैं। डॉक्टरी जाँच के बाद पुलिस आपके सामने उन कपड़ों को सील बंद करेगी, जिसकी रसीद अवश्य लेलें।

वास्तव में जिस स्त्री का बलात्कार हुआ है वह इतनी घबराई हुई होती है कि वह सोच भी नहीं पाती कि

क्या करना है। फिर भी अपने को संभालकर पुलिस को तुरंत सूचना दें एक–दो दिन का भी समय लगाने पर घटना के निशान मिट जायेंगे और अपराध सिद्ध करना कठिन होगा । इसलिए दोस्त परिवार वालों को घटना की खबर दें।

डॉक्टर स्त्री की जाँच करेगें। उसे लगने वाले खरोच, उसकी मानसिक स्थिति की जाँच, 16 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता की हड्डी की विशेष परीक्षा करके उसके उम्र का अंदाजा भी लगा सकते है। योनि व वीर्य की जाँच कर स्त्री द्वारा लगाये गये आरोपों की सत्यता की जांच करेगें। यदि आरोपी तुरंत पकड़ा जाता है तो उसके कपड़ों और वीर्य की जांच बाल, खून और चमड़ी की जाँच से पता चल सकता है कि यह वहीं आदमी है या नहीं। झगड़ें के निशान खरोच आदि भी हो सकते हैं। इसलिए यदि स्त्री तुरंत रिपोर्ट करती है तो अपराधी इन डॉक्टरी सबूतों के साथ पकड़ लिया जा सकता है।

यदि वह नहा लेता है या अपने कपड़े धो लेता है या बदल लेता है तो उसके शरीर पर लगे अपराध के निशान सबूतों को वह मिटा देगा इसलिए कार्यवाही करने में देर नहीं करनी चाहिये।

**पुलिस की भूमिका –**

पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी या दरोगा F.I.R. रिकार्ड बुक में लिखेगा। स्त्री को पढ़कर बतायेगा कि उसने क्या लिखा है। स्त्री को इस पर हस्ताक्षर या अूगंठा लगाने कहेगा, स्त्री को F.I.R. की एक प्रति देगा। अगर पुलिस स्टेशन का अधिकारी या दरोगा स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इंकार करता है तो स्त्री को सारी घटना और दरोगा की मनाही के बारे में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर भेजना चाहिये। पत्र मिलने पर या तो वह स्वयं सारी जाँच करेंगे या किसी दूसरे अधिकारी या पुलिस कर्मी को जाँच के लिए कहेंगे। पुलिस अगर यह समझे कि रिपोर्ट लिखने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है और मना कर दें तो स्त्री को चाहिये कि वह स्थानीय न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) को जाकर अपनी रिपोर्ट दे। अगर न्यायाधीश जरूरी समझे तो स्वयं मामले की छानबीन करेगें या पुलिस को उचित कार्यवाही करने के लिए कहेगें। मजिस्ट्रेट स्त्री के शरीर को न छू सकते हैं और न ही उनकी जाँच कर सकते हैं वह स्त्री और घटना गवाहों से सवाल पूछकर पूरी घटना की जानकारी लिख लेंगे, तत्पश्चात् वह स्वयं हस्ताक्षर करेगें और स्त्री और बाकी गवाहों से भी हस्ताक्षर करायेगें। यदि अपराध करने वाला पुरूश कॉफी ताकतवर और प्रभावशाली हो जिसके कारण पुलिस और स्थानीय मजिस्ट्रेट सभी स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दे तो वह अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस महानिरीक्षक स्थानीय विधायक, कलेक्टर को अपनी बात बता सकती है राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिख सकती है या समाचार पत्र को भी पत्र लिख सकती है। टी. वी., मीडिया में प्रसारित होने के बाद पुलिस जनमत के दबाव में F.I.R. दर्ज करने के लिए बाध्य हो जाती है। पुलिस स्त्री को पुलिस स्टेशन या घटना स्थल जरूरत पड़ने पर बुला सकती है परन्तु स्त्री आने से मना कर दे तो पुलिस को उसके घर जाना पड़ेगा, यदि वह स्त्री को थाना आने के लिए बाध्य करता है पुलिस के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है, उसे दंडित किया जा सकता है।

कोर्ट में स्त्री की ओर से सरकारी वकील केस लडेगा, स्त्री चाहे तो अपनी ओर से सरकारी वकील की मदद के लिए एक अलग से वकील रख सकती है। बलात्कार के मामले की सुनवाई एक बंद कमरे में होती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को वहाँ उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती।

बलात्कार के कारण पीड़िता को मानसिक शारीरिक और सामाजिक सभी प्रकार की चोट सहनी पड़ती है। हद तो तब हो जाती है जब न्यायालय में उसे शर्मसार होना पड़ता है। बलात्कार जितना जघन्य कुकृत्य होता है उतनी ही लम्बी इससे संबंधित न्याय प्रक्रिया होती थी निर्भया कांड (दिल्ली) के पश्चात् इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने की व्यवस्था की गई है ताकि न्यायालय की लंबी और जटिल प्रक्रिया से बचाकर पीड़िता को सही अर्थों में न्याय दिलाया जा सके।

एक महिला जिसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य हिंसा हो जाये, वह जिन्दा लाश के सदृश्य हो जाती है। उसकी गलती न होने पर भी समाज की नजरों में वही अपराधी होती है। शील कौमार्य या यौन शुचिता जैसी सामाजिक मान्यतायें बलात्कार की शिकार महिला को मनोदैहिक रूप से तोड़ कर रख देती है।

स्त्री का बलात्कार जैसे सामाजिक अपराध में कोई भी पुरुष अपनी घृणित, कुत्सित,गन्दी मानसिकता से अपने अहंकार में डूबकर किसी भी स्त्री का बलात्कार करता है, स्त्री के प्रति पुरुषों की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि वह यह नही देखता कि यह स्त्री किस उम्र की है। यह एक बालिका है या प्रौढ़? वह सिर्फ स्त्री देह को पाना चाहता है उसे स्त्री के रंग–रूप, जाति, धर्म, आयु, शारीरिक सौष्ठव किसी बात की परवाह नहीं होती वह कामांध होता है। खेत में, सड़क में, घर में सभी जगह स्त्री की अस्मत लूटी जा रही है।

वर्तमान में बलात्कार पिता, सौतेले पिता, भाई, जेठ, देवर, ससुर, चाचा, पड़ोसी, मकान मालिक, नियोक्ता, अन्य रिश्तेदार आदि के द्वारा बड़े परिमाण पर किये जा रहे हैं अपरिचित के द्वारा या सामूहिक बलात्कार की घटना परिस्थितिजन्य है। 7 माह की बच्ची से लेकर 70 वर्षीया वृद्धा तक की इस घटना की शिकार होने की समान सम्भावना है। स्त्रियाँ घर में, पार्क में, बस में, रेल में, कार में, सुनसान जगह पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है।

दिल्ली में हुए निर्भया दुष्कर्म मामले में शामिल किशोर ने नृशंसता की हद पार करते हुए उसके साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि छड़ से उसकी आंते निकालने जैसी क्रूरता भी दिखायी थी। तब यह सवाल उठा था कि इस किशोर को आम कानून के तहत मुकदमा चलाकर सख्त सजा सुनायी जाए या नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाए। हालाकि बहस के दौरान सभी के जेहन में यही बात थी कि निर्भया कांड में नाबालिग अपराधी का व्यवहार भी वयस्क अपराधियों जितना ही क्रूर और अमानवीय था और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। सवाल था कि क्या उस पर बाल कानून के हिसाब से मुकदमा चलाया जाय और सिर्फ उम्र कम होने के एक मात्र आधार पर उसके साथ नरमी बरती जाए। हाल ही में लोकसभा में पारित नया बाल न्याय कानून जिसके तहत गंभीर अपराध में 16 से 18 वर्ष का नाबालिग शामिल होने पर बाल न्याय बोर्ड तय करेगा कि उस पर वयस्क अपराधियों पर लागू होने वाली धारा के तहत् मुकदमा चलाया जाए या नहीं। यह नया कानून नाबालिग अपराधियों के खिलाफ सख्ती ला सकेगा या कानूनी पेचीदगियों में दम तोड़ देगा। यह कानून सामाजिक बदलाव के कारण सम्भव हो सका है। जनता की ओर से पुरजोर आवाज उठी थी, युवा वर्ग सड़क पर था, आक्रोशित था और इसे सुना गया और यह बदलाव आया।

स्त्रियां बस में, रेल में, पार्क में, घर में, कार्यालय में, सड़क पर कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह उनके साथ अपराध की संभावना है। इस जघन्य कृत्य में प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए पुलिस और न्यायालय ने भी बीच का एक रास्ता निकाल लिया था वह है समझौता। जिस बच्ची की किशोरी या स्त्री की इज्जत पर हमला कर तार–तार किया हो जो जिन्दा लाश सदृश्य हो गयी हो जिसे घर–बाहर सभी जगह लोगों की भद्दी निगाहों का सामना करना पड़ रहा हो जिसके जीवित रहने का एक मात्र लक्ष्य अपराधी को सजा दिलाना हो उसे बलपूर्वक "समझौता" का रास्ता दिखाया जाता है।

परंतु सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में साफ कहा है कि इसमें किसी भी तरह से अपराधी को दी गई सजा से समझौता नहीं हो सकता।

मध्यप्रदेश बनाम मदनलाल के मामले में निर्णय देते हुए न्यायाधीश ने म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुना सत्र न्यायालय द्वारा धारा 376 (दुष्कर्म) के अंतर्गत दी गई सजा को धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत् बदल दिया था। इस निर्णय के विरूद्ध पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मामला इस प्रकार है आरोपी के विरूद्ध सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला चल रहा था, 2008 में दुष्कर्म किया गया। आरोपी को कठोर कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने धारा 354 के तहत आरोपी को

बदल दिया और पूर्व में सजा भुगत लेने के एवज ने दोषी को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने निचली अदालत के निर्णय का समर्थन करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया। न्यायाधीश ने इस निर्णय में टिप्पणी की कई बार अदालते अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप कर इस तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर निर्णय लिख देते है कि विशेषकर आपराधिक न्याय व्यवस्था की आत्मा ही मर जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा सजा रद्द करने का विश्लेषण करते हुए न्यायाधीश ने लिखा , उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने निर्णय में मात्र इतना लिखकर कि अभियोजन पक्ष ने इतने गवाह प्रस्तुत किए व दस्तावेज दाखिल किये। ऐसा करना अपील न्यायालय के लिए कतई उचित नही है और मामले को उच्च न्यायालय वापस भेजा। यूं तो न्यायाधीश इतने पर ही सुनवाई समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने निर्णय में आगे लिखा कि ऐसा लगता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरोपी और पीड़िता के माता–पिता के बीच हुए समझौते से अत्यधिक प्रभावित हो गए। समझौते की दरख्वास्त निचली अदालत के सामने भी लगाई गई थी परंतु निचली अदालत ने दरख्वास्त खरिज कर दी थी।

दुष्कर्म एक ऐसा अपराध है जिसमें समझौता हो ही नहीं सकता और यह अपराध समाज के विरूद्ध है तथा यह ऐसा विषय नहीं है जिसे पार्टियों के समझौते अथवा निपटाने के लिए छोड़ दिया जाय। न्याय के हित में तथा पीड़ित को अनावश्यक दबाव व उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक है कि पार्टियों के बीच समझौते पर कतई ध्यान नहीं दिया जाय। समझौते के कारण कम सजा नहीं दी जा सकती। यह महिला शरीर के खिलाफ अपराध है जिसे वे मंदिर मानते हैं। यह अपराध जिंदगी का दम घोटती है और समाज में प्रतिष्ठा खराब कर देती है। सबसे अधिक महत्व महिला सम्मान का है। कई बार अपराधी द्वारा पीड़ित से विवाह कर सांत्वना देने का प्रयास होता है जबकि वास्तविकता यह है कि पीड़ित पर ऐसा कर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। माया त्यागी (नागपत) , भंवरीबाई (राजस्थान) , झांसो बाई (लखीरपुर) पुलिस द्वारा बलात्कार की घटनाओं, नेताओं के द्वारा बलात्कार की घटनायें विभिन्न सेलिब्रिटी द्वारा घरेलु नौकरानियों का यौन शोषण, महिला मरीजों के साथ दिल्ली का सफदरगंज अस्पताल बाड़ा हिन्दु राव, अस्पताल, बिलासपुर का अपोलो अस्पताल, कानपुर के हैलट अस्पताल में अकाल मृत्यु की शिकार महिलाओं के शव के साथ बलात्कार, मुम्बई में नर्स अरूणा शामदार की घटना जिसमें राष्ट्रपति से अस्पताल के कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जो पूरी नहीं हुई और इस घटना में अस्पताल के सफाई कर्मी द्वारा लोहे के सांकल से नर्स का गला कसकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। जिसमें 42 वर्ष कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हुई। दिल्ली का निर्भया कांड, बस में, ट्रेन में, घर में पार्क में, सार्वजनिक स्थान में कार्यस्थल पर और सबसे अधिक अभी स्कूलों में बच्चियाँ असुरक्षित हैं। स्त्रियों को केवल "देह" मानने की यह जो प्रवृत्ति वर्तमान में बढ़ी है , उसके कारण व्याभिचार की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। रिश्ते–नाते तार–तार हो गए हैं। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रतिदिन 93 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटित होती है (2014), दिल्ली भारत में सबसे अधिक बलात्कार वाला शहर है (1441), मुंबई (392), जयपुर (192), मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों में सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है (4335), राजस्थान (3285), महाराष्ट्र (3063), यह तो थानों में दर्ज मामलों के रिकार्ड है। भारत जैसे मान्यताओं और मर्यादा वाले देश में सामाजिक प्रताड़ना , निश्कासन व उपेक्षा के भय से बलात्कार के प्रकरणों को दबाया जाता है।

महिला पार्षदों के साथ पुरूष पार्षदों द्वारा सामूहिक दृष्कृत्य (नारनौल) बेटी की आबरू बचाने के बदले माँ को वहशियों के सुपुर्द करना (गाजियाबाद) हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी दबवाली में सबजज के अर्दली नथे सिंह की पत्नी शीला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार और उसके बाद जीप से गिराकर उसकी हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश (17 जुलाई 1980 ) अधिकारी जनप्रतिनिधि, मंत्री, पूंजीपति आदि मुखरता के साथ इस प्रकार के यौनाचार में लिप्त होने के बाद भी समाज में शान से घूमते है। पिता और भाई तथा निकट के संबंधियों द्वारा दुष्कर्म, धर्म की आड़ में तथा कथित आश्रमों में यौनाचार, अंजना मिश्रा बलात्कार प्रकरण (उड़ीसा)।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण में 40% की वृद्धि हुई है।

अक्सर लोग इस प्रकार की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि महिलाएँ अर्धनग्न उत्तेजक पोशाकों और अपने हावभाव से स्वयं बलात्कारी को निमंत्रण देती है, जबकि बच्चियाँ और विकलांग (अंधी, गूंगी), विक्षिप्त महिलायें, नगरों के फुटपाथ पर सोने वाली गंदी भिखारिनें भी इस दुष्कृत्य की शिकार हो रही हैं, इसलिए यह धारणाा भ्रामक है।

अधिकतर इन घटनाओं के पीछे पारिवारिक, व्यक्तिगत रंजिश, वर्ग विद्वेष, असफल प्रेम या प्रेम में धोखे के कारण बदले की भावना, महिलाओं का असुरक्षित हाल में रहना और अकेले आने जाने की स्थितियाँ है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के अभाव में सुबह घुप अंधेरे या सांझ ढ़ले घरों से निकलकर खाली पड़ी भूमि या खेत में बैठने वाली महिला बलात्कार की शिकार होती हैं। रायपुर (छत्तीसगढ़) में अटारी गांव में पति के साथ जाती महिला के साथ पति के सामने बलात्कार, सूने स्थान पर प्रेमी – प्रेमिका के जाने पर प्रेमी के सामने प्रेमिका से बलात्कार, भाई–बहन के साथ जाने पर भाई के सामने बहन से बलात्कार ये ऐसी घटनायें हैं, जिन्होंने पुरुषों के साथ जाने पर महिलाओं के सुरक्षित होने पर सवालिया निशान लगा दिया है।

मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को सद्रैव किसी न किसी के संरक्षण मे रहना है। वह अकेले असुरक्षित है वर्तमान पाश्चात्य चकाचौंध से प्रभावित इस समाज में वह असत्य साबित हो रहा है ।

पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने ।
पुत्राश्च स्थाविरे भावेन स्त्री स्वातंत्रवमर्हति।।

कभी सुनसान जगहों पर ही होने वाला बलात्कार आज महानगरों में सड़कों पर चलती गाड़ियों तक में होने लगा है।

समाज, कानून एवं जनजागरूकता सबके मिले जुले प्रयासों से एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जिससे गांधी जी का यह स्वप्न पूरा हो सके कि ''स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिये कि कोई महिला कश्मीर से कन्या कुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो।''

## संदर्भ ग्रंथ


1. शर्मा प्रज्ञा 2001 (भारतीय समाज में नारी) नारी अपराध : एक विवेचन, जयपुर, पोइन्टर पब्लिशर्स
2. कुमार राज, 2007 नारी शोषण, समस्याएँ एवं समाधान नई दिल्ली, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस।
3. डॉ. सियाराम 2013 : स्त्री विमर्श के विविध संदर्भ, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. शर्मा रमा एवं एम.के.मिश्रा, नारी शोषण आइने और आयाम, नई दिल्ली अर्जुन, पब्लिशिंग हाऊस।
5. नियाय मितान (न्याय मित्र) छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रकाशित।


❑❑

II(III&IV)
December 2016

ISSN 0975-8771
RNI : CHHBIL/2010/36213

Combined Issue

# Educational Waves

Chief Editor-
Dr. Chandrani Tiwari

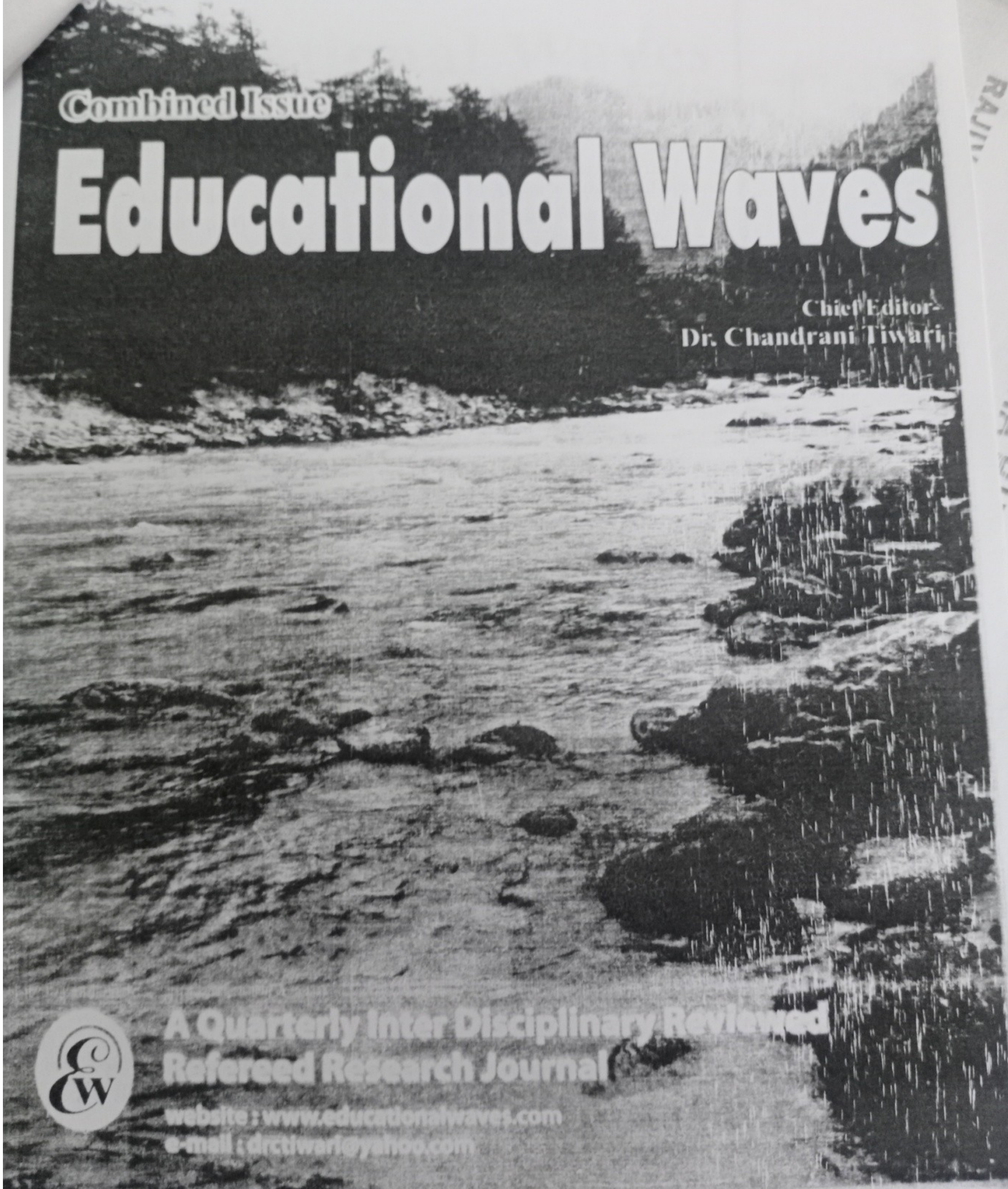

A Quarterly Inter Disciplinary Reviewed Refereed Research Journal

website : www.educationalwaves.com
e-mail : drctiwari@yahoo.com

# Educational Waves

## Multidisciplinary Quarterly Research Journal


**Editorial Board**

**Chief Editor :**
**Dr. Chandrani Tiwari**

**Advisor :**
**Dr. V. K. Patel**
H.O.D. Geog. D.P.Vipra P.G. College Bilaspur (C.G.)

**Associate Editor :**
**Indrani Sinha** Kolkata (W.B.)
**Dr. A. Rajshekhar** Raipur (C.G.)

**Joint Editors :**
**Dr.V.K. Tripathi- B.H.U. (Varanasi)**
**Dr. Manish Tiwari**
**Dr. R.K. Tiwari**

**Co-ordinators :**
**V. K. Tiwari** H.O.D. Geog. C.M.D.P.G.College Bilaspur (C.G.)
**L. Verma** H.O.D.Geog.- Govt. Yoganandem P.G. College Raipur (C.G.)
**Dr. Sarla Sharma** H.O.D.Geog.- Pt. R.S.U. Raipur (C.G.)
**P.K. Nayak** Dr. C.V. Raman University Kota, Bilaspur (C.G.)
**Kiran Gajpal** Joint Director, Higher Education Raipur (C.G.)
**Dr. M.R. Agar** Govt. Agrasen College Bilha (C.G.)
**Dr. Uma Gole** (Geography)- Pt. R.S.U. Raipur (C.G.)
**M.L. Jaishwal** H.O.D. Botany D.P. Vipra College Bilaspur (C.G.)
**amilini Shrivastava** H.O.D. Geog. Govt. Mahakoushal P.G. College Jabalpur (M.P.)
**Dr. M.S. Tamboli** (D.P. Vipra College Bilaspur)
**Dr. Devendra Shukla** (Shakti College C.G.)

**Office Assistance :**
Siddharth Tiwari



**Address of the editor's office / Publication**
Ashok Nagar, Akash Vihar Colony, Sarkanda,
Bilaspur Chhattisgarh Pin-495 006
Phone : 07752-655897,
Mobile No. 9907150634
E-mail - dretiwari@yahoo.com
Website : www.educationalwaves.com


**Copy Right - Dr. Ajay Tiwari**


All the ideas published in the articles are completely the views and opinions of the authors. They are solely responsible for any disputes related to their articles. Editors/Publisher will not take any responsibility regarding this matter.

Selection of the research papers depends on the decisions of the editorial board and the advices of the subject experts in the related subjects.

**Note :-**

* Original research papers are invited for publication from the geographers, research scholars of varied disciplines from India and abroad.
* In case of any legal implication and disputes related to educational waves, will come under Bilaspur judicial jurisdiction only.

# Educational Waves

**Multidisciplinary Quarterly Research Journal**

RNI CHHBIL/2010/36213 | Vol-VII ISSUE-III&IV July to Dec. 2016 | ISSN 0975-8771

# CONTENTS


| Subject | Page No. |
|---|---|
| ✧ भारतीय प्रजातंत्र एवं मानवाधिकार<br>* शैलेन्द्र कुमार तिवारी ** डॉ. शरद देवांगन | 43-44 |
| ✧ भारत में बाल श्रमिकों का शोषण एवं दुर्व्यवहार<br>* अभिषेक अग्रवाल | 45-48 , |
| ✧ मानवाधिकार और सूचना का अधिकार<br>* डॉ. मनोष तिवारी | 49-50 |
| ✧ छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था एवं मानव अधिकार<br>* डॉ. श्रीमती शारदा दुबे ** डॉ. दुर्गा वाजपेयी | 51-54 |
| ✧ महिला प्रताड़ना एवं मानवाधिकार<br>* मोनिका शर्मा | 55-58 |
| ✧ मानव अधिकार एवं लोकतंत्र<br>* डॉ. दीपा कुशवाह ** सुषमा तिवारी | 59-60 |
| ✧ भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार<br>* प्रो. किरण दुबे | 61-62 |
| ✧ भारतीय प्रजातंत्र एवं मानव अधिकार<br>* डॉ. (श्रीमती) नाज बेन्जामिन ** कु. प्रभा शर्मा | 63-65 |
| ✧ मानवाधिकार संरक्षण एवं कठिन लक्ष्य<br>* डॉ. श्रीमती आभा तिवारी | 66-67 |
| ✧ भारतीय प्रजातंत्र और मानव अधिकार<br>* डॉ. (श्रीमती) सुनीता यादव | 68-69 |
| ✧ विक्रमोर्वशीयम् में जीव विज्ञान<br>* डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ** श्रीमती रागनी कश्यप | 70-74 |
| ✧ जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों में छन्द योजना<br>* डॉ. अंजनी पाठक ** श्रीमती रूपा देवी | 75-76 |

# Editorial

This is the concluding issue of the seventh year of this journal. People like us are trying to publish journals, keeping in mind the only aim, to encourage more and more people to write research papers, love to write, create a passion for acquiring knowledge and to develop themselves. All the manuscripts, if we go for plagiarims test, may not come out with a pass certificate but, still, it is an effort which should be respected. Each and every effort is towards the betterment. Something is better than nothing. Our aim is to encourage and support the writers for their upgradation and ability to write standard research papers, so as to publish them in the standard format.

I will request all our reviewers, to encourage more and more people to write more research papers and to motivate them in proper direction and get their papers published to grow with us and let us grow. Pages are blocked for only those who do not rely on themselves.

It is our liability to make our family prestigious and esteemed. Patience, labour, passion and discipline are our foundation of a better future of the journal. Nobody in the world, can succeed in his work, untill he possesses a strong belief in this own success in job whatever he undertakes.

We can not stop evil unless we fight with it and for that fight we need courage. Courage is our only companion to win over adversities and proceed on the path of prosperity and this will help us to walk alone in the difficult path of criticism and reach our destination.

**Dr. Chandrani Tiwari**
E-mail : educationalwaves@yahoo.com

Educational Waves
(III&IV)

July-Dec-2016
Page- 51 to 54

# छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था एवं मानव अधिकार

* डॉ. श्रीमती शारदा दुबे ** डॉ. दुर्गा बाजपेयी

सारांश

1 नवम्बर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य छोटे राज्य के रूप में इसका चहुंमुखी विकास था। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण मानव के सामाजिक संबंधों एवं अन्तःक्रियाओं के द्वारा होता है, अतः यह एक अमूर्त व्यवस्था है। *सामाजिक संबंध व सामाजिक अन्तःक्रियाएं रीति-रिवाजों, कार्यप्रणाली अधिकारों, पारस्परिक* [illegible] समूह, समिति, संस्था एवं नियंत्रण आदि से प्रभावित होते हैं। समाज के ये उपखंड या तत्व परस्पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से संबद्ध रहते हैं और मानवीय क्रियाओं, व्यवहारों एवं संबंधों को प्रभावित करते हैं तथा समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में प्राकृतिक व्यवस्था एवं अन्य मानव निर्मित व्यवस्थाओं का भी योगदान होता है। अतः सामाजिक व्यवस्था के रूप में हक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि सभी पहलुओं को शामिल करते हैं।

**डब्ल्यू रिचईस के अनुसार-** ''मानव अधिकार वह न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी मांग अधिकार स्वरूप होनी चाहिए, तथा जिनके अभाव में कोई भी मानव अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकता है और न ही मानव की भांति जीवन व्यतीत कर सकता है।''

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्ताव [illegible] 217 ए (ड्डड्ड) द्वारा मानव अधिकारों का विश्वव्यापी घोषणा उद्घोषित एवं अंगीकृत किया गया।

भारत सरकार के आम आदमी को संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं अधिकारों के उपयोग एवं मानव गरिमा को सुरक्षित बनाने के [illegible] अक्टूबर 1993 में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया।

पृथक राज्य गठित होने के पश्चात छत्तीसगढ़ में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम एक सरल समाज की कल्पना करते हैं जहां अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है लोग [illegible] और भोले-भाले अधिक है, इस राज्य में अपराध का ग्राफ [illegible] से बढ़ना एक आश्चर्य की बात है, परन्तु विगत वर्षों में ऐसा हो रहा है, प्रशासन की ओर से मानवाधिकार आयोग की स्थापना [illegible] कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती क्योंकि मानवाधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 23 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पारिश्रमिक और बेरोजगारी से संरक्षण का अधिकार उनमें शामिल है।

**इसके अनुसार-**

1. सभी को कार्य करने, नियोजन का स्वतंत्र चयन करने, कार्य करने की न्यायसंगत व अनुकूल शर्तों का तथा बेरोजगारी से संरक्षण का अधिकार है।
2. किसी विभेद के बिना सभी का समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।
3. जो कोई कार्यरत है उसे न्यायसंगत व अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है ताकि वह अपने परिवार व स्वयं के अस्तित्व को मान-मर्यादा के अनुकूल बना सकें तथा यदि आवश्यक हो तो उसके अनुपूरण हेतु अन्य सामाजिक संरक्षण के उपायों को भी सुरक्षित करना होगा।

**इसके बाद भी बेरोजगारों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या का अपराध :**

मंत्रालय के सामने आत्मदाह रतनपुर और सीपत के कृषक द्वारा कम उपज के कारण आत्महत्या और चावल कूपन घोटाला हमारे सामने आया, जहां कर्ज से पीड़ित व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार का संरक्षण नहीं हो सका। रोजगार की व्यवस्था ही इसका एकमात्र उपाय है।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश की ओर हम दृष्टिगत करें तो यह देखते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। घरेलू और खेती के काम, मजदूरी आदि करके अर्थजन करने के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति उन्नत नहीं हो पा रही है, जबकि मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख है कि किसी को भी यातना अथवा निर्मम अमानवीय या तिरस्कार पूर्ण व्यवहार या दण्ड नहीं दिया जायेगा, परन्तु महिलाओं के संबंध में दोहरे मापदंड ने इसे खोखला साबित कर दिया है। प्रायः ग्रामीण महिलाओं के प्रताड़ना का कारण उन्हें टोनही करार देना है और पुरूष प्रधान समाज में हमेशा से जैसा होता आया है यह पदवी देने वाला बैगा हमेशा पुरूष होता है और अच्छी बात सुनकर उस महिला के साथ मारपीट या उसकी हत्या करने वाला भी उसका पुत्र, पति या कोई अन्य पुरूष होता है। शासन ने इस ओर ध्यान दिया है, यह स्वागत योग्य है, परन्तु जैसे बाल विवाह

* विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र शास. महाविद्यालय लोरमी
** विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र शास. पातालेश्वर महाविद्यालय

या दहेज निरोधक कानून का हश्र हुआ है वैसा यदि यहां भी हो गया तो महिलायें इसी तरीके से प्रताड़ित कर मारी जाती रहेंगी, क्योंकि जब तक समाज स्वयं महिला के प्रति पूरी तरह से समानता एवं सम्मान का दृष्टिकोण नहीं अपनाता तब तक यह शासन एवं न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वह महिलाओं के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों उनके आर्थिक एवं यौन शोषण एवं अन्य प्रकार की प्रताड़ना से दण्ड एवं विभिन्न न्यायों के माध्यम से उनकी रक्षा करें तथा उनके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए कानूनों का निर्माण करें और ऐसे कानूनों को कड़ाई से लागू करवायें।

क्योंकि प्रताड़ित होने वाली महिला का ग्रामीण या शहरी होना कोई मायने नहीं रखता है, मुख्य बात है उसका महिला होना और इसी कारण उसके साथ कुछ ऐसी लोमहर्षक घटनायें घटित होती है जिसे सुनकर या देखकर ही उसकी वीभत्सता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कड़ में चाहे हम धर्म अस्पताल की मरीज सत्यभामा, बिलासपुर के साथ होने वाले कांड को या दयालबंद की उस मासूम बच्ची को रख सकते हैं, जिसका संपूर्ण जीवन नरक बन गया है। पुलिस की तत्परता यहां स्वागतेय है, जो इस अंधे कांड में शीघ्र ही वास्तविक अपराधी तक पहुंच गई है। सड़क में घूमने वाली पागल स्त्रियों के साथ इसी तरीके के अपराध हो रहे हैं, इस दरिन्दगी से छुटकारा दिलाने की दिशा में संज्ञा लेते हुए उच्च न्यायालय ने नारी गृहों की स्थापना पर बल दिया है। ये नारी गृह भी यौन शोषण के अड्डे न बनें इस ओर भी मानवाधिकार आयोग की पहल आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने नारी को जिस रूप में उत्पन्न किया है, उसका अनुचित लाभ उठाने वाले क्लिंटन से लेकर मुजफ्फरनगर तक और शेष भारत में भी व्याप्त है, चाहे वह श्वसुर हो, पिता हो, देवर हो, जेठ हो, या अन्य व्यक्ति।

कामकाजी महिलाओं के मामले में भी मार्गी व मैत्रेयी का वह जमाना समाप्त हो गया जब उसे अतिरिक्त सम्मान प्राप्त था और वह देवी के रूप में पूज्यनीय थी। अब कामकाजी महिलायें घरेलू हिंसा, आर्थिक प्रताड़ना और यौन प्रताड़ना की भी शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा के विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम अपेक्षित है, परन्तु कानून लचीला होता है जैसे ही उसको विस्तृत रूप दिया जाता है, उसका अनुचित लाभ उठाया जाता है जैसे महिला थाना या हरिजन आदिवासी थाने में जाने वाले केस। दहेज, हत्या के केस या महिला आयोग को शिकायत की जाने वाली घटनाएं। कामकाजी महिलाएं भी आर्थिक रूप से अपने पिता या पति से स्वतंत्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में भी अनेक प्रकरणों में यह निर्णित किया गया है कि महिलाओं को आर्थिक आधार उनका मानवीय अधिकार है। वे आबादी का आधा हिस्सा होती है, काम के कुल अवधि का 2/3 कार्य करती हैं, लेकिन वे विश्व की कुल आय का दसवा हिस्सा प्राप्त करती हैं। अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आयकर में महिलाओं को जो 5000 रूपये की छूट मिलती थी, उसी के लिए हम लोगों पर कटाक्ष हो जाता था। अब यह राशि बढ़ गई है तो लोगों और मानसिक धक्का लगा होगा।

यद्यपि महिलायें हमेशा से ही यौन प्रताड़ना और अत्याचार का शिकार होती रही हैं, लेकिन यह आश्चर्य एव दुख की बात है कि महिलाओं में शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा समाज के अधिक आधुनिक होने के साथ-साथ महिलाओं के यौन प्रताड़ना की घटनायें भी लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे यहां का पुरूष समाज का बड़ा वर्ग आज भी मानसिक रूप से महिलाओं के द्वारा नौकरी अथवा व्यवसाय कर उसके स्वावलंबी होने को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। साथ ही पुरूष समाज का एक वर्ग आज भी महिलाओं को उपयोग की वस्तु से अधिक मानने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि कामकाजी महिलाओं को अपने सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की यौन प्रताड़ना तथा अश्लील टिप्पणियाँ, हाव-भाव तथा शारीरिक छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है चूंकि हमारे समाज की मानसिकता के अनुसार ऐसी किसी घटना में पीड़ित महिला को ही दोषी मान लिया जाता है, तथा उसकी सामाजिक रूप से बदनामी भी होती है अतः महिलायें ऐसी घटनाओं को चुपचाप सहन भी करती हैं। सभी महिलायें रूपन देवल या लिली कुजूर तो नहीं बन पातीं।

स्त्री के लिए सती होना तो बहुत सरल है परन्तु अपनी मानवीय इच्छा, आकांक्षा को अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है। पंचायती राज में पुरूषों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच में स्त्रियों ने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, परन्तु वास्तविकता क्या है, इसे हम आप सभी परिचित हैं कि सरपंचपति ही सर्वेसर्वा है।

माननीय न्यायालयों ने पारंपरिक प्रक्रिया से हटकर जिसके अंतर्गत पीड़ित पक्षकार द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर अनुतोष मांगने पर उसे न्याय दिया जाता है, से हटकर किसी भी व्यक्ति द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने का पत्र न्यायालय को लिखने या किसी समाचार पत्र में इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर स्व-प्रेरणा से प्रकरण दर्ज कर उनकी सुनवाई कर उचित एवं आवश्यक आदेश पारित किये हैं (बिलासपुर में छाया प्रकरण में शासन को निर्देशित किया गया था) क्योंकि माननीय न्यायालयों ने इस बात को महसूस किया है क्योंकि सामाजिक बंधनों, अशिक्षा, आर्थिक विवशता या अन्य कारणों से पीड़ित महिलाएं न्यायालय की शरण नहीं ले पाती तथा उनके विरूद्ध अत्याचार बदस्तूर चलते रहते है। अतः यह न्यायालय का दायित्व है कि वह पीड़ित पक्षकार द्वारा न्याय मांगने के लिए न्यायालय दरवाजा खटखटाने का इंतजार न करे, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर पीड़ित पक्षकारों को न्याय प्रदान करें और उनके उन दुःख

होता है। इसलिए अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता व प्रतिरक्षा का अधिकार है। घोषणा पत्र में उल्लिखित इन 30 अनुच्छेद के तहत अधिकार यदि व्यक्ति को मिल जाये तो वह मानव बन जायेगा और उसका पालन करता हुआ एक संगठित और सभ्य समाज का निर्माण करने में समर्थ होगा।

मानव अधिकारों का सामाजिक उद्देश्य उनको सीमित करने के बजाय समाज में उनके संप्रवर्तन द्वारा किया जा सकता है। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु विधिक तंत्र के निर्माण के साथ ही उनके सामाजिक उद्देश्यों को भी प्राप्त करना है। व्यवस्थापिका द्वारा जब-जब आयकर संबंधित विधान का निर्माण किया जाता है तो उसका अर्थ संपत्ति के अधिकार को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि राज्य के अधिकतम व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना होता है।

बहुत से अधिक मानव अधिकार हैं जो अब तक जीवंत रूप से उपस्थित नहीं होते जब तक समाज अपनी राजनैतिक सत्ता के माध्यम से उस अधिकार के लिए अपनी सामाजिक व्यवस्था में उसका कोई स्थान निश्चित नहीं करता। कार्य करने का अधिकार तब तक निरर्थक है, जब तक राज्य उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था न करें। यदि राज्य शिक्षा संबंधी साधनों का निर्माण व विकास नहीं करता तो शिक्षा का अधिकार अज्ञानता के अधिकार के समान ही होगा।

चूंकि मानव अधिकारों का संबंध सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ा है, अत: उनका संबंध राजनैतिक सत्ता से भी होता है। वह एक दूसरे के विरोध में न रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं।

अत: इस अंधकरमय वातावरण से बाहर निकलने का संभवत: एक ही मार्ग है, वह यह कि मानव अधिकार से संबंधित सभी व्यक्तियों से अर्थात हम सभी से एक सशक्त अपील की जाये। राज्य मानव अधिकारों का अनुपालन हम लोगों अर्थात जनता के आग्रह पर ही करेंगे, जनमत ही है जो कि राज्यों को मानव अधिकार का सम्मान करने पर बाध्य कर सकती है।

आज के युग में मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक ही प्रभावी अनुशक्ति है और वह है ''जनमत''

संदर्भ :

1. चौधरी डॉ. धर्मपाल-बाल कल्याण की आदेश पटना बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी
2. पटना चक्र मासिक पत्रिका
3. हरीश कुमार खत्री- मानवाधिकार

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318

Vidyawarta™

July To Sept. 2016
Issue-15, Vol-04

0156

38

# छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या वृद्धि:—एक भौगोलिक विश्लेषण

Dr. K. R. Matawale
Assistant Professor Geography
Govt.Pataleshwar College Masturi,
District –Bilaspur (C.G.)

***********

रामायण एवं महाभारत ग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल मे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। सन १७४१ से १८४५ तक छत्तीसगढ़ मराठा शासन के अन्तर्गत था। शासकीय अभिलेखों में प्रथम बार सन १७९५ में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेखित किया गया। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत ३६ किला अर्थात ३६ गढ़ सम्मिलित थे, इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा।

ब्रिटीश शासन काल (१८४५ से १९४७) के समय छत्तीसगढ़ डिविजन सेन्ट्रल प्रोविन्स के अन्तर्गत था। तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर थी। छत्तीसगढ़ ०१ नवम्बर १९५६ को राज्य निर्माण अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत नया राज्य मध्यप्रदेश के साथ सम्मिलित हुआ। ०१ नवम्बर २००० को छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से अलग हो कर एक स्वतंत्र नया राज्य बना। यह भारत का २६ वॉ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत २७ जिलें सम्मिलित है। जिसमें से ०९ जिलों का गठन नया हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व में १७°४६' उत्तरी अक्षांश से २४°०५' उत्तरी अक्षाश तथा ८०°१५' पूर्वी देशांतर से ८४°२०' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी उत्तर — दक्षिण लम्बाई ३६० किमी तथा पूर्व—पश्चिम चौड़ाई १४० किमी है। तथा यह १३७८९८ वर्ग किमी के क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जो भारत के कुल (k℮Qy d k 4.११% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का ०९ वॉ सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार यहा की कुल जनसंख्या २५५४०१९६ है। जो देश की कुल जनसंख्या का २.११ % है। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का १६ वॉ बड़ा राज्य है। देश के कुल लौह इस्पात का १५ % उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। भारत में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अति शीघ्र विकसित हुआ है।

किसी भी देश या प्रदेश के बहुमूल्य मितव्ययिता पूर्ण उपयोग एवं समुचित राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का अपना एक अलग ही महत्व होता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और देश की प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक उन्नति यहां पाये जाने वाले जनसंख्या के वितरण घनत्व, कुशलता व क्षमता एवं लोगों के स्वाभाव पर निर्भर करता है। जापान देश मेहनतकश, कुशल एवं विकास की चाह रखने वाली जनसंख्या रूपी वाहन पर सवार होकर आज सीमित संसाधनों के होने हुए भी विश्व के सबसे धनी देशों में से एक बन गया है। प्रशिक्षित एवं विकास के प्रति आशावादी व मेहनत करने वाली जनसंख्या से बढ़कर अन्य कोई संसाधान या विकास द्वार हो ही नहीं सकता। वर्तमान सरकारें विकास के लिये सर्वप्रथम जनशक्ति को जागृत करती है। भारत सरकार जन—जन को शिक्षित कर आगे बढ़ने एवं तेजी से विकास करने के लिये कदम आगे बढ़ा रही है। क्योंकि आज का प्रशिक्षित एव शिक्षित समाज राष्ट्र विकास का सबसे बड़ा शक्ति या संसाधन है।

जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन, वृद्धि व ह्रास होता है तो उसे समान्यतः वृद्धि कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जन्म, मृत्यु तथा स्थानांतरण इन तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है। जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किसी भी क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्था के संदर्भ में किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण तथा आर्थिक संसाधनों का

स्वरूप निर्धारण करता है। तथा इस बात का भी आभास होता है कि मानव का रहन—सहन इन संसाधनों के उपयोग से किस स्तर तक प्रभावित होता है। यदि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक तीव्र होता है तो देश व प्रदेश के आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न होगा। अतः जनसंख्या वृद्धि के पिछली प्रवृति से भावी प्रवृतियों का अनुमान लगाया जा सकता है।

**Table 1:1**

Population And Progressive PopulationGrowth Rate, Chhattisgarh And India Chhattisgarh's Share in India 's Population 1901 -2011

| Census Year | Total Population (in millions) | | Progressive growth rate (percent) | | Chhattisgarh's share in India 's population (percent) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Chhattis-garh | India | Chhattis-garh | India | |
| 1901 | 4.2 | 238.4 | - | - | 1.75 |
| 1911 | 5.2 | 252.1 | 24.15 | 5.75 | 2.06 |
| 1921 | 5.3 | 251.3 | 25.91 | 5.42 | 2.09 |
| 1931 | 6.0 | 279.0 | 44.18 | 17.02 | 2.16 |
| 1941 | 6.8 | 318.7 | 62.97 | 33.67 | 2.14 |
| 1951 | 7.5 | 361.1 | 78.32 | 51.47 | 2.07 |
| 1961 | 9.2 | 439.2 | 118.93 | 84.25 | 2.08 |
| 1971 | 11.6 | 548.2 | 178.31 | 129.94 | 2.12 |
| 1981 | 14.0 | 683.3 | 235.03 | 186.64 | 2.05 |
| 1991 | 17.6 | 846.3 | 321.25 | 255.00 | 2.08 |
| 2001 | 20.8 | 1028.6 | 398.23 | 331.47 | 2.03 |
| 2011 | 25.5 | 1210.2 | 420.82 | 349.11 | 2.11 |

छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का वितरण असमान है। राज्य के समस्त भू—भागों तथा जल स्रोतो के आस—पास जनसंख्या का संकेन्द्र अधिक है। इसके विपरीत असमतल, तीव्र ढ़ाल तथा वनाच्छादित भू—भागों में जनसंख्या विरल है। छत्तीसगढ़ मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार यहां ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या अनुपात ७६.७% २३.२ है। राज्य के २०१२६ ग्रामों में राज्य की ७६.७६% जनसंख्या निवास करती है। राज्य के जनजाति बाहुल्य जिलों जैसे— सरगुजा (९३.०४%) बस्तर (९०.०५%) तथा रायगढ़ (८६.६१%) में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। जबकि इसके विपरीत समतल मैदानी नदी बेसिन क्षेत्रों में जैसे — राजनांदगाव (८१.९५%), बिलासपुर (७५.६४%) रायपुर (६९.५८%) एवं दुर्ग (६१.८४%) जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से रायपुर (४०६२९६०) सबसे बड़ा जिला है। तथा नारायणपुर (१४०२०६) सबसे छोटा जिला है। राज्य की कुल जनसंख्या में ५९३६५३८ नगरीय तथा १९६०३६५८ ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य में २३.२४% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। जबकि २००१ में नगरीय जनसंख्या ४१७५३२९ थी जो कुल जनसंख्या का २०.०८% थी।

Table 1:2

Chhattisgarh &India :- Decadal and annual growth (1901-2011)

| Decade | Decadal Growth rate (percent) | | Average annual exponential growth rate (percent) | |
|---|---|---|---|---|
| | Chhattis-garh | India | Chhattis-garh | India |
| 1901-11 | 24.15 | 05.75 | 02.16 | 00.56 |
| 1911-21 | 01.41 | -00.31 | 00.14 | -00.03 |
| 1921-31 | 14.51 | 11.00 | 01.35 | 01.04 |
| 1931-41 | 13.04 | 14.22 | 01.23 | 01.33 |
| 1941-51 | 09.42 | 13.31 | 00.90 | 01.25 |
| 1951-61 | 22.77 | 21.64 | 02.05 | 01.96 |
| 1961-71 | 27.12 | 24.80 | 02.38 | 02.22 |
| 1971-81 | 20.39 | 24.66 | 01.87 | 02.20 |
| 1981-91 | 25.73 | 23.85 | 02.29 | 02.14 |
| 1991-2001 | 18.27 | 21.54 | 01.68 | 01.95 |
| 2001-2011 | 22.59 | 17.64 | 02.05 | 01.60 |

छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति में परिर्वतन बिन्दु जनगणना वर्ष १९२१, १९५१, एवं १९८१ था। विगत ११० वर्षों में जनसंख्या में हुए चार गुने की वृद्धि के इतिहास को निम्नलिखित चार कालखण्डों में विभाजित किया जा सकता है:—

**१. १९०१ से १९२१ की अवधि में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप —**

जनसंख्या विकास की दृष्टि से सन १९२१ को भारत की जनसंख्या का वृहत् विभाजक वर्ष कहते हैं। इसके पूर्व जनसंख्या की वृद्धि दर अति अल्प रही है। भारत के समान ही छत्तीसगढ़ में भी १९०१ से १९२१ के अवधि में जनसंख्या में काफी उतार–चढ़ाव रहा। १९०१ से १९११ के दशक में कुल जनसंख्या में १० लाख की वृद्धि हुई जो कुल जनसंख्या का २४.१५% है। जबकि १९११ से १९२१ के दशक में वृद्धि दर केवल ०१.४१% रही। इसका मुख्य कारण दुर्भिक्षों एवं संक्रामक बीमारियों जैसे – प्लेग, मलेरिया एवं एन्फ्लूएन्जा आदि है। इसके प्रकोप के कारण वृद्धि दर अति निम्न रही। १९०१ से १९२१ की अवधि में प्रगतिशील वृद्धि दर २.९१% रही है। जबकि भारत में इसी अवधि में प्रगतिशील वृद्धि दर मात्र ५.४२% रहा। वर्ष १९११, १९१३, १९१५, १९१८ एवं १९२० में सुखा की स्थिति रहा फलस्वरूप भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने के कारण मृत्यु दर में वृद्धि होनी लगी। जबकि जन्म दर उच्च बना रहा। फलस्वरूप जनसंख्या में मंद गति से वृद्धि हुआ। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर १९०१–१९११ की अवधि में २.१६% तथा १९११–१९२१ की अवधि में मात्र ०.१४% की वृद्धि रही। यदि इसकी तुलना भारत से करें तो इसी अवधि में ०.५६% एवं –०.०३% ऋणात्मक वृद्धि रही है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जनगणना वर्ष १९०१, १९११ एवं १९२१ में भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः १.७५%, २.०६% एवं २.०९% रहा है।

Chhattisgarh: Trend in Population Growth 1901-2011

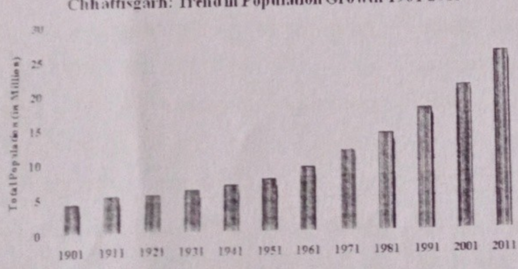


Fig. 1:1

**२. १९२१ से १९५१ की अवधि में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप–**

इस अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पुनः तेजी से बढ़ने लगी। १९२१ में ५.३ मिलियन जनसंख्या थी जो १९५१ में बढ़ कर ७.५ मिलियन पहुंच गई। अर्थात इस अवधि में २.२ मिलियन की वृद्धि हुई। १९२१ से १९५१ के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि लगभग १.१६% रहा। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जनगणना वर्ष १९३१ में ६.० मिलियन, १९४१ में ६.८ मिलियन एवं १९५१ में ७.५ मिलियन था। जो भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः २.१६%, २.१४% एवं २.०७% था। यह किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के न होने तथा शांति एवं सौहदर्यपूर्ण वातावरण का प्रभाव था। १९२१ के पश्चात इन तीन दशकों मे कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा परिवहन साधनों के विस्तार से दुर्भिक्षें में कमी आयी, संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया। जैसे – मलेरिया, हैजा, चेचक, प्लेग आदि के लिये पूर्ण प्रयास किया गया। इससे इनका प्रकोप कम हुआ। फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होने लगा।

१९२१–३१ के दशक में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर १४.५१% था, १९३१–४१ के दशक में १३.०४% तथा १९४१–५१ के दशक मे ९.४२% था। जबकि इन्हीं अवधियों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः ११.०%, १४.३२%, एवं १३.३१% था। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः १.३५%, १.२३%, एवं ०.९०% था। जबकि भारत में क्रमश १.०४%, १.३३% एवं १.२५% था। छत्तीसगढ़ में प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः १९३१ में ४४.१८%, १९४१ में ६२.९७% एवं १९५१ में ७८.०२% था। जबकि भारत में क्रमशः १७.०२%, ३३.६७% एवं १५१.४७% था। जन्म दर के अपेक्षा मृत्यु दर में अत्यधिक तेजी से कमी आने के कारण जनसख्या वृद्धि दर अधिक रहा। लेकिन यह वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में घटती दर से हुआ। परम जनसंख्या में तो वृद्धि हुआ है लेकिन दशाब्दिक

वृद्धि दर (१९२१–३१, १९३१–४१ एवं १९४१ –५१) में कमी हुआ है। छत्तीसगढ़ एक वनान्चल प्रदेश होने के कारण के कारण यहा स्वास्थ्य एव अन्य सुविधाओं का सही ढ़ग से विकास नहीं होने के कारण वृद्धि दर में अपेक्षाकृत कमी हुआ है।

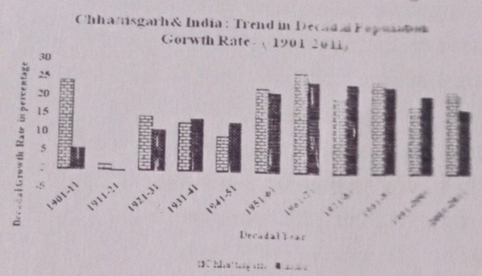


Fig. 1:2

**३. १९५१से १९८१ की अवधि में जनसख्या वृद्धि का स्वरूप–**

स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या में शीघ्र ही भारी एवं तेजी से वृद्धि हुआ। १९५१ को जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष का संज्ञा दिया जाता है। १९५१ के पश्चात न केवल जनसंख्या की वृद्धि दर में भारी परिवर्तन हुआ बल्कि निरा जनसंख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है। १९५१–६१ के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर २२.७७%, १९६१–७१ में २७.१२% तथां १९७१–८१ के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर घटकर २०.३९% था। फिर भी परम जनसंख्या में २.४ मिलियन की वृद्धि हुआ। १९६१–७१ के दशक की वृद्धि दर १९५१–६१ की तुलना में ४.३५ प्रतिशत अधिक रहा। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर के आकड़े (१९०१–२०११) के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि १९६१–७१ के दशक वृद्धि दर उपरोक्त अवधि का सर्वाधिक वृद्धि दर है। यह वृद्धि दर भारत के सर्वाधिक दर से भी २.३२% है।

छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः १९५१–६१ में २.०५ प्रतिशत, १९६१–७१ में २.३८ प्रतिशत एव १९७१–८१ में १.८७ प्रतिशत रही जबकि इन्ही अवधियो में भारत में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्रमश: १.९६ प्रतिशत, २.२२ प्रतिशत एवं २.२० प्रतिशत था। १९५१ से १९८१ के दशक में छत्तीसगढ़ की कुल जनसख्या भारत की कुल जनसंख्या का क्रमश: २.०८%, २.१२% एवं २.०५% था। छत्तीसगढ़ का प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि दर भारत की प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि से काफी अधिक है। जो सारणी क्रमाक १:१ से स्पष्ट है।

१९५१ में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या ७४५६७०६ थी जो बढ़कर १९८१ में १४०१०३३७ तक पहुच गयी। इस प्रकार पिछले ३० वर्षो में कुल ६५५३६३१ जनसंख्या की वृद्धि हुआ। जो १९५१ की कुल जनसंख्या का ८७.८९ प्रतिशत था। जबकि इन्हीं अवधियों में भारत की जनसंख्या में ८९.२३ प्रतिशत की वृद्धि हुआ। जनसंख्या में भारी तथा अप्रत्याशित वृद्धि दर के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारकों में जन्म दर का उच्च बना रहना तथा मृत्यु दर में भारी कमी होना है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुआ क्योंकि यह कारक जन्म दर एवं मृत्यु दर को प्रभावित करती है। १९७१–८१ के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आने का मुख्य कारण परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा श्रमिकों के बर्हिप्रवास रहा है। इस अवधि में विशेषकर शिशु एव मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुआ। लेकिन परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निरन्तरता का अभाव रहा। फलस्वरूप जन्म दर में अधिक कमी नहीं आया। अत: परम जनसंख्या में वृद्धि हुआ।

**४. १९८१ से २०११ की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर का स्वरूप–**

भारत के समान छत्तीसगढ़ में भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रहा है। जनगणना वर्ष १९८१ में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या १४.० मिलियन थी जो १९९१ में बढ़कर १७.६ मिलियन, २००१ में २०.८ मिलियन तथा २०११ में २५.५ मिलियन तक पहुंच गया। जो भारत कुल जनसंख्या का २.११ प्रतिशत है। इस प्रकार पिछले ३० वर्षो में राज्य की जनसंख्या में कुल ११.५ मिलियन की वृद्धि हुई। जो १९८१

की तुलना में ८२.१४ प्रतिशत अधिक है। जबकि भारत की जनसंख्या में ७७.११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अर्थात देश के अपेक्षाकृत राज्य में जनसंख्या वृद्धि (५.०३%) अधिक हुआ। २०११ में छत्तीसगढ़ की प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि दर ४२०.८२ प्रतिशत है जबकि भारत की प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि दर ३४९.११ प्रतिशत है।

१९८१ से २०११ के दशक में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में तो वृद्धि हुई। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में उतार–चढ़ाव की स्थिति बना रहा। जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का रूख जारी है। १९८१–९१ के दशक में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर २५.७३%, १९९१–२००१ के दशक में १८.२७% तथा २००१–११ के दशक में पुनः बढ़कर २२.५९ प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर में भी उतार–चढ़ाव की स्थिति रहा जैसे – १९८१–९१ में २.२९%, १९९१–२००१ में १.६८%, तथा २००१–११ में २.०५% रहा। जो सारणी क्रमांक १:२ से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष २००१ की तुलना में २०११ में जनसंख्या वृद्धि दर ४.३२ प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर इस जनगणना में २३ प्रतिशत कम आंकी गई थी। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर १७.६४ प्रतिशत से भी अधिक है।

Chhattisgarh & India : Trends In Birth & Death Rate (1999 - 2010)

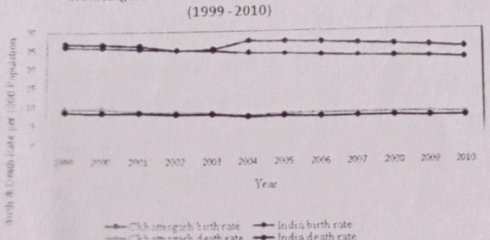


Fig.1:3

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले ३० वर्षों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने का मुख्य कारण बर्हिप्रवास में कमी, सिंचाई सुविधाओं का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास व सुधार, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, संक्रामक बीमारियों का उन्मूलन [illegible] मृत्यु दर एवं साक्षरता दर में वृद्धि रहा है। [illegible] योजनाओं में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन [illegible] वृद्धि तथा रोजगार के अवसर भी बढ़े। [illegible] परिवार की धारणा के बलवती होने के कारण [illegible] तथा मृत्यु दर में कमी दर्ज हुआ। लेकिन [illegible] तुलना में मृत्यु दर में गिरावट अधिक है। [illegible] प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च बना हुआ है। १९९९ [illegible] दर २६.९ प्रति हजार था जो २०१० में घटकर [illegible] हजार हो गया है। जबकि भारत में १९९९ में [illegible] २६.१ प्रति हजार था जो घटकर २२.१ प्रति [illegible] गया है। अतः भारत के अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ में [illegible] दर अधिक है। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर १९९९ में [illegible] हजार था जो घटकर २०१० में ८.० प्रति [illegible] गया। जबकि भारत में मृत्यु दर ८.७ से घटकर [illegible] प्रति हजार है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वृद्धि दर [illegible] हजार है। अतः जनसंख्या निरन्तर तीव्र गति से [illegible] रहा है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्राकृतिक वृद्धि [illegible] सारणी क्रमांक १:३ से स्पष्ट है।

**Table 1:3**

Chhattisgarh & India: Birth rates, Death rates & Natural growth rates (1999-2010)

| Year | Birth rate (per 1000 population) | | Death rate (per 1000 population) | | Natural growth rate (per 1000 population) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chhattis-garh | India | Chhattis-garh | India | Chhattis-garh | India |
| 1999 | 26.9 | 26.1 | 9.6 | 8.7 | 17.3 | 17.4 |
| 2000 | 26.7 | 25.8 | 9.6 | 8.5 | 17.1 | 17.3 |
| 2001 | 26.3 | 25.4 | 8.8 | 8.4 | 17.5 | 17.0 |
| 2002 | 25.0 | 25.0 | 8.7 | 8.1 | 16.3 | 16.9 |
| 2003 | 25.2 | 24.8 | 8.5 | 8.0 | 16.7 | 16.8 |
| 2004 | 27.4 | 24.1 | 7.7 | 7.5 | 19.7 | 16.6 |
| 2005 | 27.2 | 23.8 | 8.1 | 7.6 | 19.1 | 16.2 |
| 2006 | 26.9 | 23.5 | 8.1 | 7.5 | 18.8 | 16.0 |
| 2007 | 26.5 | 23.1 | 8.1 | 7.4 | 18.4 | 15.7 |
| 2008 | 26.1 | 22.8 | 8.1 | 7.4 | 18.0 | 15.4 |
| 2009 | 25.7 | 22.5 | 8.1 | 7.3 | 17.6 | 15.2 |
| 2010 | 25.3 | 22.1 | 8.0 | 7.2 | 17.3 | 14.9 |

छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रादेशिक स्वरूप—

जनसंख्या वृद्धि दर में अनेक क्षेत्रीय एवं स्थानीय अंतर पाये जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन एवं विश्लेषण जिला स्तर के आकड़े १९०१ से २०११ के आधार पर किया गया है। सम्पूर्ण राज्य में औसत जनसंख्या वृद्धि दर एक समान नहीं है। कहीं वृद्धि दर अति उच्च है तो कहीं यह अल्प अथवा राज्य औसत के समान है। २००१—११ के दशक में छत्तीसगढ़ में हुए जनसंख्या वृद्धि दर के प्रादेशिक स्वरूप को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो सारणी क्रमांक १:४ व १:५ एवं मानचित्र से स्पष्ट है।

**१. उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र (>30%)—**

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र के अन्तर्गत कबीरधाम (४०.६६%) रायपुर (३४.६५%) एवं बिलासपुर (३३.२१%) जिला सम्मिलित है। रायपुर (४०.६२लाख) एवं बिलासपुर (२६.६२लाख) जिला में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। जो छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का क्रमशः १५.९० प्रतिशत, १०.४२ प्रतिशत है। कवीरधाम जिला में (८.२२लाख) अपेक्षाकृत जनसंख्या कम है। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है। राज्य बनने के बाद यहां सामाजिक एवं आर्थिक विकास अधिक हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि कारणों से उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर बना हुआ है। साथ ही आंतरिक एवं बाह्य प्रवास एवं बाह्य प्रवास के कारण भी यहां जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर दर्ज हुआ है। कबीरधाम एक नव निर्मित जिला है यहां जन्म दर ३० प्रति हजार है। रायपुर राज्य की राजधानी है, यहां जन्म दर २५ प्रति हजार तथा बिलासपुर में जन्म दर २६ प्रति हजार है। बिलासपुर में हाईकोर्ट स्थापित है। साथ ही यहां प्राकृतिक वृद्धि दर भी अन्य जिलों के अपेक्षाकृत अधिक है। जैसे— कबीरधाम २१ प्रतिशत, बिलासपुर १८.७ प्रतिशत एवं रायपुर में १८.५ प्रतिशत है। फलस्वरूप उच्च जनसंख्या वृद्धि दर एवं परम जनसंख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह तीनों जिला एक दूसरे से संलग्न है।

**२. मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र** (२०.३०%)—

मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र ०२ जिला सम्मिलित है। यह दोनों जिला जांजगीर—चांपा एवं महासमुन्द राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यहां की कुल जनसंख्या १६.२० लाख एवं १०.३२ लाख है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का १०.३८% है। तथा दशकीय वृद्धि दर का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर में काफी उतार—चढ़ाव की स्थिति है। जांजगीर—चांपा जिला में सर्वाधिक वृद्धि दर १९८१—९१ के दशक में ३१.३५% तथा सबसे कम वृद्धि दर १९६१—७१ के दशक में ७.९५% था। जबकि महासमुन्द जिला में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर (२३.३७%) १९६—७१ दशक में था। तथा सबसे कम वृद्धि दर (६.४४%) १९४१—५१ के दशक में था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि महासमुन्द जिला में १९५१—६१ के दशक में — १६.२२ प्रतिशत ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था। इसका मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध, अकाल, भूखमरी, हैजा, प्लेग व मलेरिया आदि कारणें से जन्म दर एवं मृत्यु दर में काफी गिरावट रहा है। २०११—१२ में जांजगीर—चांपा जिला में जन्म दर २१ व मृत्यु दर ७ प्रति हजार था। इसी प्रकार महासमुन्द जिला में जन्म दर २३ व मृत्यु दर ८ प्रति हजार था। महासमुन्द जिला में जनसंख्या वृद्धि दर राज्य के औसत से कम तथा जांजगीर—चांपा जिला में अधिक है। महासमुन्द जिला में नगरीय जनसंख्या २७.५ प्रतिशत जबकि जांजगीर—चांपा जिले में २२.४८ प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। यहां नगरीकरण की मंद गति एवं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर की मध्यम गति के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मध्यम है।

**Table 1:4**

Chhattisgarh : Districts Classified of Decennial Population Growth Rates (2001 -2011)

| Decennial Growth Rate (percent) | No. of Districts | Districts |
|---|---|---|
| >30 | 03 | Kabirdham, Raipur, Bilspur |
| 20-30 | 02 | Janjgir-Chanpa, Mahasamund, |
| <20 | 13 | Rajnandgaon, Surguja, Naraynpur,Korba,Durg,Raigarh,Bastar, Kanker,Jashpur, Dhamtari, Koriya, Dantewada, Bijapur |

**३. निम्न जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र (<२०%)—**

निम्न जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र के अन्तर्गत दशाब्दिक वृद्धि दर २०प्रतिशत से कम वृद्धि वाले जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत राजनांदगाव (१९.८२%), सरगुजा (१९.७४%), नारायणपुर (१९.४९%), कोरबा (१९.२५%) दुर्ग (१८.९५%) बस्तर (१७.८३%),कांकेर (१५.००%), जशपुर (१४.६५%), धमतरी (१८.११%) कोरिया (१२.४०%) दंतेवाड़ा (११.९०%), एवं बीजापुर (८.७६%) सम्मिलित है। इन १३ जिलों की कुल जनसंख्या १५३४०८४३ है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या २५५४०१९६ का ६०.०६ प्रतिशत है। राजनांदगाव, सरगुजा, नारायणपुर, कोरबा एवं दुर्ग जिलों में १९ से २० प्रतिशत तक एवं बस्तर, कांकेर, जशपुर, धमतरी, कोरिया एवं दंतेवाड़ा जिलों में १० से १५ प्रतिशत तक की वृद्धि हुआ है। जबकि बीजापुर में वृद्धि दर सबसे कम है।

छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले बघेलखण्ड एवं छोटानागपुर के पठार एवं दक्षिणी जिले बस्तर के पठार के अन्तर्गत स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी जिलों की धरातल काफी उबड़—खाबड़ एवं पहाड़ी—पठारी है। जहां कृषि में विकास नहीं हो पाया है। साथ ही अन्य सुविधाओं का अभाव है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि के विकास के साथ—साथ औद्योगीकरण, नगरीकरण, यातायात की सुविधाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास व विस्तार अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। तथा जन्म दर में गिरावट हुआ है। सरगुजा को छोड़ का शेष सभी जिलों में जन्म दर गिरा है। सबसे कम जन्म दर दुर्ग जिले में (२० प्रति हजार) है। जशपुर, सरगुजा, दंतवाड़ा में मृत्यु दर ८ प्रति हजार से अधिक है। फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। शेष जिलों में जन्म दर एवं मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम है। अतः जनसंख्या वृद्धि कम हुआ है। मृत्यु दर में अपेक्षाकृत कमी दुर्ग एवं कांकेर जिलों में हुआ है। दुर्ग जिले की साक्षरता दर (७९.६९%) राज्य में सर्वाधिक है। अतः जनसंख्या वृद्धि दर न्यून है।

१९०१ से २०११ तक की जनगणना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम था। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से अर्थात अतिशीघ्र वृद्धि हुआ। वर्तमान समय में भी तीव्र वृद्धि दर जारी है। जो भारत की औसत वृद्धि दर से अधिक है। यदि इसी प्रकार वृद्धि जारी रहा तो नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसे — बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास, शुद्ध पेयजल, खाद्यान आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, विद्युत आपूर्ति आदि। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम को कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि दर एवं परम जनसंख्या में कमी आयेगा। लोगों के जीवन—स्तर में सुधार आयेगा, प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का सर्वांगिण विकास होगा।

**Table 1:5**

Chhattisgarh: District--wise decennial population growth rates 1901-2011

*(Table is given on next page)*

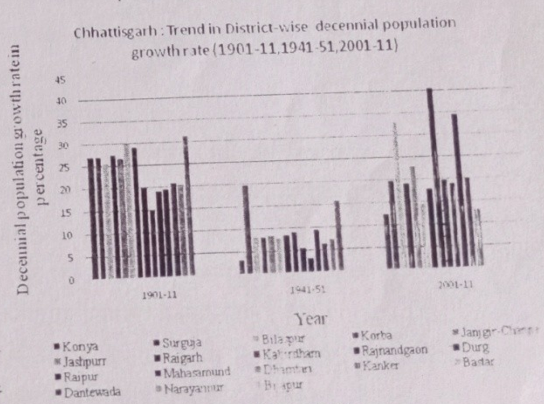


Fig. 1:4

Table 1:5

| District | Percentage decennial population variation | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1901-11 | 1911-21 | 1921-31 | 1931-41 | 1941-51 | 1951-61 | 1961-71 | 1971-81 | 1981-91 | 1991-2001 | 2001-11 |
| Koriya | 27.01 | -7.09 | 28.71 | 36.21 | 3.33 | 122.1 | 25.64 | 32.18 | 30.15 | 17.09 | 12.40 |
| Surguja | 27.01 | -7.09 | 28.71 | 10.50 | 19.83 | 12.17 | 28.61 | 20.61 | 26.68 | 24.67 | 19.74 |
| Bilaspur | 25.64 | 7.39 | 13.28 | 13.05 | 8.22 | 17.77 | 26.74 | 18.16 | 24.00 | 17.91 | 33.21 |
| Korba | 27.43 | 6.98 | 13.72 | 12.08 | 8.19 | 20.86 | 28.94 | 42.47 | 34.83 | 22.51 | 19.25 |
| Janjgir-Chanpa | 25.74 | 8.49 | 14.68 | 12.29 | 8.53 | 9.83 | 7.95 | 11.99 | 31.35 | 18.67 | 23.01 |
| Jashpur | 29.98 | 4.20 | 18.44 | 13.01 | 7.84 | 24.68 | 26.27 | 12.95 | 16.75 | 13.23 | 14.65 |
| Raigarh | 29.17 | 4.51 | 19.78 | 14.49 | 8.60 | 20.51 | 20.70 | 12.81 | 20.19 | 18.72 | 18.02 |
| Kabirdham | 20.09 | -5.48 | 12.86 | 8.75 | 9.11 | 20.50 | 30.57 | 25.12 | 26.24 | 13.84 | 40.66 |
| Rajnandgaon | 15.25 | -7.84 | 13.29 | 8.28 | 5.64 | 19.17 | 26.80 | 15.95 | 22.43 | 17.83 | 19.82 |
| Durg | 19.13 | -8.83 | 12.90 | 15.48 | 3.29 | 34.10 | 32.63 | 28.68 | 26.80 | 17.24 | 18.95 |
| Raipur | 19.66 | 6.46 | 10.66 | 12.00 | 9.61 | 50.13 | 34.81 | 18.46 | 30.14 | 19.29 | 34.65 |
| Mahasamund | 20.83 | 5.44 | 9.65 | 9.82 | 6.44 | -16.22 | 23.37 | 17.75 | 19.38 | 8.73 | 20.00 |
| Dhamtari | 20.49 | 6.25 | 8.55 | 10.41 | 7.26 | 15.44 | 24.71 | 15.40 | 24.15 | 20.23 | 13.11 |
| Kanker | 31.55 | 9.43 | 10.67 | 17.78 | 15.83 | 35.66 | 47.95 | 18.30 | 56.80 | 18.68 | 15.00 |
| Bastar | 36.69 | 4.34 | 13.47 | 18.63 | 16.85 | 23.19 | 26.46 | 23.10 | 12.00 | 18.73 | 17.83 |
| Dantewada | 39.60 | 4.34 | 10.36 | 18.82 | 16.71 | 32.44 | 25.45 | 20.94 | 21.94 | 15.62 | 19.90 |
| Narayanpur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.49 |
| Bijapur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.76 |

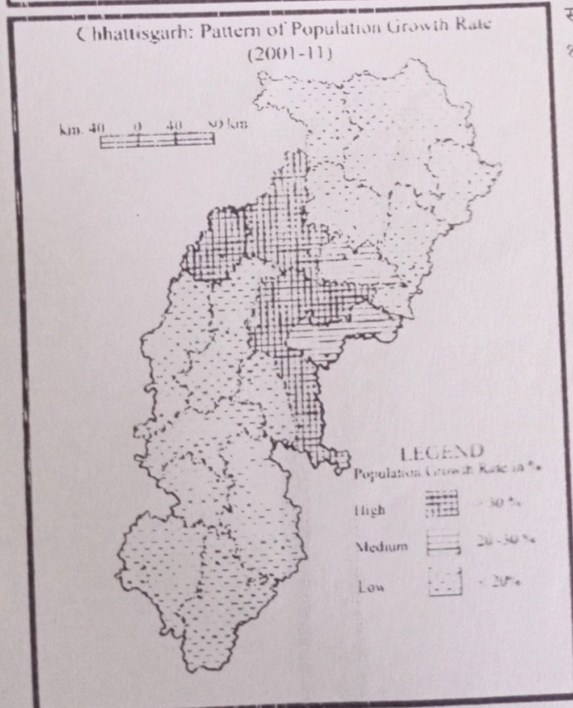


Fig 1:5

संदर्भ:—

१. डॉ. पण्डा बी.पी.—जनसंख्या भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, चतुर्थ संस्करण १९९८।
२. डॉ. तिवारी व्ही.के. — छत्तीसगढ़ एक भौगोलिक अध्ययन, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस मुंबाई, २००१।
३. डॉ. मामोरिया चतुर्भुज — एकीकृत भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, २०१३।
४. डॉ. गौतम शिवानन्द—एकीकृत भूगोल, राम प्रसाद एण्ड संस आगरा।
५. भारत की जनगणना २०११।
६. डॉ. संजय अलंग — छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जमींदारियां, वैभव प्रकाशन रायपुर ISBN 81-8924496-5.
७. त्रिपाठी कौशलेन्द्र एवं चन्द्राकर पुरूषोत्तम— छत्तीसगढ़ का भूगोल, शारदा प्रकाशन बिलासपुर (छ.ग.)।
८. छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनायें— छत्तीसगढ़ शासन जनसम्पर्क विभाग प्रकाशन २००१।
9. Annual Health Survey Bulletin 2011-12.
10. People Report of Chhattisgarh Background Note—A publication of Govt. of Chhattisgarh 2002.

❑❑❑

RNI : UPHIN/2008/30136

ISSN : 0974-0002

वर्ष : 9 संयुक्तांक : 17-18

# कृतिका

जनवरी-दिसम्बर 2016

साहित्य , कला , संस्कृति , आयुर्वेद , मानविकी
एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक
अन्तर्राष्ट्रीय रेफ्रीड शोध पत्रिका

RNI : UPHIN/2008/30136 ISSN : 0974-0002

कृतिका इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ हाफ इयरली ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज

ISSN : 0974-0002 वाल्यूम : 17–18, वर्ष : 09, जनवरी–दिसम्बर 2016

देश–देशान्तर मित्रों का शोधपरक अनुष्ठान

# कृतिका

(साहित्य, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, मानविकी एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)

वर्ष : 09 अंक : 17–18 जनवरी–दिसम्बर 2016

प्रधान सम्पादक

**मनोज कुमार यादव**

पूर्व सदस्य

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद (उ. प्र.)

सम्पादक

**डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव**

एसोसिएट प्रोफेसर – हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ, 226 017 (उ. प्र.)

सम्पर्क – 07607782917, 09415924888

Email : dr.virendrayadav@gmail.com • Email : virendra_kritika@rediffmail.com

Email : kritika_orai@rediffmail.com • http://kritika-shodh.blogspot.com

सह–सम्पादक

**नीलम यादव**

303 तीसरा तल, टाईप फाइव, विश्वविद्यालय परिसर

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ – 226 017

प्रबन्धन

**आराधना ब्रदर्स**

(प्रकाशक एवं वितरक)

124 / 152– सी ब्लाक, गोविन्दनगर, कानपुर–208 006, उ.प्र.

दूरभाष –09935007102, 05122651490

Email : aradhanabooks@rediffmail.com

15. भारत में महिला सशक्तीकरण के उभरते क्षितिज एवं गहराती चुनौतियाँ डॉ. उमारतन यादव 73
16. भारत में महिला उद्यमिता तथा सशक्तिकरण शालिनी सिंह 78
17. संस्कृति साहित्य में नारी चिंतन डॉ. शिवानी शुक्ला 82
18. ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा का प्रभाव डॉ. सुजाता, डॉ. सपना कॉर 86
19. मृदुला गर्ग रचित उपन्यासों में स्त्री–जीवन की टूटती वर्जनाएँ सविता देवी 90
20. राजस्थानी फिल्मों में स्त्री चेतना सुमन गुर्जर, डॉ. हेमा देवरानी 94
21. ऋता शुक्ला की अरूंधती : नारीवाद का नया विमर्श सुषमा दुबे 97
22. नारी वेदना से रूबरू कराता उपन्यास 'मैंने नाता तोड़ा' डॉ. अंजु थापा 100

## भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

23. शिक्षा का अधिकार और पंचायती राज डॉ. हेमन्त कुमार मिश्रा 106
24. माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत प्रदत्त विषयवार प्रोजेक्ट कार्यो की प्रकृति एवं स्थिति का अध्ययन डॉ. अखिल श्रीवास्तव 115

## भारत के विकास में अग्रज एवं अनुज पीढ़ी का योगदान

25. बुद्ध देशना के संबाहक (सम्राट अशोक तक) डॉ. ज्योति सिंह गौतम 126
26. राष्ट्र प्रेम व मानव कल्याण के संवाहक : स्वामी विवेकानन्द डॉ. रामकुमार ओमरे, डॉ. हृदयकांत श्रीवास्तव 135
27. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (सन् 1857) में नाना साहब का योगदान डॉ. ममता गंगवार 137
28. युगचेतना के प्रतीक महात्मा गांधी डॉ. विभा सिंह 143
29. गांधीवादी चिंतन में निहित प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा डॉ. अनुपमा यादव 148
30. डॉ. भीमराव अम्बेडकर का समग्र दर्शन डॉ. गीता यादव 152
31. डॉ. भीमराव अम्बेडकर का भारतीय नारी उत्थान में योगदान प्रियंका सिंह 164

## भारत में पर्यावरण के बदलते परिदृश्य : दशा एवं दिशा

32. मानव विकास का पर्यावरण पर प्रभाव (वैश्विक चिंतन का सामाजिक यथार्थ) डॉ. मनजीत सिंह 167
33. प्राकृतिक आपदा, मानव अधिकार एवं बचाव के सुरक्षात्मक उपाय : एक आकलन प्रेम प्रकाश यादव 170
34. हिन्दी कवियों की पर्यावरण संचेतना डॉ. सविता मसीह 174
35. नदियाँ–गंगा एक विवेचनात्मक अध्ययन संदीप कुमार सिंह 178

RNI : UPHIN/2008/30136 ISSN : 0974-0002

# ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा का प्रभाव

डॉ. सुजाता सेम्युएल
सहायक प्राध्यापक
शासकीय पतालेश्वर कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, मस्तूरी, जिला–बिलासपुर

डॉ. सपना कौर
सहायक प्राध्यापक
शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला,
जिला– बालोद

**प्रस्तावना** : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई तथा संविधान की प्रस्तावना में ''प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता'' तथा ''व्यक्ति की गरिमा'' आदि वाक्यांशों का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध है लेकिन भारतीय समाज में महिलाएं विशेषकर ग्रामीण महिलाएं अशिक्षा, आत्मविश्वास में कमी तथा राजनीतिक प्रशिक्षण व जागरूकता के अभाव में राजनीतिक गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक सहभागिता मतदाता के रूप में होती है। मतदान करते समय मतदाता के मूल्यों को प्रभावित करनेवाले चर और उनका मतदाताओं के निर्णय निर्माण प्रकिया पर प्रभाव मतदान व्यवहार कहलाता है।

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बाद भी ग्रामीण महिलाएं वर्तमान समय में व्यक्तिगत, पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक कारणों से राजनीतिक रूप से कम सक्रिय हैं और चुनावों के माध्यम से पद प्राप्त कर निर्णय निर्माण प्रक्रिया व नीतियों के निर्माण में उनकी सहभागिता अत्यंत अल्प है तथा मतदान करते समय भी परिवार के अन्य सदस्यों के निर्णय से प्रभावित होती हैं परन्तु जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हो रहा है ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आता जा रहा है। मतदाता के रूप में ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

## अध्ययन के उद्देश्य :–

(1) ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा के प्रभाव से होनेवाले जागरूकता के स्तर को ज्ञात करना।

(2) मतदाता के रूप में लिए जानेवाले निर्णय की स्वतंत्रता पर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करना।

(3) विविध राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों व घोषणापत्रों के विषय में जानकारी व उनका मूल्यांकन करने की क्षमता पर पडनेवाले शिक्षा के प्रभाव को ज्ञात करना।

(4) मतदान के समय दिए जाने वाले आर्थिक प्रलोभनों पर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करना।

## प्रस्तावित अध्ययन की शोध पद्धति :–

- शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड़ का चयन किया गया है, जिसमें कुल ग्राम 157 व ग्राम पंचायत की संख्या 102 है ।
- कुल ग्राम पंचायतों का 15 प्रतिशत अर्थात 15 गावों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है
- प्रत्येक गावों से 06 ऐसे उत्तरदाताओं का चयन किया गया है जो स्नातकोत्तर तक शिक्षित है, अर्थात कुल 90 उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन हेतु किया गया है।
- चयनित उत्तरदाता पंचायत चुनावों में किसी न किसी पद पर प्रत्याशी के रुप खड़ी हुई है तथा उनका प्रत्यक्ष संपर्क ग्रामीण महिला मतदाताओं से है।

RNI : UPHIN/2008/30136 ISSN : 0974-0002

## शोध परिकल्पना :–

- अशिक्षित मतदाताओं की तुलना में शिक्षित मतदाता पर आर्थिक प्रलोभनों का प्रभाव कम पड़ता है ।
- शिक्षित ग्रामीण महिलाएँ इच्छित प्रत्याशी को मत देने संबंधी निर्णय अधिक स्वतंत्रतापूर्वक लेती हैं ।
- शिक्षित ग्रामीण महिला मतदाताओं के कारण ग्रामीण नेतृत्व में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और ग्रामीण विकास में वृद्धि हुई है ।

## अध्ययन विषय का महत्व –

- मतदान संबंधी समस्याओं के समाधान में शिक्षा की भूमिका ज्ञात करने में अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा
- प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार में शिक्षा के प्रभाव से आने वाले परिवर्तनों को समझाने में सहायक होगा ।
- पंरपरागत ग्रामीण समाज के मतदान व्यवहार पर शिक्षा के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने में अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा।
- मतदान करते समय ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने की क्षमता पर पड़ने वाले शिक्षा के प्रभाव का आंकलन करने में अध्ययन सहायक होगा।

## निष्कर्ष –

प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण के आधार पर निम्न निष्कर्षो की प्राप्ति हुई है –

- 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षा व राजनीतिक जागरुकता के प्रभाव से पंचायतों को सुदृढ़ करके गॉवों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
- 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों की जानकारी थी ।
- 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के मुख्य मुख्य बातों की ही जानकारी थी।
- 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षित मतदाता सही नेतृत्व का चयन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है ।
- मतदान करते समय 43 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्याशी के पार्टी को, 37 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्याशी के व्यक्तित्व और योग्यता को, 17 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी जाति के प्रत्याशी को तथा 3 प्रतिशत उत्तरदाता भविष्य में कार्य करने के आश्वांसन को आधार मानकर मतदान करती हैं ।

मतदान करते समय उत्तरदाताओं द्वारा प्रत्याशी चयन के आधार से संबंधित आंकड़े निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं।

**मतदान करते समय प्रत्याशियों के चयन का आधार**

| क्रमांक | मतदान करते समय प्रत्याशियों के चयन का आधार | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रत्याशी के पार्टी को | 38.7 | 43 |
| 2. | प्रत्याशी के व्यक्तित्व और योग्यता को | 33.3 | 37 |
| 3. | जाति के प्रत्याशी को | 15.3 | 17 |
| 4. | भविष्य में कार्य करने के आश्वांसन को | 2.7 | 03 |
| | योग | 90 | 100 |

इसे ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है।

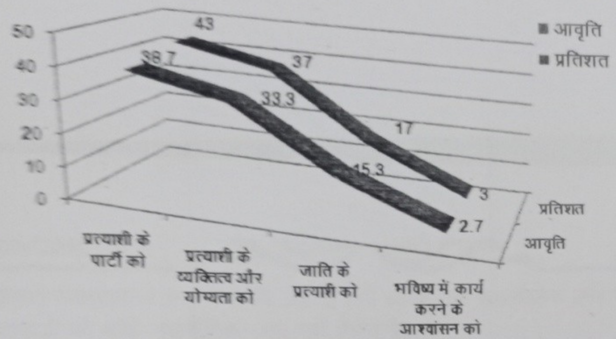


- 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि अशिक्षित मतदाताओं को प्रत्याशियों द्वारा अधिक आर्थिक प्रलोभन दिए जाते हैं जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि आर्थिक प्रलोभन शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के मतदाताओं को दिए जाते हैं।
- मतदान करने संबंधी निर्णय लेने के विषय में 47 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं की इच्छा से मतदान करती हैं जबकि 51 प्रतिशत मतदाता पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर तथा शेश 02 प्रतिशत उत्तरदाता अपने स्व सहायता समूह के सदस्यों की एवं अपने परिचितों की सलाह से मतदान करती हैं ।

मतदान करने संबंधी निर्णय लेने के आधार विषयक आंकड़े निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं।

| क्रमांक | मतदान करने का निर्णय लेने का आधार | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | स्वयं की इच्छा से | 42.3 | 47 |
| 2. | पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर | 45.9 | 51 |
| 3. | स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं अपने परिचितों की सलाह से | 1.8 | 02 |
| | योग | 90 | 100 |

इसे ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है।

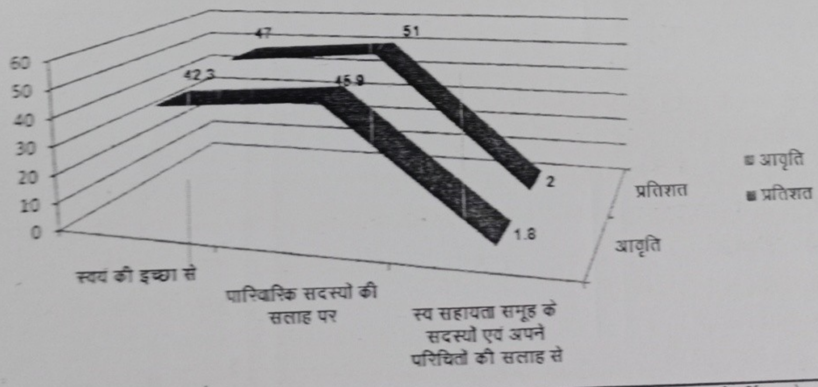

- 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षित होने कारण उन्हे राजनीतिक लाभ मिला है, केवल 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है।
- जिन उत्तरदाताओं को राजनीतिक लाभ मिला उनमें 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे स्थानीय समस्याओं को समझने के योग्य हुई है, 28 प्रतिशत का मत है कि उन्हें प्रत्याशी के योग्य माना गया तथा 25 प्रतिशत का मत है की शिक्षित होने के कारण उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है ।

प्रस्तुत अध्ययन से यह निश्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे मतदान करते समय स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में जागरुक रहती है उनपर आर्थिक प्रलोभनों का प्रभाव कम पड़ता है और वे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानती है।

❑❑

डॉ. श्रीमती सुजाता सैमुएल

Vol. VII (III&IV)
July-December 2016

ISSN 0975-8771
RNI : CHHBIL/2010/36213

Combined Issue

# Educational Waves

Chief Editor-
Dr. Chandrani Tiwari

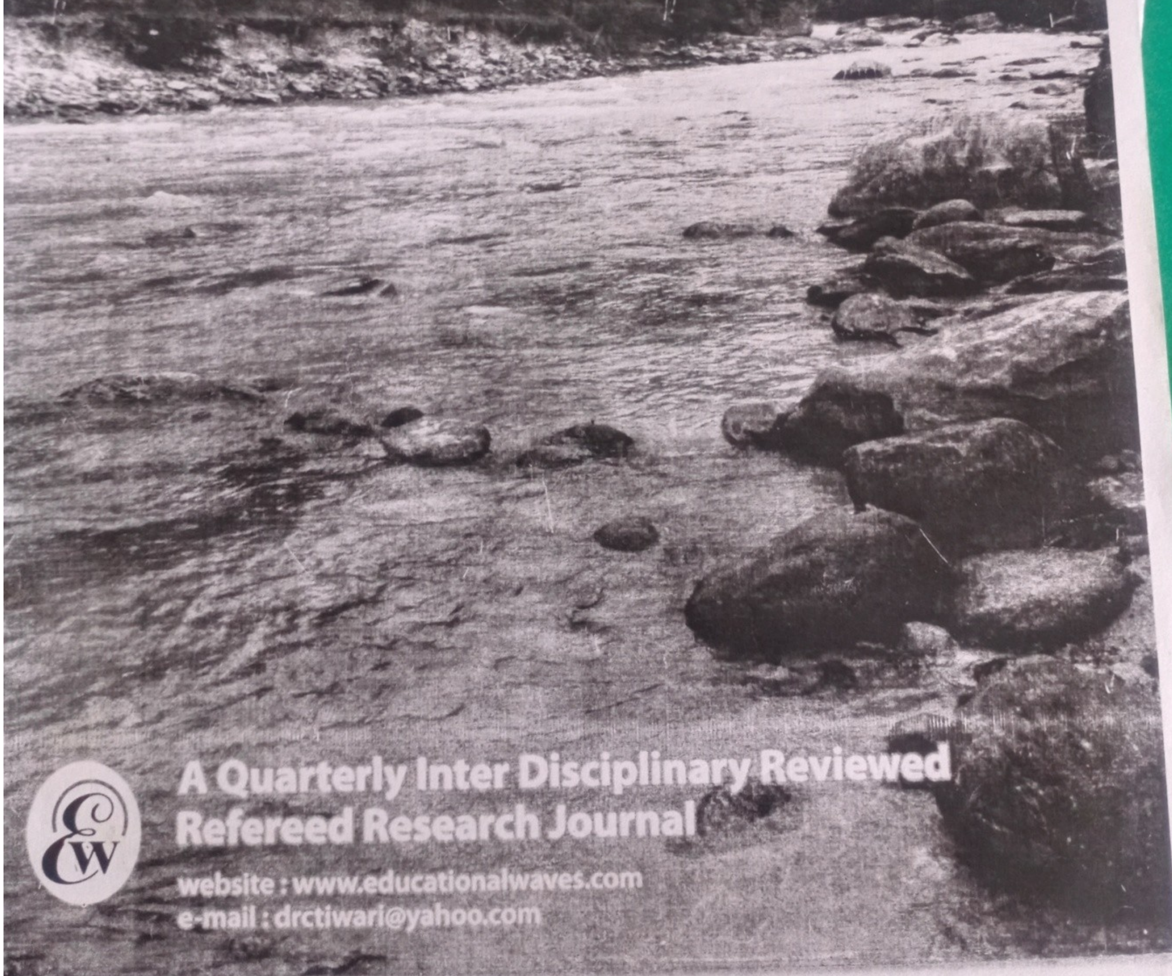

A Quarterly Inter Disciplinary Reviewed Refereed Research Journal

website : www.educationalwaves.com
e-mail : drctiwari@yahoo.com

# Educational Waves

**Multidisciplinary Quarterly Research Journal**

RNI : CHHBIL/2010/36213 Vol-VII ISSUE-III&IV July. to Dec. 2016 ISSN 0975-8771

## CONTENTS

| Subject | Page No. |
|---|---|
| ✧ Naxalism And Its Impact In India<br>* * Dr. M.S. Tamboli | 1-6 |
| ✧ Socio-economic culture in Nadia District of West Bengal- Bangladesh frontier"<br>* Dr. Prashant Gauraha ** Mr. Tapan Gain | 7-10 |
| ✧ Literacy Rate & Level of Education in Scheduled Caste Population in Bilaspur District (C.G.)<br>* Dr. Manjula Dubey ** Debasis Maji | 11-15 |
| A Comperative Study On Educational Administration Among Private And Govt. School Teachers In Relation To Their Locale<br>* Rajkumar Panda ** Dr. Chandrani Tiwari | 16-18 |
| ✧ The Imapct of Transoprt on Tourism Of Bilaspur Distict (C.G.)<br>* Dr. Prashant Gauraha ** Mr. Nilanjan Roy | 19-23 |
| ✧ Study of the Environmental Awareness of elementary level students in Rural and Urban areas in Bilaspur districts<br>* Nayan Ranjan Panda ** Rajkumar Panda | 24-26 |
| ✧ Comparative Study of Impact Of Infrastructural Facilities On Villages Nimtara & Pand Bilaspur District<br>* Padma Das ** Dr. Manjula Dubey | 27-30 |
| ✧ A study of Multiphasic Interest in Different Class Students"<br>* Smt. Sukanya Panda | 31-34 |
| ✧ वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार<br>* श्रीमती सुजाता सैमुएल ** श्रीमती कांति अंचल | 35-36 |
| ✧ छत्तीसगढ़ विधानसभा की समितियां तथा उनकी भूमिका<br>* डॉ. पी. एल. पटेल | 37 to 40 |
| ✧ महिला प्रताड़ना एवं मानवाधिकार<br>* डॉ. अंजू शुक्ला ** डॉ. स्वाति शर्मा | 41 to 42 |

Educational Waves
Volume VII (III&IV)

July-Dec-2016
Page- 35 to 36

# वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार

* श्रीमती सुजाता सैमुएल ** श्रीमती कांति अंचल

सारांश:

वर्तमान युग में यातायात और संचार के साधनों के तीव्र विकास ने भौगोलिक दूरियों को महत्वहीन कर दिया है, विश्व के किसी भी कोने में होनेवाली किसी महत्पूर्ण घटना की सूचना समूचे विश्व में कुछ क्षणों में ही फैल जाती है और दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुंच अब सरलतापूर्वक संभव है। यातायात और संचार तकनीकी के इस विकास ने कई नवीन आयाम हमारे समक्ष खोले हैं, वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार के बदलते परिप्रेक्ष्य उनमें एक महत्वपूर्ण आयाम है।

**वैश्वीकरण-** जब स्थानीय वस्तुएं या घटनाएं विश्वस्तर पर रूपांतरित होती है, या कोई ऐसी प्रक्रिया गतिषील होती है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलाकर एक समाज बनाते हैं या एक साथ कार्य करते है तो उसे हम वैश्वीकरण की संज्ञा देते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है।'1टॉम जीपॉमर के अनुसार वैश्वीकरण सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों को ह्रास या विलोपन ओर इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र है।'2

नोआम चामस्की के अनुसार वैश्वीकरण सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों का ह्रास या विलोपन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विष्व स्तरीय तंत्र है।'3

शब्द वैश्वीकरण का उपयोग सामाजिक विज्ञान के विद्वानों द्वारा 60 के दशक किया जाता है, इस सैद्धांतिक अवधारणा के प्रचलन का श्रेय अमेरिका के चार्ल्स तेज रसेल को दिया जाता है। वैश्वीकरण सदियों लंबी प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ चीन के हान राजवंश युग से माना जाता है, जब वहां के रेशम व्यापारियों ने पार्थियन साम्राज्य तक और फिर आगे तक आवागमन प्रारंभ किया था, इस्लामी स्वर्ण युग में भी मुस्लिम शोधकर्ताओं और व्यापारियों ने ज्ञान, प्रोद्योगिकी और मानवमूल्यों को विस्तारित करने में योगदान किया।

16 वीं और 17 वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापार के प्रसार द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलती रही और इस प्रक्रिया ने अविकसित देशों की संस्कृतियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनो ही दृष्टियों से दीर्घकालीन प्रभाव छोड़े।

**मानवाधिकार :**

प्रत्येक विकसित या विकासशील समाज में कुछ अधिकारों की पहचान की जाती है, जिनके सभी मानव प्राणी अधिकारी माने जाते हैं, ताकि उनका और समाज का विकास सुचारूढंग से संभव हो सके, इनमें नागरिक और राजनैतिक अधिकार शामिल होते हैं जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि।

मानवाधिकार की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ ही क्रमशः विकसित होती गई है, अनेक प्राचीन ग्रंथो में मानवाधिकार के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते है यथा मदीना का संविधान, अशोक का आदेश पत्र आदि।

स्पष्ट और लिखित रूप से मानवाधिकारों की व्यवस्था आधुनिक समाजों की देन है। ''द ट्वेल्व आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट (1525)'' को प्रथम व्यवस्थित मानवाधिकारों का दस्तावेज माना जाता है। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका और 1789 में फ्रांस में हुई क्रांतियों ने मानवाधिकारों के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा तथा फ्रांस में मनुश्य के अधिकारों की घोषणा से उन देशों में मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं को प्रोत्साहन मिला जहां तानाशाही प्रशासन था।

अधिकतर विद्वान इस तथ्य पर सहमत हैं कि लोकतंत्र जो अब मानवाधिकारों के परिपालन की अनिवार्य शर्त माना जाने लगा है, मुक्त व्यापार की अवधारणा के साथ मिलकर वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि मुक्त व्यापार के माध्यम से संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन संभव होता है, जिसके कारण विकासशील देशों के निवासियों के लिए कम कीमतें, अधिक रोजगार, उच्च उत्पादन और उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति संभव होती है।

इस तथ्य से सभी विद्वान सहमत हैं कि मानवाधिकार तभी संभव है वह व्यक्ति जीविकोपार्जन हेतु सम्मानजनक तरीके से अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आय अर्जन कर सके वैश्वीकरण की बात 20 वीं शताब्दी के अंतिम वर्शों में तेजी से उठी थी और इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1981 से 2001 तक 1 डॉलर या उससे कम पर जीवनयापन करनेवाले लोगों की संख्या 15 अरब से घटकर 11 अरब रह गई है। वास्तव में आलोच्य अवधि में विकासशील देशों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है फिर भी यहां निर्धनतम आबादी का प्रतिशत 40 से घटकर

* सहा. प्राध्यापक ( राजनीति विज्ञान ) शाससकीय महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर
** सहा. प्राध्यापक ( राजनीति विज्ञान ) शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी छग. जिला बिलासपुर छग.

20 रह गया है। वैश्वीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 डॉलर से कम पर जीनेवालों का प्रतिशत बहुत अधिक कम हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गरीबी की दर बहुत अधिक स्थिर बनी हुई है। चीन सहित पूर्वी एशिया में प्रतिषत में 50.1 फीसदी की कमी आई है, जबकि उपसहारा अफ्रीका में 22: की वृद्धि हुई है।

विगत वर्षो में पूरी दुनिया में लोकतंत्र की उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। 1900 में ऐसा कोई राश्ट्र नहीं था जिसके पास सार्वभौमिक मताधिकार हो लेकिन 2000 में ऐसे राष्ट्रों की संख्या विष्व के सभी राश्ट्रों की संख्या का 625: थी। विष्व की श्रम शक्ति में बालश्रम का प्रतिशत 1960 के 24: से गिरकर 2000 में 10: रह गया था। विद्युत व्यवस्था, रेडियो और टेलीफोन के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि हुई है। साथ ही जनसंख्या के एक बड़े भाग को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होने लगी है।

वैश्वीकरण का प्रभाव मानवाधिकारों पर मात्र सकारात्मक ही नहीं रहा है। कई एंसे उदाहरण रहं हैं जहां वैश्वीकरण ने मानवाधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है क्योंकि शक्तिशाली देश अपने राष्ट्रीय बाजारों जहां अधिकतम नियंत्रण उनके नागरिकों को होता है को बचाने की कोशिश करते है। विकासषील और पिछड़े देशों का अधिकतर निर्यात खनिज संसाधनों और कृषि उत्पाद के रूप में होता है और विकसित देष चूंकि अपने उत्पादकों को सब्सिडी देते है, विकासषील देष के कृषक उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाते और उन्हें अपने उत्पाद कम दामों पर बेचने पड़ते है, साथ ही उनके खनिज संसाधन विकसित देश कम कीमत पर खरीदते है और तैयार माल ऊंची कीमत पर उन्हे ही बेचते हैं साथ ही सस्ते श्रम के रूप में विकसित देश विकासशील देशों के श्रमिकों का शोषण भी करते है और वास्तव में वैश्वीकरण विकसित देषों के पक्ष में अधिक कार्य करता दिखाई देता है। नतीजतन विश्व में अमीर देशों की आय बढ़ती जा रही हे और निर्धन देश सेवकों की कतार में खड़े होते जा रहे है। निम्न चार्ट विश्व में तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता को बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित करता है।

**निष्कर्ष :**

यह सत्य है कि वैश्वीकरण का अधिकतम लाभ विकसित देशों के निवासियों ने उठाया है, साधनहीन देषों के नागरिकों का विकसित साधन संपन्न देशों के नागरिकों से सीधी स्पर्धा में पिछड़ना स्वाभाविक ही है।

दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि प्रतियोगिता की भावना, दूसरों को देखकर सीखना और अपनी स्थिति से असंतोश मानवमात्र की स्वाभाविक भावना है। वैश्वीकरण ने एक देश के नागरिकों को दूसरे देषो के नागरिकों के निकट आने के कई अवसर उपलब्ध कराए हैं, विभिन्न देषो की जीवन षैलियां जीविकोपार्जन के तरीकों और सांस्कृतिक वैषिष्ट्य को समूचे विष्व के सामने प्रकट किया है। ''राज्य पृथ्वी पर ईष्वर का अवतरण है'' या ''पोप धरती पर ईष्वर का प्रतिनिधि है'' जैसी अवधारणाएं अब प्रासंगिक नहीं रही हैं।

वैश्वीकरण ने मानवाधिकारों को प्रभावित किया है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष रहे है। यदि विकासशील और पिछड़े देशों के नागरिक एक साथ खड़े हो और विश्वबंधुत्व की भावना से कार्य करें तो वैश्वीकरण में नकारात्मक पक्ष सीमित होंगे और यह मानव सभ्यता के सकारात्मक विकास में सर्वाधिक मूल्यवान उपादान सिद्ध होगा।

संदर्भ :


1. शैला एन क्रोचर - वैश्वीकरण और संबंध : एक बदलती हुई दुनिया की पहचान की राजनीति रोमैन और लिटिल फील्ड (2004) प0
2. टॉम जी. पॉमर - वैश्वीकरण महान है - काटो संस्थान
3. जीनेट, कार्पोरेट वैश्वीकरण, कोरिया और अन्तर्राष्ट्रीय मामले, चूंगआंग मासिक 22 फरवरी 2006
4. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1992, मानव विकास रिपोर्ट, 1992 (न्यूयार्क - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)

Arabian Journal of Chemistry (2016) 9, 400–407

King Saud University
Arabian Journal of Chemistry
www.ksu.edu.sa
www.sciencedirect.com

ORIGINAL ARTICLE

# Synthesis and ion conduction mechanism on hot-pressed sodium ion conducting nano composite polymer electrolytes

Angesh Chandra [a,*], Archana Chandra [a,b], K. Thakur [c]

[a] Department of Applied Physics, Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur 492 015, Chhattisgarh, India
[b] Dr. C.V. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India
[c] Department of Chemistry, Govt. Pataleswar College, Masturi 495 551, Chhattisgarh, India

Received 5 October 2012; accepted 13 July 2013
Available online 20 July 2013

KEYWORDS
Nano-composite polymer electrolytes;
Ionic conductivity;
XRD;
FTIR;
SEM;
DSC

**Abstract** Synthesis and ion conduction studies on $SiO_2$ dispersed hot-pressed sodium ion conducting nano-composite polymer electrolytes $(100 - x)[70PEO:30NaHCO_3] + xSiO_2$, where $x$ is in wt.%, are reported. The nano-composite polymer electrolytes (NCPEs) are cast by the dispersion of nano-filler $SiO_2$ using a hot-press method in place of the traditional solution-cast technique. The effect of nano-filler $SiO_2$ is characterized with the help of some basic ion transport parameters viz. ionic conductivity, ionic mobility, mobile ion concentration and activation energy measurements. The material characterization and polymer–salt/$SiO_2$ complexation are reported with the help of XRD, FTIR, SEM, DSC and TGA studies. Based on SPE host and NCPE OCC, a solid state polymeric battery fabrication and cell-potential discharge characteristics are also reported at different load conditions.

© 2013 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of King Saud University.

## 1. Introduction

Ion conducting materials comparable to liquid/aqueous electrolytes, show great technological promises as potential electrolyte systems for the development of all solid-state electrochemical devices viz. batteries, fuel cells, super-capacitors, memories, electrochromic displays etc. (Van Gool, 1973; Mahan and Roth, 1976; Chandra, 1981; Laskar and Chandra, 1989; Maier, 2000; Maier et al., 2006). A large number of solid state ionic materials in different phases such as crystalline/polycrystalline, glassy/amorphous, composite, ceramic, polymeric etc. and involving a variety of mobile ionic species viz. $H^+$, $Li^+$, $Ag^+$, $Cu^+$, $Na^+$, $F^-$, $O^{2-}$ etc. have been discovered in the last 3–4 decades. Among the known superionic materials, polymeric electrolytes, the conventional as well as micro/nano composites, attracted widespread attention in recent times. The polymer electrolyte membranes are the most

* Corresponding author. Tel.: +91 7712120555; fax: +91 7712120666.
E-mail address: chandrassi@gmail.com (A. Chandra).
Peer review under responsibility of King Saud University.

Production and hosting by Elsevier

1878-5352 © 2013 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of King Saud University.
http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.07.014

Dr. Chaturvedi

ISSN : 0975-3664 UGC : 41386 RNI : U.P.BIL/2012/43696

Year : 2018 Year : JUNE Vol. : 2

# शोध - धारा

# SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

**Grade 'A' Impact Factor 5**

शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित

**Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan**

**Orai (Jalaun) U.P.**

| | | |
|---|---|---|
| १९. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका | [illegible] कुमार मिश्र | 78-82 |
| २०. अरविंद अडिगा के उपन्यास 'द व्हाइट टाइगर' में राष्ट्र विकास का चिंतन | डॉ० सविता त्रिपाठी | 83-88 |
| २१. राष्ट्र निर्माण में संस्कृत की भूमिका | श्रीमती उत्तरा निराला<br>श्री रामकुमार सिंह कंवर | 89-92 |
| २२. पूर्व मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य और राष्ट्रीय एकता | डॉ० (श्रीमती) उषा तिवारी<br>डॉ० आर.के. तिवारी | 93-96 |
| २३. राष्ट्र के विकास में हिन्दी भाषा की भूमिका | डॉ० सत्येन्द्र कुमार [illegible]<br>श्री अनिल कुमार [illegible] | 97-99 |
| २४. राष्ट्र के निर्माण में भाषा का योगदान | डॉ. रश्मि अंसारी<br>डॉ. [illegible] | 100-102 |
| २५. राष्ट्र विकास में छायावादी कवियों का योगदान (महात्मा गांधी के संदर्भ में) | श्रीमती भारती कुमार | 103-105 |
| २६. राष्ट्रभाषा की अवधारणा एवं हिन्दी | डॉ० मधुमति सरोटे | 106-108 |
| २७. राष्ट्र विकास में कविता का योगदान | डॉ० (श्रीमती) राजश्री चतुर्वेदी | 109-111 |
| २८. हिन्दी कविता में जनवादी चेतना | डॉ. (श्रीमती) जयश्री शुक्ल | 112-114 |
| २९. राष्ट्र विकास में साहित्य चिंतन | श्रीमती श्वेता शर्मा | 115-118 |
| ३०. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन (भारतेन्दु युग के विशेष सन्दर्भ में) | लक्ष्मी प्रसाद रूप | 119-124 |
| ३१. राष्ट्रीय चेतना का संवाहक : साहित्य | डॉ० शशि अवस्थी | 125-127 |
| ३२. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन | डॉ. अलका पंत | 128-131 |
| ३३. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (कौटिल्य के विशेष संदर्भ में) | असीम बाजपेयी | 132-135 |
| ३४. राष्ट्रविकास राजनीति एवं प्रशासन की दृष्टि से | डॉ० गोमती सिंह | 136-140 |
| ३५. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन | ईश्वरी बृजवासी सूर्यवंशी | 141-143 |
| ३६. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन | डॉ० आभा तिवारी<br>डॉ० एम.एस. तवांगी | 144-147 |
| ३७. राष्ट्र के विकास में सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन का स्वरूप | श्रीमती अर्चना दीवान<br>डॉ. (श्रीमती) कविता ठक्कर | 148-150 |
| ३८. राष्ट्र विकास में वैज्ञानिक चिंतन | अली हसन | 151-152 |
| ३९. विकास, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून | डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव | 153-159 |
| ४०. राष्ट्र निर्माण में सतत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एक आकलन | श्रीमती सीमा जायसी<br>डॉ० रवीन्द्र जायसी | 160-167 |
| ४१. राष्ट्र विकास का पर्यावरणीय चिंतन | डॉ० कावेरी दाभडकर | 168-172 |
| ४२. पर्यावरणीय राष्ट्रवाद | डॉ० के.आर. महाजन | 173-176 |
| ४३. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका | श्रीमती करुणा नायकवाड | 177-180 |
| ४४. ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों | डॉ० सुजाता सेमुअल | 181-184 |

सुसगठित राष्ट्र का निर्माण करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाह्य क्षेत्र मे भी अपनी प्रतिभा [illegible] कर स्वय को राष्ट्र के हित मे समर्पित कर देती है। महारानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि [illegible] साहसिक कार्य इसके प्रमाण है।

सल्तनत एव मुगलकाल मे भी समय–समय पर शासन की बागडोर, स्त्रियों के हाथ मे रही [illegible] अकबर की आया, माहम अंगा ने लगभग ०५ वर्षो तक शासन प्रबंध पर अपना नियंत्रण बनाये रखा [illegible] बीबी ने अहमद नगर पर कुशलतापूर्वक शासन किया। जहाँगीर की बेगम नूरजहाँ ने भी कुशल [illegible] शासन का सचालन किया। वीर शिवाजी की माता जीजा बाई ने शिवा जी को सब प्रकार की शिक्षा– [illegible] देकर वीर सेनानी तथा कुशल प्रशासक भी बना दिया। नारी जहाँ कोमल हृदय, सहनशील, [illegible] है वही उतनी ही कर्म कठोर, साहसी, प्रत्युत्पन्नमति व अपने उत्तरदायित्व को निभाने में दक्ष [illegible]

इतिहास के पृष्ठ बताते है कि सहस्त्राब्दी की प्रथम सदी में उत्तरी राज्य कश्मीर का [illegible] प्रशासन रानी दिशा के हाथ था। दक्षिण में उत्का देवी ने १०१५ ई० में, रानी मैला देवी ने १०५० ई० [illegible] रानी कुकुम देवी ने १०७६ ई० मे तथा रानी लक्ष्मी देवी ने ११०० ई०में चालुक्य प्रशासन में महत्व[illegible] भूमिका निभायी थी। राजपूताने में राजकुमारियो एवं रानियों ने शासन कुशलता के साथ–साथ युद्ध [illegible] भी जौहर दिखाये। महारानी कुंर्मा देवी ने ११६५ ई० में कुतुबुद्दीन के आक्रमण के समय उससे डट[illegible] लोहा लिया। राणा सॉगा की विधवा महारानी कर्मवती ने युद्ध में बहादुरशाह के दॉत खट्टे कर दिये [illegible] राजपूत वीरागनाओ मे संयोगिता, पदमिनी, कर्णावती आदि नारियों के शौर एवं बलिदान की गाथाओं [illegible] भारतीय इतिहास आप्लावित है।

राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है सृष्टि का निर्माण ही बिना नारी के संभव नही है। प्रसिद्ध दार्शनि[illegible] देवी के अनुसार "ईश्वर के बाद हम सबसे अधिक ऋणी नारी के है। पहले तो स्वयं अपने जीवन [illegible] लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए। वास्तव में नारी एक ज्योति है जो हम[illegible] मुसीबत रूपी अधेरे को अपने स्नेह, त्याग एवं समर्पण से दूर करती है।"

भारत के छोटे से छोटे राज्य में भी महिलाओ ने समाज सुधार अन्दोलनों में अपनी महत्वपू[illegible] भूमिका निभायी है। उत्तराखण्ड का चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने के विरूद्ध एक सशक्त [illegible] था। प्रत्येक महिला एक पेड से चिपकी और पेड़ काटने नही दिया। इसकी नेत्री थी श्रीमती गौरा [illegible] दूसरा सफल आन्दोलन था आन्ध्रप्रदेश का अरक विरोधी आंदोलन, क्योकि नशे से परिवार नष्ट हो [illegible] थे। इसे भी महिलाओं ने चलाया, इसी तरह तीसरा आंदोलन था मणिपुर में शराब के विरोध में [illegible] भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही।

समाज व राष्ट्र के निर्माण मे महिलाओं की भूमिका को लेकर चिन्तन में एक विश्वव्यापी बदला[illegible] आया है। महिलाये भी इस चिन्तन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र मे पुरुष[illegible] से कधा से कधा मिलाकर अपनी अन्तर्निहित क्षमता का प्रमाण दे रही हैं। चाहे वह खेत खलिहानो म[illegible] हटाने का कार्य हो या लड़ाकू विमानो की पायलट बन सीमा रक्षा करने का दायित्व हो या मा [illegible] बन गृहस्थी को सवारने का क्षेत्र हो।

भारत मे नारी ने विकास के हर क्षेत्र मे अपनी सफलता के झंडे गाडे है। जैसे गायन मे [illegible] मगेशकर, समाज सेवा मे मदर टेरेसा, खेलकूद में पी.टी.उषा, मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा [illegible]

आदि, एवरेस्ट पर फतह हासिल करने में बछेन्द्रीपाल (उत्तराखण्ड निवासी) प्रथम आई.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी, बाँध विरोधी नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा स्रोत मेधा पाटकर, वैज्ञानिक डॉ. उषा वाराणसी (अमेरिका के प्रेसीडेंसीयल रैंक अवार्ड से सम्मानित), स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, एयर मार्शल पदमावती बंद्योपाध्याय, कैप्टन लक्ष्मी सहगल (डॉक्टर सेनानी) परखनली शिशु निर्माता डॉ. इन्दिरा हिन्दूजा, रेल ड्राइवर सुरेखा यादव, टैक्सी ड्राइवर तारा क्षेत्री, दमकल कर्मी मीनाक्षी विजय कुमार, एम.डी.सी.ई.ओ. एक्सिस बैंक शिखा शर्मा, एम.डी. चेयर पर्सन बायोकॉन किरन एम.शॉ, पर्यावरणविद, वंदना राय आदि ने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से पूरे राष्ट्र को अदम्य साहस का परिचय दिया।

महिला नेतृत्व के क्षेत्र में भारत दुनिया के सभी देशों से आगे है। यहाँ लगभग सभी शीर्ष पदों पर महिलाए काबिज हैं। वर्तमान समय में सुषमा स्वराज (विदेश मंत्री) सुमित्रा महाजन (लोकसभा अध्यक्ष) निर्मला सीतारमन् (रक्षामंत्री) वसुन्धरा राजे (मुख्यमंत्री राजस्थान) ममता बैनर्जी (मुख्यमंत्री प.बंगाल) आदि ने कमान संभाली है। जीवन का कोई भी चित्र बिना महिलाओं के रंग से नहीं बन सकता है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को ७३ वे व ७४ वे संविधान संशोधन द्वारा एक निश्चित प्रतिनिधित्व देकर ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। परिणामस्वरूप पंचायतों व नगर प्रतिनिधि सभाओं में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं ने अपनी सकारात्मक व सक्रिय भूमिका निभायी है। इस तरह समाज व राष्ट्र का कोई भी क्षेत्र महिलाओं के योगदान से अछूता कहा है।

इस तरह वेद ऋचायें रचने वाली, शास्त्रार्थ में जमने वाली, रण–कौशल दिखलाने वाली, जौहर–चिता सजाने वाली भी भारत की नारी ही है।

## संदर्भ


१ शर्मा, प्रज्ञा; महिला विकास और सशक्तिकरण अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर ३०२००३ (राज.) प्रथम संस्करण – २००१

२ शर्मा, प्रज्ञा; भारतीय समाज में नारी, पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर ३०२००३ (राज)प्रथम संस्करण २००१

३ सिंह डॉ.निशांत; भारतीय महिलाऐं एक सामाजिक अध्ययन, ओमेगा पब्लिकेशन्स दिल्ली, संस्करण– २०१०।

४ एस. डॉ.अखिलेश; शुक्ल, डॉ.संध्या, भारतीय नारी कल और आज, गायत्री पब्लिकेशन, रीवा (म.प्र.) प्रथम संस्करण २०१२।

MUL/03051/2012 UGC Approved Sr.No.41012 Vidyawarta® Oct. To Dec. 2018 Issue-28, Vol-03 0139
ISSN: 2319 9318

35

# सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा का जनांकिकीय अध्ययन

डॉ. के. आर. मतावले
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी,
जिला — बिलासपुर (छ.ग.)

**********

किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन जनांकिकीय अध्ययन कहलाता है। सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा के जनांकिकीय अध्ययन के अन्तर्गत जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, वैवाहिक स्तर, व्यावसायिक संरचना एवं जाति संरचना आदि विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। उपर्युक्त विशेषताएं संसाधनों की उपयोगिता एवं ग्राम विकास को प्रभावित करते हैं। सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला के मस्तूरी विकासखण्ड के देवगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है । ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह ग्राम काफी प्राचीन लगता है । खुड़भाठा के उत्तर में जयराम नगर, दक्षिण में देवगांव, पूर्व में पाराघाट एवं पश्चिम में मोहतरा ग्राम स्थित है । यहां ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जय स्तम्भ है जो सतनाम धर्म के अनुयायिओं के लिये सत्य का प्रतीक है ।

सर्वेक्षित ग्राम में निवास करने वाले लोग बहुत ही शांतिप्रिय एवं व्यवहार कुशल है । यहां का इतिहास बहुत ही गर्वपूर्ण है । यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । यहां औद्योगिक विकास शिक्षा, शुद्ध पेयजल, सड़क एवं आवश्यक सुविधा का विकास होना अभी शेष है । अर्थात् यह विकास की दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है । जो एक मुख्य चिन्ता का विषय है ।

वर्तमान समय में युवा लोग मोबाईल, लेपटॉप एवं कम्प्यूटर जैसे आधुनिक तकनीकी की ओर आकर्षित हो रहे है । यहां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ा विकास हुआ है जो यहां का वास्तविक विकास है।

सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा के जनांकिकीय अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों एवं आरेख आदि का उपयोग किया गया है।

सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा मस्तूरी विकासखंण्ड के देवगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह ग्राम २१.५९'३१'' उत्तरी अक्षांश तथा ८२.१६'४'' पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है । यह ग्राम २७१.७९ हैक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या १२१८ है । व्यक्तिगत सर्वेक्षण वर्ष २०१८ के अनुसार यहां की जनसंख्या १२९३ है । इस प्रकार पिछले आठ वर्षो में यहां की जनसंख्या में ७५ व्यक्तियों की वृद्धि हुआ है । जो कुल जनसंख्या का ६.१६% है । खुड़भाठा के आसपास बेलटुकरी, भिलाई, भनेसर, पाराघाट, जयरामनगर, मोहतरा, देवगांव, हिर्री कोहरौदा एवं रिस्दा स्थित है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा का भौगोलिक जनसंख्या घनत्व ४.७६ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है जबकि २०११ में यहां का जनसंख्या का घनत्व ४.५ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था । यहां कुल जनसंख्या का ५१.२८ % पुरूष एवं ४८.७२ % महिला जनसंख्या निवास करती है । यहां कुल जनसंख्या का लगभग ५७.०७ % व्यक्ति शिक्षित है ।

ग्राम पंचायत देवगांव के आश्रित ग्राम खुड़भाठा ०७ वार्डो में विभाजित है । यहां की कुल जनसंख्या १२९३ है । जिसमें पुरूष जनसंख्या ६६३ एवं महिला जनसंख्या ६३० है । पुरूषों की अपेक्षा महिला जनसंख्या कम है । यह कमी लगभग ४.५२ प्रतिशत है ।

सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा में कुल १९६ परिवार निवासरत है । कुल परिवार का २५% परिवार अनुसूचित जाति एवं लगभग ८% परिवार अनुसूचित जनजातियां एवं ६५% परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग का है । अर्थात् यह ग्राम पिछड़ा वर्ग की बाहुलता वाला ग्राम है । यहां लिंगानुपात प्रति १०० पुरूशों पर ९५ महिला है ।

१. जनसंख्या का वितरण —मानव अपनी मनोवृत्ति

से ही गत्यात्मक एवं सृजनशील रहा है । प्रकृति के नियमों के अनुसार विकास एवं ह्रास क्रमिक प्रक्रिया है, जबकि मानव प्रकृति का ही एक अंग है, स्वयं के चिंतन की प्रकृति के अनुसार निर्णय लेकर विशेष प्रकार के विकास अथवा ह्रास का कार्य करता रहता है। मानव एक बुद्धिमान एवं क्रियाशील प्राणी है । इन दोनों गुणों के कारण मानव भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े पैमाने पर करने लगा है । जनसंख्या प्रबंधक, उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कृषि विकास का महत्वपूर्ण घटक है । जनसंख्या वृद्धि का भी कृषि विकास पर गहन प्रभाव पड़ता है । जनसंख्या की प्रकृति के अनुसार कृषि विकास, कृषि उत्पादकता, खाद्यान्न पदार्थों की उपलब्धता एवं पोषण स्तर आदि कारक प्रभावित होते है ।

जनगणनाएं जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के महत्वपूर्ण तथा सबसे वृद्ध एवं विश्वसनीय स्रोत है । इन जनगणनाओं में जो आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं वे केवल जनांकिकी महत्व के ही नहीं होते बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नृत्वशास्त्रीय महत्व के भी होते है । २०११ की जनगणना के अनसुार सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा की कुल जनसंख्या १२१८ है जो देवगांव ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या का ४३.३९ है । सर्वेक्षण वर्ष २०१८ के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या १२९३ है । इस प्रकार पिछले ०८ वर्षो में यहां की कुल जनसंख्या में ६.१६ % की वृद्धि हुई है । यहां कुल ६६३ पुरूष एवं ६३० महिला जनसंख्या निवास करती है । जो यहाँ की कुल जनसंख्या का क्रमशः ५१.२८ % एव.४८.७२ % है। वार्डवार जनसंख्या का वितरण सारणी क्रमांक १.१ एवं आरेख क्रमांक १.१ से स्पष्ट है ।

**सारणी क्र. — १.१**

**सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा — वार्डवार जनसंख्या का वितरण २०१८**

| वार्ड क्र. | पुरूष | महिला | कुल जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| १ | १६२ | १४४ | ३०५ | २३.५९ |
| २ | ११४ | ९३ | २०७ | १६.०१ |
| ३ | ८९ | १०७ | १९३ | १४.९३ |
| ४ | ८८ | ९४ | १८२ | १४.०७ |
| ५ | ५५ | ६३ | ११८ | ९.१० |
| ६ | ७६ | ६८ | १४४ | ११.१४ |
| ७ | ७३ | ६१ | १३४ | १०.३६ |
| योग | ६६३ | ६३० | १२९३ | १०० |

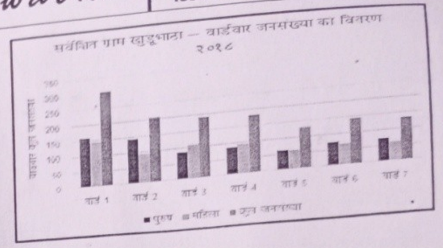


आरेख क्रमांक : १.१

**२. जनसंख्या घनत्व :** — जनसंख्या घनत्व का आशय किसी क्षेत्र व प्रदेश के क्षेत्रफल तथा उसके जनसंख्या के पारस्परिक अनुपात से है । अर्थात् जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग ईकाई भू—भाग पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा का २०११ में जनसंख्या घनत्व ४.५ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो २०१८ में बढ़कर ४.७६ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया । इस प्रकार इन आठ वर्षो में यहां की जनसंख्या घनत्व में ०.२६ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुआ है । जनसंख्या घनत्व में वृद्धि न्यून है ।

**३. लिंगानुपात :—**

लिंगानुपात का आशय किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या में सभी आयु वर्गो की कुल महिला व पुरूषों के अनुपात से है । लिंगानुपात क्षेत्र विशेष के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक दशाओं को ज्ञात करने का महत्वपूर्ण सूचकांक है । तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिये उपयोगी साधन है । बिलासपुर जिला के मस्तूरी विकासखण्ड में अन्य विकासखण्डों के समान अधिकांश कृषि कार्य मानवीय श्रम पर आधारित है । अतः यहां लिंगानुपात का सर्वाधिक महत्व है । इसी प्रकार सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा जो मस्तूरी विकासखण्ड का एक ग्राम है । यहां की सभी कृषि कार्य मानवीय श्रम के द्वारा होता है । फलस्वरूप लिंगानुपात का महत्व यहां भी अधिक है क्योंकि यहां की प्रमुख कृषि फसल धान है, जिसमें क्रियाशील श्रमिकों में से अधिक संख्या महिला श्रमिकों की होती है । लिंगानुपात का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि, विवाह तथा व्यावसायिक संरचना जैसे अन्य जनांकिकी गुणों पर भी पड़ता है । यहां लिंगुनपात की गणना प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं

की संख्या के रूप में किया गया है । सर्वेक्षित खुड़ूभाठा में लिंगानुपात प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ९५ है जबकि २०११ में यहां प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ९९ (९८.६९) थी । अर्थात् इन आठ वर्षो में लिंगानुपात में कमी आया है जबकि बिलासपुर जिला में यह अनुपात १००:९८ है । इसी प्रकार मस्तूरी विकासखण्ड में लिंगानुपात प्रति १०० पुरूषो पर महिलाओं की संख्या ९८ (९८.६८) थी । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में लिंगानुपात में कमी आने का मुख्य कारण बेटी के प्रति उदासीनता, गरीबी जन्म के समय सही देखभाल नहीं हो पाना कुपोषण आदि इत्यादि है ।

यहां जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को समझाने की आवश्यकता है । जिससे वह बेटी के महत्व को समझ सके । जब तक वह अंदर से जागृत नहीं होगा तब तक बेटी को बचाना संभव नहीं है । अतः उसे अंदर से जागृत करना होगा तभी लिंगानुपात में वृद्धि होगा, महिला जनसंख्या बढ़ेगी, बेटा—बेटी में समानता कायम रहेगी ।

शिशु लिंगानुपात का आशय है कि ०—४ वर्ष की पुरूष शिशुओं में महिला शिशुओं की संख्या । लिंगानुपात में कमी होने का मुख्य कारण शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होना । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में शिशु लिंगानुपात प्रति १०० पुरूष शिशुओं पर महिला शिशुओं की संख्या ९१ है । अर्थात् ०८ महिला शिशुओं की कमी है । २०११ में यहां शिशु लिंगानुपात प्रति १०० पुरूष शिशुओं पर ८६ महिला शिशु था । अर्थात् इन ०८ वर्षो में मात्र ०५ महिला शिशुओं की वृद्धि हुआ है जबकि मस्तूरी विकासखण्ड में यह अनुपात १००:९६ है । इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में अपेक्षाकृत महिला शिशुओं की कमी है।

लिंगानुपात से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है । विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव जाति में पहले से अब तक के समय में प्रजनन क्षमता घट रहा है जिसका असर आने वाले दिनों में मानव की जनसंख्या पर पड़ेगा । क्या हम लोग वन संरक्षण या शेर की संरक्षण की बात कर रहे हैं, मानव के ही एक प्रकार है महिला लेकिन हम सामाजिक बुराईयों के कारण अपनी बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं । अगर आंकड़ों को देखे तो आने वाले समय में महिलाओं को विवाह करने में परेशानी नहीं होगी *क्योंकि उनकी संख्या कम है ।* एक अमेरिकन मैगजीन के सर्वे के अनुसार भारत में २०४० के बाद लड़कों के लिंग शादी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उस समय सबसे कम लड़कियों की संख्या होगी भारत में शादी करने के लिये । अतः हमें लिंगानुपात पर ध्यान देना आवश्यक है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं की योजनाओं को जन—जन तक पहुंचाना है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा, मस्तूरी एवं बिलासपुर जिले में प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या सारणी क्रमांक १.२ तथा शिशु लिंगानुपात सारणी क्रमांक १.३ से स्पष्ट है।

सारणी क्रमांक १.२

लिंगानुपात (प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)

| स्थान | पुरूष | महिला | लिंगानुपात | सन |
|---|---|---|---|---|
| खुड़ूभाठा | ६१३ | ६०५ | ९९ | २०११ |
| | ६६३ | ६३० | ९५ | २०१८ |
| मस्तूरी | १४५५७० | १४३६५१ | ९८ | २०११ |
| बिलासपुर | ९९९८१८ | ९६५६४८ | ९८ | २०११ |

सारणी क्रमांक १.३

शिशु लिंगानुपात (०—६ वर्ष)

प्रति १०० शिशुओं पर महिला शिशुओं की संख्या

| | पुरूष | महिला | लिंगानुपात | सन |
|---|---|---|---|---|
| खुड़ूभाठा | ५३ | ५८ | ९१ | २०१८ |
| | १०० | ८६ | ८६ | २०११ |
| मस्तूरी | २२७८० | २१८४५ | ९६ | २०११ |
| बिलासपुर | | | ९८ | २०११ |

४. आयु संरचना :— आयु मानव की क्षमता का सूचकांक होता है । मानव की आयु उसकी

आवश्यकताओं, कार्यक्षमता तथा विचारों को प्रभावित करता है । आयु समाज में मानव के एक विशेष समूह के योगदान को दर्शाता है । भविष्य में जनसंख्या की आवश्यकताओं का निर्धारण भी इसके वर्तमान आयु संरचना के आधार पर होता है । जैसे — क्षेत्र विशेष में शिक्षा सुविधाओं की भविष्य में क्या रूपरेखा होगी इसकी गणना वर्तमान में जनसंख्या की आयु संरचना से भलीभांति कर सकते है । यही कारण है कि जनसंख्या की आयु संरचना का विश्लेषण भविष्य की योजनाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । इतना ही नहीं बल्कि आयु श्रम शक्ति का आकार, उत्पादक, आयु वर्ग की निर्भरता बोझ तथा जनसंख्या की प्रवास की प्रवृत्ति को भी निर्धारित करती है ।

**सारणी क्रमांक १.४**

**सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा :— आयु संरचना, २०१८**

| आयु वर्ग | महिला | प्रतिशत | पुरूष | प्रतिशत | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ०—४ | ५३ | ८.४ | ५८ | ८.७४ | १११ | ८.५८ |
| ५—९ | ६८ | १०.७९ | ६७ | १०.१० | १३५ | १०.४४ |
| १०—१४ | ६८ | १०.७९ | ८० | १२.०६ | १४८ | ११.४५ |
| १५—१९ | ६६ | १०.४७ | ७१ | १०.७० | १३७ | १०.५९ |
| २०—२४ | ५७ | ९.०४ | ६१ | ९.२० | ११८ | ९.१२ |
| २५—२९ | ५८ | ९.२० | ७२ | १०.८५ | १३० | १०.०५ |
| ३०—४ | ३९ | ६.१९ | ४० | ६.०३ | ७९ | ६.११ |
| ३५—३९ | ५२ | ८.२५ | ४९ | ७.३९ | १०१ | ७.८१ |
| ४०—४४ | ३५ | ५.५५ | ३२ | ४.८२ | ६७ | ५.१८ |
| ४५—४९ | २६ | ४.१२ | ३४ | ५.१३ | ६० | ४.६४ |
| ५०—५४ | २४ | ३.८० | २३ | ३.४७ | ४७ | ३.६३ |
| ५५—५९ | २७ | ४.२८ | १३ | १.९६ | ४० | ३.१० |
| ६० से अधिक | ५७ | ९.०४ | ६३ | ९.५० | १२० | ९.२८ |
| Total | ६३० | १०० | ६६३ | १०० | १२९३ | १०० |

उपर्युक्त सारणी क्रमांक १.४ से यह स्पष्ट है कि ०—१४ आयु वर्ग में यहां की कुल जनसंख्या का ३०.४७ प्रतिशत है। इसी प्रकार ६० से अधिक आयु वर्ग के अंतर्गत ९.२८ प्रतिशत जनसंख्या है । आयु संरचना पिरामिड के आधार एवं शीर्ष अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है । इससे यह स्पष्ट है कि यहां आश्रित जनसंख्या अधिक है । अर्थात् कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित जनसंख्या का अधिक होना न्यून जीवन स्तर का द्योतक है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा की आयु संरचना को चार आयु वर्गों में विभाजित किया है जो इस प्रकार से है :—

**१. बालक आयु वर्ग (०—१४ आयु समूह) :—** इस आयु वर्ग के अंतर्गत १५ वर्ष से कम आयु के बालक, बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है । इस वर्ग की जनसंख्या पूर्णतः आश्रित होती है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में इस आयु समूह के अंतर्गत कुल ३९४ बालक—बालिका है, जो कुल जनसंख्या का ३०.४७ प्रतिशत है । जिसमें बालकों की संख्या १४.६२ १५.८५ प्रतिशत तथा बालिकाओं की संख्या १४.६२ प्रतिशत है । यहां बालकों की संख्या कुल पुरूष जनसंख्या का ३०.९२प्रतिशत तथा बालिकाओं की संख्या कुल महिला जनसंख्या का ३०.००प्रतिशत है । यहां आश्रितों की संख्या अधिक है, इसका मुख्य कारण उच्च जन्मदर एवं न्यून मश्त्यु दर है । यहां का हर २.४४ व्यक्ति २० से कम आयु का है । यह इस बात का प्रतीक है कि यहां की जनसंख्या अभी अपनी शैशव अवस्था में है । यहां की कुल जनसंख्या का ४१.०७प्रतिशत जनसंख्या की आयु २० वर्ष से कम है । ०—१४ आयु समूह में लिंगानुपात प्रति १०० बालकों पर ९२.२ बालिकाएं है । अर्थात् लिंगभेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है ।

**२. युवा आयु वर्ग (१५—३९ आयु समूह) :—** युवा वर्ग देश का भविष्य है । यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से उत्पादक एवं जैव शारीरिक दृष्टि से पुनरूत्पादक होता है । यह वर्ग सबसे अधिक क्रियाशील तथा गतिशील होता है। यहां इस वर्ग के अंतर्गत कुल जनसंख्या का ४३.७० प्रतिशत जनसंख्या है। जो अन्य आयु समूहों से अधिक है । यहां युवा आयु वर्ग की जनसंख्या बालक आयु वर्ग की जनसंख्या से लगभग १३ प्रतिशत अधिक है । इस आयु वर्ग में भी जनसंख्या पुरूष प्रधान है । प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ९२.८३ है । इस आयु वर्ग की भी अनेक समस्याएं है जैसे — शिक्षा, शीघ्र विवाह, बेरोजगारी आदि ।

**३. प्रौढ़ आयु वर्ग — (४०—५९ आयु समूह)**

:—प्रौढ़ आयु वर्ग तक पहुंचते—पहुंचते व्यक्ति काफी अनुभवी समझदार एवं जीवन मूल्यों के महत्व को समझने लगता है । तथा युवा वर्ग को अपने अनुभव का लाभ हस्तांतरित करते हैं । यहां इस वर्ग के अंतर्गत कुल जनसंख्या का १६.५५ प्रतिशत जनसंख्या है । अर्थात् इस वर्ग में जनसंख्या अचानक कम हो जाती है । इस आयु वर्ग में लिंगानुपात प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ११० है । जो अन्य सभी आयु वर्गो से अधिक है । इस आयु वर्ग की जनसंख्या युवा वर्ग की जनसंख्या का ३७.८७ प्रतिशत है । इस कमी का मुख्य कारण जीवन प्रत्याशा का निम्न होना है । महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों में जीवन प्रत्याशा कम है ।

**४. वृद्ध आयु वर्ग — (६० से अधिक)** :—इस आयु में व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम पायदान पर होता है । जो युवा वर्ग एवं प्रौढ़ आयु वर्ग पर आश्रित होता है । इस आयु वर्ग में व्यक्ति के पास ज्ञान एवं कार्य अनुभव सबसे अधिक होता है । अतः इसी वर्ग में प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्यो का संचालन होता है । इस वर्ग के अंतर्गत यहां जनसंख्या १२० है जो कुल जनसंख्या का ९.२८ प्रतिशत है तथा लिंगानुपात प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ९० है । अर्थात् पुरूषों से महिलाओं की संख्या कम है । इसका मुख्य कारण पुरूष प्रधान समाज है । महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है । भर—पेट भोजन नहीं मिल पाता है तथा स्वास्थ्यगत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता । फलस्वरूप समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता । फलस्वरूप महिलाओं का जीवन स्तर निम्न एवं मृत्युदर अधिक होने लगता है ।

**५. निर्भरता अनुपात** :—आयु संरचना में परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से एवं अति अल्प मात्रा में होता है । जनांकिकी संक्रमण की अवस्था में परिवर्तन से ही आयु संरचना में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है ।

निर्भरता अनुपात ज्ञात करने के लिये आयु सूचकांक ज्ञात किया जाता है । आयु सूचकांक तीन प्रकार से ज्ञात किये जाते

हैं :—

१. पराश्रित अनुपात =

२. शिशु आश्रित अनुपात =

३. वृद्ध आश्रित अनुपात =

इस सूचकांक को निर्भरता अनुपात कहा जाता है । इससे युवा और प्रौढ़ जनसंख्या पर शिशुओं और वृद्धों का भार ज्ञात होता है । यह केवल अनुत्पादक आयु समूहों का उत्पादक आयु समूह से अनुपात को व्यक्त करता है । यह जनसंख्या के वास्तविक भार को स्पष्ट नहीं करती बल्कि किसी जनसंख्या के वृहद् आर्थिक निर्भरता की ओर संकेत करती है। सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में निर्भरता अनुपात ६६ प्रतिशत है । अर्थात् तथा शिशु निर्भरता अनुपात ५१ प्रतिशत है । अर्थात् निर्भरता अनुपात मध्यम से उच्च बना हुआ है । फलस्वरूप बचत एवं पूंजी विनियोग कम हो रहा है तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रहा है । उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुआ है लेकिन इस प्रकार की वृद्धि ग्राम विकास में बाधक है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास धीमी गति से हो रहा है । यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, फलस्वरूप निर्भरता अनुपात अपेक्षाकृत मध्यम से उच्च बना हुआ है ।

**६. शैक्षणिक स्तर** :—जनसंख्या अध्ययन में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है । किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं राजनैतिक स्तर उसके नागरिकों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर निर्भर करता है । शिक्षा मानव के सामाजिक एवं मानसिक पृथक्कीकरण को समाप्त करता है । शिक्षा जन्म—मृत्यु दर, विवाह की आयु एवं आर्थिक स्वरूप को भी प्रभावित करता है । साक्षरता एक सांस्कृतिक उपलब्धिं है, जो मानव को वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण करती है । एक समाज कितना सभ्य व सुसंस्कृत है तथा नये विचारों को कितना शीघ्रता के साथ ग्रहण करता है यह उसकी शिक्षा तथा शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है ।

"Literacy it one important characteristics of Population. The degree of education in a community is a good measure of it"s progress to words modernization."

राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षरता से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी भाषा में एक साधारण संदेश को समझकर पढ़ लिख

सकने की क्षमता रखता है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में शिक्षा का स्तर सारणी क्रमांक १.५ से स्पष्ट है।

**सारणी क्रमांक १.५**

**सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा : शैक्षणिक स्तर (२०१८)**

| शैक्षणिक स्तर | पुरूष | प्रतिशत | महिला | प्रतिशत | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राथमिक | १३२ | ३०.२० | ११७ | ३८.८७ | २४९ | ३३.७४ |
| मिडिल | १०७ | २४.४८ | ६८ | २२.५९ | १७५ | २३.७१ |
| हाईस्कूल | ७९ | १८.०७ | ५३ | १७.६१ | १३२ | १७.८९ |
| हायर सेकेण्डरी | ७१ | १६.२५ | ४० | १३.२९ | १११ | १५.०४ |
| स्नातक | ४१ | ९.३८ | २० | ६.६४ | ६१ | ८.२६ |
| स्नातकोत्तर | ०७ | १.६० | ०३ | ०.९९ | १० | १.३६ |
| योग | ४३७ | १०० | ३०१ | १०० | ७३८ | १०० |
| साक्षरता दर | ६५.७१ | | ४७.७८ | | ५७.०८ | |

सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में साक्षरता दर ५७.०८प्रतिशत है जबकि जनगणना वर्ष २०११ में यहां साक्षरता दर ५९.७९प्रतिशत था । मस्तूरी विकासखण्ड में साक्षरता का दर ५७ प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य में साक्षरता का दर ७०.२८प्रतिशत था । इससे यह स्पष्ट होता है कि यहां की साक्षरता दर राज्य की तुलना में साक्षरता दर में २.७१प्रतिशत की कमी हुआ है । इस कमी का मुख्य कारण गरीबी एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता है । सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि यहां पुरूष साक्षरता दर ६५.७१प्रतिशत एवं महिला साक्षरता ४७.७८प्रतिशत है । जबकि २०११ में पुरूष साक्षरता दर ७२.७१प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर ४७.०१प्रतिशत था । वर्तमान समय में पुरूष साक्षरता दर में ६.८०प्रतिशत दर्ज हुआ है । गरीबी के कारण यहां के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में असमर्थ होते हैं । फलस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मे सहयोग के लिये अपने बालकों को अन्य कार्यो में संलग्न कर देते हैं । यह एक सोचनीय विषय है । अतः शासन–प्रशासन को इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है ।

यहां का शैक्षणिक स्तर का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या कुल साक्षर जनसंख्या का ३३.७४प्रतिशत है । मिडिल स्तर तक २३.७१प्रतिशत, हाईस्कूल तक १७.८९प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी तक १५.०४प्रतिशत, स्नातक स्तर तक ८.२६प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर तक १.३६प्रतिशत है । अर्थात जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ने लगता है वैसे–वैसे साक्षरता का दर कम होने लगा है । बड़ी मुश्किल से ०१प्रतिशत तक लोग उच्च शिक्षा स्तर तक पहुंच पाता है । कुल साक्षरता का ५७.४५प्रतिशत लोग प्राथमिक व मिडिल स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर पाते है ।

प्राथमिक स्तर में महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से अपेक्षाकृत अधिक है । शेष अन्य स्तरों में महिला साक्षरता में कमी हुआ है । विशेषकर हायर एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में महिलायें कांफी पीछे है । इसका मुख्य कारण कम उम्र में विवाह हो जाना एवं महिला शिक्षा के प्रति उदासीनता इत्यादि।

**७. व्यावसायिक संरचना** :—जीविकोपार्जन के लिये किया जाने वाला उत्पादक आर्थिक कार्यो को व्यवसाय कहते है । इससे क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की आर्थिक विशेषताएं स्पष्ट होती है तथा उस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास के स्तर का भी पता चलता है कि वह क्षेत्र कृषि प्रधान, पशुपालन अथवा उद्योग प्रधान है । व्यावसायिक संरचना लिंगानुपात आवास एवं आयु के अनुसार परिवर्तनशील होती है । अतः किसी भी जनसंख्या में श्रमिकों की सहभागिता का अनुपात जनसंख्या की आयु संरचना लिंगभेद, कार्यो की उपलब्धता और कार्य करनें की इच्छा शक्ति आदि कारकों से निर्धारित होता है । जनगणना वर्ष १९८१ में सर्वप्रथम कार्यशील जनसंख्या के विषय में सविस्तार सूचना प्राप्त की गई। उक्त जनगणना में कार्यशील जनसंख्या की संकल्पना की गई।

**१. मुख्य कार्यशील जनसंख्या** — मुख्य कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत वे श्रमिक सम्मिलित होते है जो दोनों कृषि ऋतुओं में कम से कम ६ माह कार्यरत रहते हैं । जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का ५८.२९प्रतिशत है । शेष ४१.७१प्रतिशत जनसंख्या अक्रियाशील है । जो क्रियाशील जनसंख्या पर पूर्णरूपेण

आश्रित है । कुल कार्यशील जनसंख्या में पुरूषों की सहभागिता एवं महिलाओं की सहभागिता ५०. ५६प्रतिशत है ।

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में मुख्य कार्यशील जनसंख्या ३६० है जो कुल कार्यशील जनसंख्या का ५०.७०प्रतिशत है। जिसमें पुरूषों की सहभागिता ६३. ३३प्रतिशत एवं महिलाओं की सहभागिता ३६. ६६प्रतिशत है अर्थात् मुख्य कार्यशील जनसंख्या में पुरूषों की सहभागिता अधिक है जो समाज में पुरूष प्रधानता को उजागर करता है।

**२. सीमांत कार्यशील जनसंख्या** —भारतीय जनगणना में सर्वप्रथम १९८१ की जनगणना में इसकी गणना मुख्य कार्यशील जनसंख्या से अलग रूप में की गई है । सीमांत कार्यशील जनसंख्या उसे कहते हैं जो वर्ष मे १८३ दिन से कम दिनों के लिये उत्पादक कार्यो में संलग्न रहते है । सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में सीमांत कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र २८.७४प्रतिशत है । जिसमें पुरूषों की सहभागिता ३५.१४प्रतिशत एवं महिलाओं की सहभागिता ६४. ८६प्रतिशत है । अर्थात् सीमांत कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं की सहभागिता अधिक है । वह इसलिये कि इसमें कृषि श्रमिकों की अधिकता होती है । जिसमें महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है क्योंकि यहां की मुख्य फसल धान है । धान की उत्पादन में कृषि श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है । अतः महिलाओं को छः माह के लिये रोजगार उपलब्ध हो जाता है, शेष समय में गृहणी का कार्य करती है ।

**३. मुख्य कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गो में वितरण** —अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल लेबर स्टैटिस्टिक्स १९९३ के अनुसार भारत में १९९१ में कार्यशील जनसंख्या को विभिन्न वर्गो में विभाजित किया गया था । सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में मुख्य कार्यशील जनसंख्या के विभिनन व्यावसायिक वर्गो में कृषक व कृषि श्रमिकों का प्रतिशत गैर श्रमिकों से अधिक है । मुख्य कार्यशील जनसंख्या का लगभग ८८प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यो में संलग्न है । यह प्रतिशत २०१८ के व्यक्तिगत सर्वेक्षण में ९०प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है । कृषि कार्यो में संलग्न जनसंख्या की अधिकता का मुख्य कारण कृषि ही जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है । इसके अतिरिक्त जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर का अधिक होना भी है ।

**सारणी क्रमांक १.६**

**सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा : कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यावसायिक वर्गो में वितरण २०११**

| कार्य | पुरूष | प्रतिशत | महिला | प्रतिशत | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य कार्यशील जनसंख्या | २२८ | ६३.३३ | १३२ | ३६.६६ | ३६० | ५०.७० |
| सीमांत कार्यशील जनसंख्या | १२३ | ३५.१४ | २२७ | ६४.८६ | ३५० | ४९.३० |
| कुल कार्यशील जनसंख्या | ३५१ | ४९.४४ | ३५९ | ५०.५६ | ७१० | ५८.२९ |
| कुल अकार्यशील जनसंख्या | २६२ | ५१.५७ | २४६ | ४८.४३ | ५०८ | ४१.७१ |
| कुल कृषक | | | | | १४२ | ३९.४४ |
| कुल कृषि मजदूर | | | | | १७५ | ४८.६१ |
| अन्य कार्यशील जनसंख्या | | | | | ४३ | ११.९५ |

**१.कृषक** :—कृषक से तात्पर्य एक ऐसे श्रमिक (पुरूष व महिला) से है जो भूमि पर कृषि कार्य करता है । स्वामित्व व अन्य प्राप्त अधिकारों के अनुसार कृषक तीन प्रकार के होते है — (अ) वे कृषक जो स्वयं भूमि के स्वामी होते है । स्वयं कृषि करते है और उनका सराकर से सीधा संपर्क होता है । (ब) वे कृषक जिन्हें भूमि पर स्वामित्व अधिकार तो प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन भूमि पर कृषि कार्य करने के अधिकार प्राप्त होते है । (स) वे कृषक जो भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं कृषि कार्यो के करने की उत्पादन लागत वहन करते हैं लेकिन इन्हें भूमि पर काश्तकारी अधिकारों के संबंध में कोई निश्चितता प्राप्त नहीं होती है । सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में कृषकों की संख्या कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का ३९.४४ प्रतिशत है ।

**२.कृषि मजदूर** :—कृषि व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को कृषि मजदूर कहते हैं । जे.बी. क्लार्क के अनुसार "धन का सृजन करने वाला मानवीय प्रयास श्रम कहलाता है ।" १९९१ के जनगणना के अनुसार" कृषि मजदूर उस व्यक्ति को माना जाता है जो मुद्रा अथवा वस्तु के रूप में मजदूरी प्राप्त करने के लिये दूसरे व्यक्ति की भूमि पर कार्य करता है । ऐसे व्यक्ति

को खेती की कोई जोखिम नहीं होती है ।'' सीमांत व लघु कृषक अपने कृषि कार्य करने के पश्चात् मध्यम व बड़े कृषकों के खेतों में मजदूरी करते हैं । इसके अतिरिक्त भूमिहीन व्यक्ति वर्ष भर कृषि मजदूरी अथवा अन्य कार्य मजदूरी पर करते हैं । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में कृषि मजदूरों की संख्या कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का ४८.६१ प्रतिशत है । कृषि मजदूरों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है । यहां की मुख्य फसल धान है जिसकी निंदाई–गुड़ाई में महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है ।

**३.अन्य कार्यशील जनसंख्या** :–इसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यो में संलग्न जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है । जैसे विनिर्माण, मरम्मत व रखरखाव, कुटीर उद्योग, निर्माण कार्यो, व्यापार व वाणिज्य परिवहन, भंडार व संचार एवं शासकीय एवं अशासकीय सेवाएं जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य सम्मिलित है । अन्य कार्यो में संलग्न जनसंख्या ही आर्थिक विकास को संबल प्रदान करता है । यहां इस कार्य में संलग्न जनसंख्या कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का मात्र ११.९५ प्रतिशत है ।

**८. प्रवास** :–मानव एक गतिशील प्राणी है, वह स्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को आना–जाना करते हैं । प्रवास अक्सर लंबी दूरी का ही होता है लेकिन लोग अपने देश या प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते इसलिये आंतरिक प्रवास की संभावना रहती है । मानव पलायन पूरे विश्व में एक समान है । प्रवास एक व्यक्ति के रूप में, परिवार विशाल समूह के रूप में होता है । प्रवास कई प्रकार के होते हैं – जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक, वार्षिक, अर्द्धवार्षिक एवं साप्ताहिक व दैनिक आदि । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में प्रादेशिक, आंतरिक, दैनिक व अर्द्धवार्षिक प्रवास होता है । यहां जीविका का मुख्य साधन कृषि है । कृषि फसल करने के पश्चात रोजगार की तलाश में यहां के लोग अपने घर–बार छोड़कर परिवार सहित गांव व प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेश के चले जाते है । फिर कृषि फसल की बोवाई के समय अपने गांव वापस आ जाते है। इस प्रकार आंतरिक प्रवास चलता रहता है ।

कुछ लोग प्रतिदिन रोजगार की तलाश में जिला मुख्यालय बिलासपुर एवं विकासखण्ड मुख्यालय मस्तूरी आना–जाना करते है । उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये कुछ लोगों का प्रवास होता है । अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति के लिये भी लोगों का प्रवास विकासखण्ड मुख्यालय तक होता है ।

ग्रामीण जनसंख्या शीघ्रता से नगरों की ओर भाग रहा है क्योंकि अच्छे जीवन की तलाश हर व्यक्ति को रहता है । जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि की समाप्ति होना, भूमिहीन कृषक, गरीबी की समस्या अधिक मजदूरी की इच्छा, नगरों का आकर्षण, बेरोजगारी आदि अनेक कारण है ।

भारत शासन द्वारा इन प्रवासों को रोकने के लिये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है । जैसे – भारत निर्माण मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकमुश्त सहायता, सूक्ष्म एवं लघु अवधि ऋण योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एंव विकलांग सहायता योजना आदि । किन्तु इन योजनाओं का अभी तक कोई खास प्रभाव नजर नहीं आता । अभी भी गांवों से पलायन जारी है जो एक चिंता का विषय है ।

इन समस्याओं के निवारण के लिये शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है । तभी इसका लाभ गांव वालों को मिल सकता है । गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये भ्रष्टाचार को रोकना होगा जिससे गांवों के विकास के पैसों का दुरूपयोग ना हो सके । पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि सरकार से जो पैसा गांवों में भेजा जाता है उस १ रूपये में से जनता को मात्र २० पैसे ही मिलते.हैं बाकी बीच में ही समाप्त हो जाता है इसलिये इस ओर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है ।

**९. वैवाहिक स्तर** :–विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या समाजशास्त्रीय संस्था है । यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है । यह मानव प्रजाति के सांतत्य को बनाये रखने का मुख्य जीवशास्त्री माध्यम है। वैयक्तिक

AH MUL/03051/2012 ISSN: 2319 9318 UGC Approved Sr.No.41012 Vidyawarta® Oct. To Dec. 2018 Issue-28, Vol-03 

दृष्टि से विवाह पति–पत्नी की मैत्री और साझेदारी है। दोनों के सुख, विकास और पूर्णता के लिये आवश्यक सेवा, सहयोग, प्रेम और नि:स्वार्थ त्याग के अनेक गुणों की शिक्षा वैवाहिक जीवन से मिलती है। सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा की वैवाहिक स्तर सारणी क्रमांक १.७ से स्पष्ट है ।

**सारणी क्रमांक १.७**

**सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा : वैवाहिक स्तर २०१८**

| वैवाहिक स्तर | पुरूष | प्रतिशत | महिला | प्रतिशत | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विवाहित | ३२० | ४८.४२ | ३३१ | ५३.६४ | ६५१ | ५०.१७ |
| अविवाहित | ३४२ | ५२.५१ | २९३ | ४६.३६ | ६३४ | ४९.०३ |
| विधुर / विधवा | २३ | २.०० | ३२ | ५.०६ | ४५ | ३.४८ |
| योग | ६६१ | १०० | ६३२ | १०० | १२९३ | १०० |

सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा के वैवाहिक स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग ५१ प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। जिसमें से कुल जनसंख्या का ४८प्रतिशत पुरूष एवं कुल महिला जनसंख्या ५४प्रतिशत महिलायें विवाहित है । अर्थात् पुरूषों की अपेक्षा महिलायें अधिक विवाहित है । अत: इनमें जीवन प्रत्याशा अधिक है । यहां कुल जनसंख्या का ४९प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है । जिसमें अविवाहित पुरूषों की संख्या कुल पुरूष जनसंख्या का लगभग ५२: है एवं महिला जनसंख्या का ४६प्रतिशत है । इससे यह स्पष्ट है कि यहां बालिकाओं का कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जा रहा है । जिसका समाज पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है । विधुर एवं विधवा जनसंख्या कुल जनसंख्या का ३.४८प्रतिशत है । जिसमें विधवाओं की संख्या कुल महिला जनसंख्या का ०५प्रतिशत है। जबकि विधुर जनसंख्या कुल पुरूष जनसंख्या का मात्र ३प्रतिशत है ।

**१०. जातीय संरचना** :—जाति सिर्फ सामाजिक संरचना नहीं है । यह मोटा–मोटी समय द्वारा जांची परखी जा चुकी आर्थिक संरचना भी है । जाति उत्पादन के आदिम स्तर पर वर्ग का नाम है । सामाजिक चेतना का इस तरह से संयोजन करने वाली पद्धति है । भारतीय संविधान जाति को भेदभाव के स्रोत के रूप में देखता है और असमानता की इस रूढ़ि को जड़ से मिटाने के लिये संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई है । यह परिकल्पना की गई है कि भारत के सामाजिक जीवन में जाति व्यवस्था एक अपवाद है, जो धीरे–धीरे समाप्त हो जायेगा । अर्थात् भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को एक जाति–विहीन नागरकि के रूप में स्वीकार करता है और किसी भी प्रकार के जाति सूचक संबंधों को स्वीकार नहीं करता । यद्यपि संविधान में जाति के आधार पर असमानता को मिटाने का संकल्प स्पष्ट है । भारतीय संविधान के अनुसार समाज में चार प्रकार के वर्ग समाहित है । देश, प्रदेश व जिला के समान इस सर्वेक्षित ग्राम में भी समाज चार वर्गो में बंटा हुआ है । ये चार वर्ग है — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति । यहां विभिन्न जातियों या वर्गो की जनसंख्या सारणी क्रमांक १.८ से स्पष्ट है :—

छत्तीसगढ़ राज्य के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ४२ जाति समूह और अनुसूचित जाति के अंतर्गत ४४ जाति समूह अधिसूचित किये है ।

**१.अनुसूचित जाति** —सन् १९३१ में पहली बार उस समय के जनगणना आयुक्त माननीय जे.एच.हटन ने संपूर्ण भारत के अस्पृश्य जातियों की जनगणना की और बताया कि भारत में ११०८ अस्पृश्य जातियां और वे सभी जातियां ''हिन्दू धर्म के बाहर'' है । इसलिये इन जातियों को ''बहिष्कृत जाति'' कहा गया है । उस समय के प्रधानमंत्री रैम्से मैक्डोनाल्ड ने देखा कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन की तरह ''बहिष्कृत जातियां'' एक स्वतंत्र वर्ग है और ये सभी जातियों का हिन्दू धर्म में समाविष्ट नहीं है, इसलिये उनकी एक सूची तैयार की उस सूची में समाविष्ट जातियों को ही अनुसूचित कहा जाता है ।

**सारणी क्रमांक १.८**

**सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा : जाति संरचना २०१८**

| वर्ग | परिवारों की संख्या | पुरूष | प्रतिशत | महिला | प्रतिशत | कुल | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | ५४ | १७० | २५.६४ | १६० | २५.४० | ३३० | २५.५२ |
| अनुसूचित जनजाति | १५ | ४९ | ७.३९ | ४८ | ७.६२ | ९७ | ७.५० |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | १२० | ४३० | ६४.८५ | ४०८ | ६४.७६ | ८३८ | ६४.८१ |
| सामान्य वर्ग | ०७ | १४ | २.२२ | १४ | २.२२ | २८ | २.७१ |
| योग | १९६ | ६६३ | १०० | ६३० | १०० | १२९३ | १०० |

इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा ''अनुसूचित जाति अध्यादेश १९८५'' के अनुसार कुछ सुविधाएं दी गई है । इसी आधार पर भारत सरकार ने ''अनुसूचित जाति अध्यादेश १९३६'' जारी कर आरक्षण की सुविधा प्रदान की । तत्पश्चात् इसमें कुछ संशोधन कर अनुसूचित जाति अध्यादेश १९५० पारित कर आरक्षण का प्रावधान किया गया

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में अनुसूचित जातियों का कुल ५४ परिवार निवासरत है जो यहां निवासरत कुल परिवारों का २७.५५प्रतिशत है। यहां अनुसूचित जातियों की कुल संख्या ३३० है, जो कुल जनसंख्या का २५.५२प्रतिशत है । जिसमें पुरूषों की संख्या कुल पुरूष जनसंख्या का २५.६४प्रतिशत एवं महिला जनसंख्या कुल महिला जनसंख्या का २५.४०प्रतिशत है । इसका अर्थ यह है कि यहां के विकास में अनुसूचित जातियों की सहभागिता लगभग एक चौथाई है । अनुसूचित जातियों में मुख्य रूप से सतनामी एवं सूर्यवंशी है । अधिकांश अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । रोजगार की तलाश में इधर—उधर भटकते रहते है । खरीफ मौसम के पश्चात् रोजगार की तलाश में प्रदेश के बाहर चले जाते है । ईंट भट्ठा एवं अन्य कार्यो में मजदूर के रूप में कार्य करते है । शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है । अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ९४ है ।

**२.अनुसूचित जनजाति** —''भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२५) में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा ऐसी जनजातियों अथवा जनजातीय समुदाय अथवा ऐसे जनजातियों समुदायों के भाग अथवा उनके भीतर के समूहों के रूप में की गई है, जिन्हें अनुच्छेद ३४२ के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों होना माना गया है ।

भारत की जनजातियां ही यहां की आदिवासी तथा मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है । इनके जीवन—यापन का ढंग वर्तमान में भी प्राचीन पद्धतियों से ही संचालित होता आ रहा है । वर्तमान समय में कुछ जनजातियों ने स्थायी ढंग से कृषि, पशुपालन आदि कार्यों में रूचि लेना प्रारंभ कर दिया है । किन्तु इनकी अधिकांश जनसंख्या शिकार करने, मछली पकड़ने लकड़ी काटने आदि कार्यो द्वारा ही जीवन निर्वाह करती है । — राल्फ लिंटन''

भारतीय जनजातियों की विद्वानों द्वारा अलग—अलग नामों से संबोधित किया गया है, जैसे — आदिवासी पहाड़ी जनजातियां, जंगली आदिवासी, प्राचीन जनजाति आदि भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है । भारतीय जनजातियों का मूलस्रोत प्रोटो आस्ट्रेलियॉड तथा मंगोल प्रजातियों को माना जाता है । इनका एक अन्य स्रोत नीग्रिटों प्रजाति भी है जिसके निवासी अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी विद्यमान है । छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजतियां — कोरकू, झील, बैगा, गोड़, अगारिया, भारिया, कोरवा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेशिया, हल्बा अतरा, माडिया, सहारिया, कमार, कंवर आदि।

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में अनुसूचित जनजातियों की कुल १५ परिवार निवास करते है । इनकी कुल जनसंख्या ९७ है । जो यहां की कुल जनसंख्या का ७.५०प्रतिशत है । २०११ की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या ८३ थी जो कुल जनसंख्या का ६.८१प्रतिशत थी । इस प्रकार पिछले ०८ वर्षो में मात्र ०.६९प्रतिशत की वृद्धि हुई है । अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ९७.९६ है । ये लोग काफी पिछड़े हुए है, इन्हें राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। बिलासपुर जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का २१.९०प्रतिशत है ।

**३.अन्य पिछड़ा वर्ग** —अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ—साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है । भारतीय संविधान में ओबीसी को सामाजिक और

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318 **UGC Approved Sr.No.41012** Vidyawarta® | Oct. To Dec. 2018 Issue-28, Vol-03 | 0149

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में किया है और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये जैसे—ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में २७ प्रतिशत आरक्षण दिया है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में अन्य पिछड़ा वर्ग कें अंतर्गत १२० परिवार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं । यहां इनकी जनसंख्या ८३८ है जो यहां की कुल जनसंख्या का लगभग ६५प्रतिशत है तथा लिंगानुपात प्रति १०० पुरूषों पर महिलाओं की संख्या ९५ है । इस वर्ग के अंतर्गत पुरूष ४३० एवं महिलायें ४०८ है जो कुल पुरूष व महिला जनसंख्या का क्रमशः ६४.८५ व ६४. ७६प्रतिशत है । अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कृषि एवं कृषि मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते है । कुछ परिवारों के पास अपना स्वयं का रोजगार है जैसे — किराना दुकान, पान ठेला, मनियारी सामान का दुकान, स्टेशनरी, सब्जी—भाजी का ठेला, चाय—नाश्ता सेंटर इत्यादि । कृषि, मजदूरी से आर्थिक लाभ अधिक नहीं पाता है इसलिए रोजगार की तलाश में नगरों की ओर एवं प्रदेश से बाहर अर्थात अन्य प्रदेशों की ओर प्रयास करते है ।

सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा में अन्य सामान्य वर्ग के मात्र ०७ परिवार निवासरत है जिनकी कुल जनसंख्या मात्र २८ है । जिसमें १४ पुरूष एवं १४ महिलायें है । इन लोगों की भी आर्थिक स्थिति कोई खास नहीं है । ये लोग भी आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए है लेकिन संगठिन होने के कारण समाज में वर्चस्व है ।

इन उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यहां के लोग काफी पिछड़े हुए है, गरीबी में जीवन—यापन कर रहे हैं । राज्य की विकास योजनाओं का लाभ यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है । अतः ग्रामीण विकास योजनाओं को घर—घर पहुंचाना है । इसके लिये जन—जागृति की आवश्यकता है तभी इस सर्वेक्षित ग्राम का विकास हो सकता है ।

**११. सांस्कृतिक स्तर** —संस्कृति व्यावसायिक पर्यावरण का बहुत ही जटिल एवं गूढ़ घटक है। संस्कृति के विभिन्न आयामों को भलीभांति समझना उत्पाद—विकास, उत्पाद प्रोत्साहन, व्यावसायिक रणनीति, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सामाजिक, राजनैतिक पर्यावरण के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विशेषतायें व्यवसाय को प्रगतिशील रणनीति बनाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । ई.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार ''संस्कृति वह जटिल, समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं व आदतों को शामिल किया जाता है, जो मनुष्य द्वारा समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त की जाती है । संस्कृति मानव की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है, जिसकी सहायता से वह पीढ़ी—दर—पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है । संस्कृति के अभाव में मानव समाज की रचना संभव नहीं है । संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जिसे भौतिक तथा अभौतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है । लॉबी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते है ।

**१.भौतिक संस्करति** —भौतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखे तो सर्वेक्षित ग्राम खुड़ूभाठा एवं इसके समीपी ग्रामों जैसे — मोहतरा, कोसमडीह, जयरामनगर, परसदा आदि क्षेत्रों में चूने का पत्थर एवं डोलोमाइट मिलता है । इसका उपयोग सीमेन्ट उद्योगएवं लौह इस्पात उद्योग में होता है । खुड़ूभाठा एवं समीपी ग्रामों में क्रेसर उद्योग संचालित है।

यहां परिवहन साधनों के रूप में मोटर साइकिल, साइकिल व बैलगाड़ी है । जिससे लोगों का आवागमन सुगम हो जाता है । यहां से लगभग २ कि.मी. की दूर पर जयराम नगर रेल्वे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है।

देश, प्रदेश व किसी क्षेत्र विशेष के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा निरक्षरता व अज्ञानता है । विकास के विभिन्न .. को समझने, अपनाने, परंपराओं से हटकर आर्थिक कार्यों में नवीन प्रक्रियाओं को अपनाने एवं एक सजग नागरिक बनने के लिये शिक्षा पहली आवश्यकता है और उसका पहला चरण है साक्षरता । यहां एक प्राथमिक शाला तथा एक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है । यहां ०—५ वर्ष के बालक—बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ५ वर्ष से अधिक आयु के बालक—बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्राथमिक स्कूल भेजते है ।

**२. अभौतिक संस्कृति (मानवीय संस्कृति)** —

इस संस्कृति में सामान्यतः सामाजिक विरासत से प्राप्त विश्वास, विचार, व्यवहार, प्रथा, रीति–रिवाज, मनोवृत्ति, ज्ञान, साहित्य, भाषा, संगीत धर्म, नैतिकता इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है । ये पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे चलती रहती है तथा प्रत्येक पीढ़ी में इसका अर्जन व परिमार्जन संभव होता है । सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा में अनेक धर्मावलंबियों, प्रथाओं एवं रीति–रिवाज के लोग निवासरत है । यहां सतनाम पंथ, इसाई एवं हिन्दू धर्म के अनुयायी है । इन लोगों की प्रथाएं एवं रीति–रिवाज अलग–अलग है । यहां सतनाम पंथ के अनुयायियों के लिये जयस्तंभ एंव हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिये अनेक देवी–देवताओं का पूजा स्थल स्थापित है । जहां पर लोग अपनी–अपनी प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं तथा ग्राम के सभी लोग मिल–जुलकर एक–दूसरे के त्यौहारों को मनाते हैं । जैसे १८ दिसम्बर गुरूघासीदास जयंती, दशहरा, दीपावली एवं होली आदि ।

संदर्भ :–

१. Davis Kingsley – Population of India and Pakistan Prinection University Press, 1951, P- 150-

२. अनुसूचित जाति,अध्यादेश १९३५, १९३६ एवं १९५०.

३. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२५)

४. बदे – संस्कृति एवं व्यवसाय २४ जून २०१७

❑❑❑

36

# केदारनाथ अग्रवाल का अनूदित साहित्य

संतोष नागरे
सहा.प्रा.- हिन्दी विभाग,
र.भ.अट्टल महाविद्यालय गेवराई, जि.बीड

***********

वैश्वीकरण के इस दौर में अनुवाद का महत्व बढ़ रहा है। अनुवादक अनुवाद के माध्यम से दो भाषा, दो प्रदेश, दो राष्ट्र के बीच सेतु बनकर विश्व को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अनुवादक मूल रचनाकार की पीड़ा को आत्मसात करते हुए उसे अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता हैं। एक तरह से अनुवादक अनुवाद के माध्यम से मूल कृति का पुनःसृजन करता है। इसीलिए मूल रचनाकार की तरह अनुवादक को भी वही श्रेय मिलना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल इस संदर्भ में कहते हैं,- "अनूदित होकर प्रत्येक कविता स्वभवतया नई कृति बन ही जाती है।... इसलिए साहित्य में अनुवादकों को भी वही श्रेय और सम्मान प्राप्त होना चाहिए जो मौलिक कृतिकारों को प्राप्त होता है। तभी प्रान्त-प्रान्त की भाषाओं का रचनात्मक साहित्य हिन्दी में उपलब्ध हो सकेगा और इससे देश की आत्मीय एकता और अखंडता स्थापित हो सकेगी। विश्व साहित्य के ग्रंथो का भी इसीलिए हिंदी में अनुवाद होना चाहिए ताकि देश का जन-मानस विश्व के जन-मानस से जुड़कर दुनिया को एक सूत्र में बंधा-संधा देख सके।"

केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील साहित्यधारा के शीर्षस्थ रचनाकार हैं। केदार ने हिंदी साहित्य में कवि, गद्यकार के साथ ही अनुवादक के रुप में भी अपनी पहचान बनायी। केदार ने छात्र जीवन से ही अनुवाद की शुरुआत की। अशोक त्रिपाठी इस संदर्भ में कहते हैं,- "उमर खयाम की रुबाईयों का फिट जेराल्ड ने 'गोल्डन ट्रेजरी' नाम से अनुवाद किया था। उसके कुछ छंदों का अनुवाद केदार जी ने किया जो कालेज मैगजीन में छपा और प्रशंसित भी हुआ।" तत्पश्चात केदार ने विश्वविख्यात कवियों की काव्य-रचनाओं का अनुवाद किया। यह अनुवादित काव्य रचना 'देश-देश की कविताएँ' शीर्षक से १९७० में परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। प्रस्तुत रचना में पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत, मायकोवस्की, वाल्ट ह्विटमैन, अलेक्सी सुरकोव, एजरा पाउंड, याकुब कोलास, मूसा जलील, फिटजेराल्ड,

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. : 41386
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol. 2; P. 173-176

# पर्यावरणीय राष्ट्रवाद

डॉ. के.आर. मतावले
*सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय,* मस्तूरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

*(प्राप्त : १० मई २०१८ )*

**Abstract**

*हम सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण के तत्व हमें प्रभावित करते हैं। यदि पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे सम्पूर्ण क्रिया–कलाप पर पड़ता है। साथ ही मानव के विभिन्न क्रिया–कलाप एवं गतिविधियाँ, चारों ओर व्याप्त पर्यावरण को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है। नैतिक पर्यावरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रकृति के साम्राज्य की वे सभी शक्तियां क्रियाएं तथा तत्व सम्मिलित होते हैं। जिनका प्रभाव मानव, उसके क्रिया–कलापों, भोजन, वस्त्र, आदतों एवं क्षमता आदि पर पड़ता है। व्हाइट और रेनर ने भोगोलिक पर्यावरण के महत्व को इस रूप में व्यक्त किया है–भौतिक वातारण मानव के बड़े समूहों को स्पष्टतः प्रत्यक्ष रूप में प्राथमिक तरीके से प्रभावित करता है। प्रत्येक समूह जनजाति, राज्य, राष्ट्र और पृथ्वी के सभी साम्राज्य पर्यावरण द्वारा सीधे तौर पर सफलता के साथ निरंतर प्रभावित होते हैं। मानव की कोई भी बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया पर्यावरण की सहायता रूकावटें एवं निर्देशों के बिना स्वतंत्र नहीं हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के लिये वही करता है, जो सामाजिक पर्यावरण व्यक्तिगत मनुष्य के लिये। पर्यावरण और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। पर्यावरण है तो राष्ट्र है, पर्यावरण के अवनयन से राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पर्यावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है। चाहे वह भौतिक पर्यावरण हो या सांस्कृतिक। पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और मानव की उच्च आकांक्षा है।*

**[Fig]ure : 00** **References : 04** **Table : 00**

**[Ke]y Words : पर्यावरण और आधुनिक संदर्भ, पर्यावरण और राष्ट्रवाद, पर्यावरण और मानव जीवन**

पर्यावरणीय राष्ट्रवाद को समझने के पहले वहां व्याप्त पर्यावरण को समझना होगा। क्योंकि [पर्या]वरण ही है जो हमें भौतिक एवं सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक सभी रूपों में हमारे क्रिया–कलापों को [प्रभा]वित करते हैं। हम सभी पृथ्वी के धरातल में निवास करते हैं। विश्व जगत के समस्त मानव जाति [पर्या]वरण और राष्ट्रवाद से भली–भांति परिचित हैं। आज वर्तमान समय में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल [स]चार पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, दूरदर्शनों तथा हमारे आस–पास के व्यक्तियों द्वारा प्रायः किया जाता है। [हमा]रे बड़े बुजुर्ग प्रायः कहा करते हैं कि अब वह वातावरण नहीं रहा, जैसा कि पहले था। अब वातावरण [बहु]त ही खराब हो गया है। हमें काफी सूझ–बूझ के साथ स्वस्थ पर्यावरण में अपना कार्य करना चाहिये।

पर्यावरण को परिभाषित करते हुए हर्ष कोविट्स लिखते हैं कि "पर्यावरण सम्पूर्ण वाह्य [परि]स्थितियों और उसका जीव धारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है, जो जैव जगत के विकास चक्र का [नियाम]क है।"

हम सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण के तत्व हमें प्रभावित करते हैं। यदि पर्यावरण [में प]रिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव हमारे सम्पूर्ण क्रिया –कलाप पर पड़ता है। साथ ही मानव की

विभिन्न क्रिया–कलाप एवं गतिविधियां चारों ओर व्याप्त पर्यावरण को भी कुछ हद तक प्रभावित करती है। नैतिक पर्यावरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रकृति के साम्राज्य की वे सभी शक्तियां, क्रियाएं तथा सम्मिलित होते हैं। जिनका प्रभाव मानव, उसकी क्रिया –कलापों भोजन, वस्त्र, आदतों एवं क्षमता आदि पर पड़ता है। व्हाइट और रैनर ने भोगोलिक पर्यावरण के महत्व को इस रूप में व्यक्त किया है– भौतिक वातारण मानव के बड़े समूहों को स्पष्टतः प्रत्यक्ष रूप में प्राथमिक तरीके से प्रभावित करता है। प्रत्येक समूह जनजाति, राज्य राष्ट्र और पृथ्वी के सभी साम्राज्य पर्यावरण द्वारा सीधे तौर पर सफलता के साथ निरंतर प्रभावित होते हैं। मानव की कोई भी बडी महत्वपूर्ण क्रिया पर्यावरण की सहायता रुकावटें या निर्देशों के बिना स्वतंत्र नही है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के लिये वही करता है, जो सामाजिक पर्यावरण व्यक्तिगत मनुष्य के लिये।

पर्यावरण और राष्ट्रवाद एक–दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। पर्यावरण है तो राष्ट्र है, पर्यावरण के अवनयन से राष्ट्र का विकास अवरूद्ध हो जाता है। पर्यावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है। चाहे वह भौतिक पर्यावरण हो या सांस्कृतिक। पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और मानव की उच्च आकांक्षा है।

प्राचीन समय में ब्रिटिश शासन के पहले भारत छोटे–छोटे रियासतों में बँटा हुआ था। सभी रियासत स्वतंत्र थे। पर्यावरण सुदृढ़ था। उस समय एक प्रकार से क्षेत्रीयवाद था। अर्थात् प्रदेशवाद था। मानव अपने रियासतों के बारे में सोचता था। रियासतों का विकास करना चाहता था। एक–दूसरे के के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। व्यक्तियों से मेल–जोल नहीं हो पाता था। किसी भी प्रकार से आचार–विचार एवं आदान–प्रदान नहीं हो पाता था। व्यक्ति राष्ट्र के बारे में सोच नहीं सकता था। इस प्रकार से उस समय राष्ट्रवाद का बीजारोपण नहीं हुआ था। ब्रिटिश के आगमन के पश्चात आवागमन मार्गो एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। तत्पश्चात मानव का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा। आचार विचार का आदान–प्रदान होने लगा। एक अलग पर्यावरण का निर्माण होने लगा, अर्थात् पर्यावरण परिवर्तन होने लगा। इस परिवर्तित पर्यावरण में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ।

राष्ट्रवाद शब्द १४वीं शदी में तब पहली बार अस्तित्व में आया; जब फ्रांस में पहली बार जॉन ऑफ आर्क (सेंट जॉन) ने नारा दियाः 'फ्रांस फाँसीसियों के लिये' और उसने अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ फ्रांस के लोगों को जागृत किया। उपनिवेशिक काल में ये अवधारणा यूरोप से होती हुई दुनिया भर में फैल गई, जिसका मुख्य कारण था यूरोपीय ताकतों द्वारा अपने उपनिवेश देशों का आर्थिक शोषण और वहां के नागरिकों के साथ दोयम या अमानवीय व्यावहार रहा। लोगों को महसूस हुआ कि हमारी इस दशा का कारण विदेशी शासन है। जिसे दूर किये बिना इस अन्याय से छुटकारा नहीं मिल सकता।

भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में देखा जाय तो ब्रिटिश काल से पहले राष्ट्र की अवधारणा नजर ही नहीं आती। सदियों तक विदेशी हमलावर यहां आते रहे और फिर यहीं के होकर रह गये। कई मुस्लिम हमलावर शासक यहीं बस गये और भारतीय मुसलमान कहलाये। विभिन्न राजाओं में आपसी संघर्ष और अधिकाधिक क्षेत्र को अपने अधीन करने की लालसा तो थी पर जनता के मन में कोई राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी। जब ब्रिटिश भारत के शासक बने तो उन्होंने भारत व भारतीय लोगों को हेय दृष्टि से देखा, उन्हें तुक्ष समझना, उनका शोषण करना आदि कारणों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया।

...के माध्यम से एक रियासत के संपर्क में आने लगा, जिससे ...ष्ट्रवाद का विचार बढ़ने लगा। विभिन्न प्रांतों, धर्मो एवं विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ ...गठित होकर राष्ट्र का विकास करने के लिये कटिबद्ध होकर संयुक्त रूप से आजादी के संघर्ष में साथ ...ये। अतः भारत स्वतंत्र होकर एक नवीन राष्ट्र बना। भारत वर्ष के लिये नवीन संविधान का निर्माण हुआ ...ो हम सभी के सर्वागिण विकास के लिये है। इस प्रकार एक गणतंत्र राष्ट्र का अभ्युदय हुआ, जिसमें ...म सभी का विकास निहित है।

जनसंख्या के निरंतर तीव्र वृद्धि के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। ...योंकि बढ़ती जनसंख्या के मूल भूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिये बनों का अंधाधुंध कटाई, संसाध...नों का विदोहन, औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं कृषि भूमि का विकास आदि कारणों से आज पर्यावरण ...संकट में आ गया है। यह समस्या भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में है। आज पर्यावरण अवनयन ...के कारण जल संसाधन भूमि संसाधन एवं वन संसाधन नष्ट हो रहे हैं। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित हो ...रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सम्मेलन ५ जून १६७२ में स्टॉकाहोम में हुआ, जो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पहला सम्मेलन था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्व व्यापी समस्या का समाधान करना था। इस सम्मेलन में ११६ देशों ने पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने के लिये राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा निर्देश दिये गये। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन २६ अगस्त से ४ सितम्बर २००२ तक दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग में सतत् विकास के पक्ष में राजनीतिक प्रतिबद्धता और इसके लिए वास्तविक कदम उठाये जाने की उम्मीदों के साथ आयोजित किया गया।

किसी भी पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण जनसंख्या का तीव्र विकास है, जो प्राकृतिक संसाधनों ओर पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण में गिरावट सतत् विकास को अवरूद्ध कर देती है। जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास भारत में कोई ...म्भीर पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रही है। इनसे भूमि पर भारी दबाव, भूमि क्षरण, वन निवास ...आदि होने लगते हैं। मानव के उपभोगतावाद के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप ...वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और जल प्रदूषण आदि होने लगते हैं। एक ...अनुमान के अनुसार कृषि योग्य भूमि का ६०प्रतिशत भूमि कटाव, जल भराव और लवणता से ग्रसित है ...१९४७ से २००२ के बीच पानी की औसत वार्षिक उपलब्धता प्रति व्यक्ति ७० प्रतिशत कम होकर १८२... ...घन मीटर रह गई है। तथा भूगर्भिक जल का अत्यधिक शोषण हरियाणा पंजाब व उत्तरप्रदेश में एव... ...समस्या का रूप ले चुका है। वनों की कटाई औद्योगीकरण और मोटर वाहन प्रदूषण के साथ मिल क... ...पर्यावरण का तापमान बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप वर्षा का स्वरूप बदलने लगता है और आकाल क... ...आवृत्ति बढ़ जाती है। आज राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण की आवश्यकता है। पर्यावरण अवनयन पर्यावर... ...दूषण वर्तमान समय में एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। इस विश्व स्तरीय समस्या के समाधान के लिये ह...

एक साथ संगठित होकर सामना करने की आवश्यकता है। तभी राष्ट्र का सर्वांगीण वि

समय–समय पर पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिये अनेक वि सम्मेलन एवं संगोष्ठी होते रहे हैं, आज हमे और अधिक संगठित होकर कार्य करने की आवश्यक व्यक्तियों को जागृत करना, उपभोगतावाद की आवृत्ति को कम करना, संसाधनों के अंधाधुंध दो रोकना, सामाजिक प्रदूषण ने नक्सलवाद, आतंकवाद, भाई–भतीजा वाद जातिवाद को जन्म दिया है समूल नष्ट कर पर्यावरण को संरक्षित करना है। तभी राष्ट्र का सर्वागीण विकास संभव होगा। पर्या के स्वच्छ सुन्दर व सुदृढ़ होने से मानव का भविष्य खुशहाल होगा, और यह सब राष्ट्रवाद से ही है। इसके अनेक उदाहरण हैं–जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन, सम्मेलन आदि। अतः विकास के अधिकतर का उपयोग इस प्रकार किया जाय की वर्तमान तथा के विकास तथा पर्यावरण की आवश्यकताएं सामाजिक रूप से पूरी की जा सके। वास्तव में पर्यावरणीय राष्ट्रवाद है।

## संदर्भ


१. शिवानंद, डॉ. गौतम; संसाधन और पर्यावरण।

२. रमेश, चन्द्रप्पा; एवं रवि, डी.आर.; पर्यावरणीय समस्याएं विधि और प्रौद्योगिकी–एक भारतीय परिपेक्ष्य– इंडिया प्रकाशन दिल्ली २००६।

३. नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी १९९५–पानीः आशा की एक कहानी।

४. राव, डॉ. बी.पी.; एवं डॉ. श्रीवास्तव, व्ही. के.;– पर्यावरण और पारिस्थितिकी, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर

ISSN : 0975-3664 UGC : 41386 RNI : U.P.BIL/2012/43696

Year : 2018 Year : JUNE Vol. : 2

# शोध - धारा

# SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

**Grade 'A'** Impact Factor 5

शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित

**Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan**

**Orai (Jalaun) U.P.**

| | | |
|---|---|---|
| १६. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका | अतुल कुमार मिश्र | 83 |
| २०. अरविंद अडिगा के उपन्यास 'द व्हाईट टाईगर' में राष्ट्र विकास का चिंतन | डॉ० सावित्री त्रिपाठी | 89 |
| २१. राष्ट्र निर्माण में संस्कृत की भूमिका | श्रीमती उत्तरा निराला<br>श्री रामकुमार सिंह कंवर | 93 |
| २२. पूर्व मध्ययुगीन हिन्दी–साहित्य और राष्ट्रीय एकता | डॉ० (श्रीमती) उषा तिवारी<br>डॉ० आर.के. तिवारी | 97 |
| २३. राष्ट्र के विकास में हिन्दी भाषा की भूमिका | डॉ० सत्येन्द्र कुमार कश्यप<br>श्री अनिल कुमार नेताम | 100-1 |
| २४. राष्ट्र के निर्माण में भाषा का योगदान | डॉ. रेशमा अंसारी<br>डॉ. कमलेश गोगिया | 103-1 |
| २५. राष्ट्र विकास में छायावादी कवियों का योगदान (महात्मा गांधी के संदर्भ में) | श्रीमती भारती धुमाल | 106-1 |
| २६. राष्ट्रभाषा की अवधारणा एवं हिन्दी | डॉ० मधुमति सरोटे | 109-11 |
| २७. राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान | डॉ० (श्रीमती) राजेश चतुर्वेदी | 112-11 |
| २८. हिन्दी कविता मे जनवादी चेतना | डॉ. (श्रीमती) जयश्री शुक्ल | 115-11 |
| २६. राष्ट्र विकास में साहित्य चिंतन | श्रीमती श्वेता शर्मा | 119-12 |
| ३०. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन (भारतेन्दु युग के विशेष सन्दर्भ में) | लक्ष्मी प्रसाद कर्ष | 125-12 |
| ३१. राष्ट्रीय चेतना का संवाहक : साहित्य | डॉ० शशि अवस्थी | 128-13 |
| ३२. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन | डॉ. अलका पंत | 132-13 |
| ३३. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (कौटिल्य के विशेष संदर्भ में) | असीम बाजपेयी | 136-14 |
| ३४. राष्ट्रविकासः राजनीति एवं प्रबंधन की दृष्टि से | डॉ० गोमती सिंह | 141-14 |
| ३५. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन | ईश्वरी बृजबासी सूर्यवंशी | 144-14 |
| ३६. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन | डॉ० आभा तिवारी<br>डॉ० एम.एस. तंबोली | |
| ३७. राष्ट्र के विकास में संगीतिक और वैज्ञानिक चिंतन का स्वरूप | श्रीमती अर्चना दीवान<br>डॉ. (श्रीमती) कविता ठक्कर | 148-15 |
| ३८. राष्ट्र विकास में वैज्ञानिक चिंतन | अली हसन | 151-152 |
| ३६. विकास, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून | डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव | 153-159 |
| ४०. राष्ट्र निर्माण में सतत् विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन | श्रीमती सीमा जायसी<br>डॉ० रवीन्द्र जायसी | 160-167 |
| ४१. राष्ट्र विकास का पर्यावरणीय चिंतन | डॉ० कावेरी दाभडकर | 168-172 |
| ४२. पर्यावरणीय राष्ट्रवाद | डॉ० के.आर. मतावले | 173-176 |
| ४३. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका | श्रीमती करूणा गायकवाड | 177-180 |
| ४४. ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों | डॉ० सुजाता सैमुअल | 181-184 |

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, 
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol.

# राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान

डॉ० (श्रीमती) राजेश चतुर्वेदी

आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ

(प्राप्त : १० मई २०१८ )

**Abstract**

*समाज का राष्ट्र से सीधा संबंध है। किसी भी संस्कारित समाज की विशिष्ट जीवन शैली होती है, जो कि राष्ट्र के रूप में दूसरे समाज को प्रभावित करती है। रूढ़ियों एवं विकृत परम्पराओं से जर्जर समाज राष्ट्र को जागृति के गान गाकर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता जैसी उदात्त प्रवृत्तियों का पोषण और उन्नयन साहित्य द्वारा होता है। किन्तु हिन्दी साहित्य के उदभव काल में केन्द्रीय सत्ता के अभाव ने राष्ट्रीयता की जड़ें हिला दीं। आक्रांताओं के अत्याचारों से जर्जर भारतीय संस्कृति का सूर्य अस्तप्राय हो चला था।*

Figure : 00 References : 03 Table : 00

**Key Words** : राष्ट्र विकास और साहित्य, साहित्य और राष्ट्र तथा समाज

भारतीय वाङमय में 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होता चला आ रहा है। यजुर्वेद में 'राष्ट्र में देहि' और अथर्ववेद के 'त्वा राष्ट्र भृत्याय' में राष्ट्र शब्द समाज के लिए प्रयुक्त होता है। राष्ट्र एक समुच्चय है, और राष्ट्रीयता एक विशिष्ट–भावना है। जिस जनसमुदाय में एकता की सहज लहर हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। आर्यो की भूमि आर्यावर्त में एक वाहय एकता के ही नहीं बल्कि वैचारिक एकता के भी प्रमाण मिलते हैं। साहित्य का मनुष्य से शाश्वत संबंध है। साहित्य सामुदायिक विकास में सहायक होता है और सामुदायिक भावना राष्ट्रीय चेतना का अंग है।

समाज का राष्ट्र से सीधा संबंध है। किसी भी संस्कारित समाज की विशिष्ट जीवन शैली होती है जो कि राष्ट्र के रूप में दूसरे समाज को प्रभावित करती है। रूढ़ियों एवं विकृत परम्पराओं से जर्जर समाज राष्ट्र को जागृति के गान गाकर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता जैसी उदात्त प्रवृत्तियों का पोषण और उन्नयन साहित्य द्वारा होता है। किन्तु हिन्दी साहित्य के उदभव काल में केन्द्रीय सत्ता के अभाव ने राष्ट्रीयता की जड़ें हिला दीं। आक्रांताओं के अत्याचारों से जर्जर भारतीय संस्कृति का सूर्य अस्तप्राय हो चला था।

महात्मा कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना का उच्च आदर्श प्रस्तुत कर राष्ट्रीय गरिमाओं में नवजीवन का संचार किया। राम और रहीम को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। कबीर अपने युग के महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र भक्त तुलसी ने राम के लोकरक्षक, लोकरंजक स्वरूप को स्थापित कर सांस्कृतिक एकता को शक्ति प्रदान की।

रीतिकाल के कवियों की चमत्कारिक वृत्ति के कारण काव्य की आत्मा लुप्त हो गई। किन्तु भूषण के राष्ट्रवादी स्वरों ने लोक चेतना को झकझोर दिया। आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी वाणी से भारत दुर्दशा का चित्र खींचकर समाज को जागृति प्रदान की। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय आन्दोलनों की स्थूल अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। किन्तु छायावादी कवियों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक

संचेतना को नकारा नहीं जा सकता है। उनका राष्ट्र प्रेम भावात्मक एवं व्यापक था। गुप्त जी ने काव्य द्वारा मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल दिया हैं। उनकी भारत–भारती ने राष्ट्रीयता की भावना में लहरें उत्पन्न कर माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', रामनरेश त्रिपाठी और सोहन द्विवेदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जनजागरण तथा अभियान गीतों से राष्ट्र की आत्मा को एक नई प्रदान की।

दिनकर की वैचारिक भावभूमि मानवतावादी है तथापि उन्हें राष्ट्रवादी कवि के रूप में स्थापित दिया गया। दिनकर के काव्य ने भारतीय जनमानस को नवीन चेतना से सराबोर किया है। दिनकर हिन्दी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊँचाई दी बल्कि अपनी रचनाओं के से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इसकी एक मिसाल सत्तर के दशक में सम्पूर्ण क्रान्ति के दौर देखने को मिलती है, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लो के समक्ष दिनकर जी की पंक्ति 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' का उद्‌घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। मौजूदा दौर के मशहूर कवि प्रेम जनमेजय भी मानते हैं कि दिनकर ने गुलाम भारत और आजाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिये क्रान्तिकारी विच को विस्तार दिया। जनमेजय ने 'भाषा' के साथ बातचीत में कहा, 'आजादी के समय और चीन के हमले के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया।'

माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिन्दी रचनाकार थे। राष्ट्रीयता माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर है

सुलग–सुलग री जोत दीप से दीप मिलें, कर–कंकड़ बज उठे, भूमि पर प्राण फलें
युग के दीप नये मानव, मानवीय ढलें, सुलग–सुलग री जोत दीप से दीप जलें।

'एक भारतीय आत्मा' नाम माखनलाल चतुर्वेदी के लिए अत्यन्त योग्य उपनाम है। क्योंकि एक भारतीय आत्मा उस व्यक्ति का नाम है, जिसने भारत और भारतीयता की अस्मिता को पूरी तरह आत्मसात कर उसकी रक्षा में अपनी रचनाधर्मिता को समर्पित करने में विश्वास किया। ऊपर दी हुई पंक्तियां उनकी कविता 'दीप से दीप जले' में देश प्रेम, मानवता और राष्ट्रीयता साफ–साफ झलक रही है। सच माखनलाल चतुर्वेदी में राष्ट्रीयता और देश प्रेम कूट–कूटकर भरा हुआ था। वे अपने आप को और देश के सभी जवानों को सिपाही मानते थे, उनकी 'सिपाही' कविता में इस भाव को देखा जा सकता है

बोल अरे सेनापति मेरे!
मन की घुंडी खोल,
जल, थल, नभ, हिल–डुल जाने दे।

जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में भी राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रच्छन्न है। उनकी चेतना ने राष्ट्रीय जागरण के साथ सांस्कृतिक जागरण का रूप धारण कर लिया है। प्रसाद जी राष्ट्रीय चेतना और 'द्विवेदीकालीन' कवियों मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी की चेतना में काफी अन्तर है। उनकी राष्ट्रीय चेतना बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के 'विप्लवगान' और 'निराला' के 'जागो फिर एक बार' से भी भिन्न है। क्योकि इनमें राष्ट्रीयता का स्वरूप स्थूल है।

प्रसाद जी के काव्य में हमें उपलब्ध राष्ट्रीय चेतना में नवीन भाव बोध के साथ स्वाधीनता की

सूक्ष्म कल्पना, लाक्षणिकता, और एक नए प्रकार का सादृश्य–विधान, नवीन सौन्दर्य बोध आदि के होते हैं।

राष्ट्रीय काव्य धारा को विकसित करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का 'त्रिधारा' और 'मुकुल' रखी', 'झांसी की रानी', 'वीरों का कैसा हो बसन्त' आदि कविताओं में तीखे भावों की पूर्ण भावना है। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभायी। आन्दोलन के दौरान उन्हें कई बार जाना पड़ा। 'जलियावालाबाग में बसन्त' कविता में इस नृंशस हत्याकाण्ड पर कवयित्री के करुण से उसकी मूक वेदना मूर्तिमान हो उठी है–

"आओ प्रिय ऋतुराज, किन्तु धीरे से आना
यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना
कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा–खा कर
कलियाँ उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर"

इनकी राष्ट्रीय कविताएं समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रभावित हैं। अपनी राष्ट्रीय रचनाओं में संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय भावना को तत्कालीन राजनैतिक संदर्भो सिद्दत से जोड़ा है, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता का आरोपण किया है। इनकी काव्य शैली की यह विशेषता है कि वे कितने भी जटिल विषय शैली की सहजता अवश्य ही उभरकर आ जाती है।

राष्ट्रीय विकास में कवियों के योगदान पर चिंतन किये बिना आगे बढ़ना सभंव ही नहीं है। क्योंकि कार राष्ट्र का निर्माण ही नहीं करता बल्कि राष्ट्र के उच्चतर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय काव्य धारा से जुड़े हुए कवि की रचनाएँ कालजयी होती हैं, और उसमें स्वर सदैव गूँजते हैं।

## सन्दर्भ


दिनकर, रामधारी सिंह; संस्कृति के चार अध्याय
शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र; हिन्दी साहित्य का इतिहास, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, १६६०
डा० नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास (संपादित), नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, १६६४

ISSN :[redacted]-3664 UGC : 41386 RNI : U.P.BIL/2012/43696

Year :[redacted] Year : JUNE Vol. : 2

# शोध - धारा
# SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

**Grade 'A' Impact Factor 5**

शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित

Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. : 41386
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol. 2; P. 181-184

# ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व-सहायता समूहों के संघों की भूमिका

डॉ० सुजाता सैमुअल

सहायक प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ० सपना कॉर

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, बालोद, छत्तीसगढ़

(प्राप्त : १० मई २०१८)

**Abstract**

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्व सहायता समूह योजना सबसे गरीब को विकास का लाभ पहुँचाने, उनकी जीवनशैली और आत्मविश्वास को उच्च करने हेतु एक अत्यावश्यक शक्ति और रणनीति के रूप में पहचाना गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब और बेरोजगार महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों से अधिक है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से इन महिलाओं का न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक–सांस्कृतिक, पारिवारिक व मानसिक उत्थान हुआ है। किन्तु ये समूह स्वयं अनेक चुनौतियों और बाधाओं जैसे आजीविका को प्रोत्साहन देने में असफलता, समूह संगठन में पर्याप्त संसाधनों का अभाव, समूह सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव आदि का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने, समूह को स्थायित्व प्रदान करने तथा इनके माध्यम से विकास की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्व सहायता समूहों के संघों तथा समूहों का अन्य संगठनों के साथ सम्बद्धता या नेटवर्किंग के विकास की अवधारणा विकसित हुई है। स्व सहायता समूहों का संघ छोटे समूहों का एक संगठन है, जो उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो एक समूह द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। संघ एक मंच है, जहाँ अनेक समूहों के प्रतिनिधि एक निर्धारित समय पर बैठक करके अपने सार्वलौकिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

Figure : 01 References : 08 Table : 01

**Key Words :** स्व-सहायता समूह, ग्रामीण विकास एवं महिलाएं, स्व-सहायता समूह एवं राष्ट्रविकास

**प्रस्तावना**

ग्रामीण विकास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों की आजीविका के संसाधनों एवं जीवन स्तर में वृद्धि हेतु किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयासों की ओर संकेत करते हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्व सहायता समूह योजना सबसे गरीब को विकास का लाभ पहुँचाने, उनकी जीवन शैली और आत्म विश्वास को उच्च करने हेतु एक अत्यावश्यक शक्ति और रणनीति के रूप में पहचाना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेरोजगार महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों से अधिक है। स्व–सहायता समूहों के माध्यम से इन महिलाओं का न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक–सांस्कृतिक, पारिवारिक व मानसिक उत्थान हुआ है। किन्तु ये समूह स्वयं अनेक चुनौतियों और बाधाओं जैसे आजीविका को प्रोत्साहन देने में असफलता, समूह संगठन में पर्याप्त संसाधनों का अभाव, समूह सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव आदि का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने, समूह

को स्थायित्व प्रदान करने तथा इनके माध्यम से विकास की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्व सहायता समूहों के संघों (federation) तथा समूहों का अन्य संगठनों के साथ सम्बद्धता या नेटवर्किंग के विकास की अवधारणा विकसित हुई है। स्व–सहायता समूहों का संघ छोटे समूहों का एक संगठन है, जो उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो एक समूह द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। संघ एक मंच है, जहाँ अनेक समूहों के प्रतिनिधि एक निर्धारित समय पर बैठक करके अपने सार्वलौकिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संघ स्व–सहायता समूहों के स्तर से ऊपर के स्तर के होते हैं; जिनका लक्ष्य सदस्य समूहों की क्षमता का विकास कर उनकी आत्मनिर्भरता और निरंतरता को बढाना है। ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास पर स्व सहायता समूह के संघों के प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

(१) ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता समूहों के संघों की स्थिति ज्ञात करना।

(२) स्व–सहायता समूहों के संघों की सहायता से आर्थिक सक्षमता प्राप्त ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान समाजिक और राजनीतिक स्थिति को ज्ञात करना।

**शोध परिकल्पना**

(१) स्व–सहायता समूहों के संघों के कारण ग्रामीण महिलाएं आर्थिक सशक्तता प्राप्त कर सामाजिक गतिविधियों में अधिक सहभागिता कर रही हैं।

(२) स्व–सहायता समूहों के संघों के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक महत्वकाक्षाओं में वृद्धि हुई है।

**शोध प्रविधि**

- शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के धमतरी विकासखंड का चयन किया गया है।
- उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन (Purposive sampling) द्वारा किया गया है।
- साक्षात्कार अनुसूची हेतु चयनित ०५ गांवों के ३० स्वसहायता समूहों की कुल ३० अध्यक्षों का चयन उत्तरदातों के रूप में किया गया है।
- साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत रहे हैं।
- द्वितीय समंकों का संकलन विषय से संबंधित पूर्व में प्रकाशित प्रोजेक्ट रिपोर्टो, पत्र पत्रिकाओं तथा अखबारों में प्रकाशित खबरों आदि के माध्यम से किया गया है।

**स्व-सहायता समूहों के संघों की स्थिति**

- स्व–सहायता समूहों के संघों के गठन के लिए आवश्यक है कि वे दूसरे गांवों के अन्य समूहों के साथ नेटवर्क का विकास करें, लेकिन अध्ययनरत् समूहों में संपर्क और भावी योजनाओं के विषय में समन्वय का अभाव पाया गया है।
- ३० प्रतिशत उत्तरदाताओं को विकासखंड में संघ के गठन व उनके समूहों की संघ में भागीदारी की स्थिति के विषय में विशेष जानकारी नहीं है।
- अधिकांश उत्तरदाताओं को स्व–सहायता समूहों के संघ की अवधारणा के विषय में जानकारी है तथा उत्तरदाता संघ के विषय में सही अनुमान लगाती हैं, जिसे इस तालिका द्वारा दर्शाया गया है–

स्व सहायता समूहों के संघ की जानकारी

| क्रमांक | स्व सहायता समूहों के संघ की जानकारी | आवृति | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | हाँ | २८.५ | ९५ |
| २ | नहीं | १.५ | ५ |
| | योग | ३० | १०० |

इसे ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।

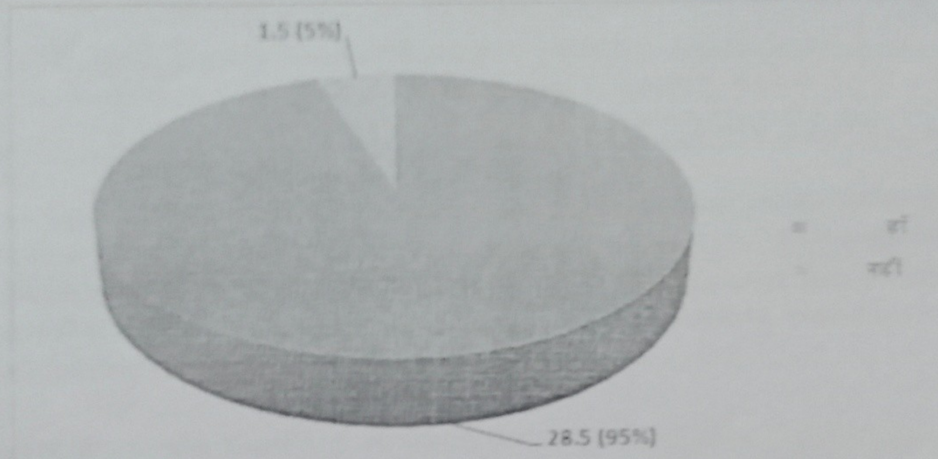


**सामाजिक विकास**

- ७० प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्व–सहायता समूह के संघ से जुडकर चिकित्सा, शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है।
- आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता बढी है।
- ५५ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कृषि/व्यवसाय हेतु ऋण सरलतापूर्वक प्राप्त हुआ है।
- बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज जैसी कुप्रथाओं का विरोध करने के लिए समूहों के संघ के माध्यम से वे प्रयत्नशील हैं।
- गांव की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, नशाबंदी, घरेलू हिंसा आदि विभिन्न समस्याओं को रोकने में समूहों के संघ योगदान करते हैं, ऐसा २५ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है।
- स्व–सहायता समूह के संघों ने जाति बंधन को शिथिल करने व अस्पृश्यता को कम करने में योगदान दिया है क्योंकि संघ में सभी जातियों के सदस्य होते हैं।

**राजनीतिक विकास**

- स्व–सहायता समूह के संघों के कारण महिलाओं ने स्थानीय चुनावों में भागीदारी की है और राजनीतिक पदों जैसे पंच, सरपंच आदि पर चयनित होने के बाद उन्होंने ग्रामीण विकास की

गतिविधियों में भाग लिया है।

- स्व–सहायता समूह के संघ सदस्यों के प्रत्याशी के रूप में चुनावों में खड़े होने पर प्रचार हेतु वित्तीय सहायता, प्रचारक व प्रेरक के रूप में सामने आ रही है।
- ६० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्थानीय चुनावों में किसी प्रत्याशी के रूप में सहभागिता नहीं की है, लेकिन चुनावो मे प्रचारक व मतदाता के रूप मे भाग लिया है।
- चयनित उत्तरदाता में से ३८ प्रतिशत स्थानीय राजनीति में सहभागिता करती हैं तथा परिवारिक सदस्यों के सक्रिय राजनीति से जुडे होने के कारण राजनीतिक गतिविधियों में वे रूचि लेती हैं।

निष्कर्ष

आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं का स्व–सहायता समूहों के संघों के माध्यम से विकास हुआ है, और वे संघ की अवधारणा से अवगत हैं। लेकिन समूहों के बीच संपर्क और समन्वय की कमी पायी गयी है। स्व–सहायता समूहों के संघ द्वारा उनका सामाजिक आर्थिक विकास भी हो रहा है यद्यपि वे प्रत्याशी के रूप मे राजनीति में भाग नहीं लेती,किन्तु स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता, में वृद्धि हुई है।

## संदर्भ


१. मिश्रा, इंदिरा ; गरीब महिलाऐं उधार एवं रोजगार, किताब घर ,नईदिल्ली २००२.

२. मायराड़ा अनुभव ; (२००१

३. मिश्र, डॉ. अनिल कुमार; महिला सशक्तिकरण : दशा और दिशाऐं, नई सहस्त्राब्दी का महिला सशक्तिकरण : अवधारणा चिंतन एवं सरोकार भाग ३ : ओमेगा पब्लिकेशन, दरियागंज , नईदिल्ली २०१०.

४. ओमप्रकाश स्व–सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस, निर्धनतम तक पहुँच एवं प्रभाव, रीगल पब्लिकेशन , २०१०.

५. शर्मा, प्रेम नारायण; एवं विनायक, वाणी; गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर, २०११

६. Usha, P.; Empowerment of women and self help groups, Sonali Publication. New Delhi, 2006.

७. यादव, सुबह सिह; ग्रामीण बैंकिग एवं विकास, सबलाइम पब्लिकेशन, जयपुर २००४

८. यादव, उत्तरा; ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर ,साहित्य संगम पब्लिकेशन, इलाहाबाद २००४

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. : 41386
SHODH-DHARA ; JUN 18; Vol.1; P. 213-215

# राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका

डॉ० (श्रीमती) सुजाता सैमुअल
*राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़*
डॉ० सपना कॉर
*समाजशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, अमरीकला, बालोद, छत्तीसगढ़*

*(प्राप्त : १० मई २०१८)*

**Abstract**

*किसी भी राष्ट्र की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का होता है। शारीरिक शक्ति की दृष्टि से वे पुरूषों से न्यून होती हैं, किंतु शिशुओं का जन्म और प्रारंभिक वर्षों में उनका लालनें पालन नारियों का विशेष दायित्व होता है, ये शिशु आगे चलकर राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। स्पष्ट है कि नारियों की स्थिति किसी भी राष्ट्र के विकास और उसके भविष्य का अनुमान करने हेतु आधारभूत विश्वसनीय मापदंड है। यदि महिलाओं की स्थिति किसी राष्ट्र में संतोषजनक है, वे सुशिक्षित हैं, और अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, तो उस देश की आधी आबादी विकसित है और यही शिक्षा और संस्कार वे अपने शिशुओं को हस्तांतरित करेगी। स्पष्टतः उस राष्ट्र का विकास सानुपातिक है और उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष का विकास भी इस मापदंड की उपेक्षा नहीं कर सकता। जब हम प्राचीन काल से राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य अवधारणा के उद्‌भव के पूर्व भारतवर्ष के विकास में नारियों की भूमिका उल्लेखनीय थी। प्राचीन और वर्तमानकाल में विश्व के अन्य राष्ट्रों के मध्य भारत का जो सम्मानपूर्ण स्थान है, उसके लिए वह अपनी सुयोग्य महिला नागरिकों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है।*

Figure : 00 References : 04 Table : 00

**Key Words :** राष्ट्र विकास में नारी, भूमण्डलीकरण और नारीशक्ति अर्थव्यवस्था और नारी शक्ति

प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने कहा था–"राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते वरन् उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का प्रमाण होते हैं जो उनमें निवास करते हैं।'[1] कोई भी राष्ट्र उतना ही विकसित और समर्थ होता है, जितना उसमें निवास करने वाले आम नागरिक होते हैं।

किसी भी राष्ट्र की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का होता है। शारीरिक शक्ति की दृष्टि से वे पुरूषों से न्यून होती हैं, किंतु शिशुओं का जन्म और प्रारंभिक वर्षो में उनका लालन–पालन नारियों का विशेष दायित्व होता है, ये शिशु आगे चलकर राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। स्पष्ट है कि नारियों की स्थिति किसी भी राष्ट्र के विकास और उसके भविष्य का अनुमान करने हेतु आधारभूत बिश्वसनीय मापदंड है, यदि महिलाओं की स्थिति किसी राष्ट्र में संतोषजनक है, वे सुशिक्षित हैं, और अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, तो उस देश की आधी आबादी विकसित है और यही शिक्षा और संस्कार वे अपने शिशुओं को हस्तांतरित करेगी। स्पष्टतः उस राष्ट्र का विकास सानुपातिक है और उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष का विकास भी इस मापदंड की उपेक्षा नहीं

कर सकता।

जब हम प्राचीन काल से राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य अवधारणा के उद्‌भव के पूर्व भारतवर्ष के विकास में नारियों की भूमिका उल्लेखनीय थी। प्राचीन और वर्तमानकाल में विश्व के अन्य राष्ट्रों के मध्य भारत का जो सम्मानपूर्ण स्थान है, उसके लिए वह अपनी सुयोग्य महिला नागरिकों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है।

राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका को निम्न बिंदुओं में सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।

(i) **प्राचीन काल में राष्ट्र निर्माण में नारियों का योगदान** -प्राचीन भारतीय इतिहास इस तथ्य के स्पष्ट साक्ष्य देता है कि राष्ट्र निर्माण में नारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैदिक सभ्यता के निर्माण में हम गार्गी, कपिला, असंघति और मैत्रेयी जैसी महिलाओं के योगदान को उपेक्षित नहीं कर सकते। वास्तव में जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में ''माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः'' (भूमि मेरी माता और हम इस धरा के पुत्र हैं)'[२] का उल्लेख किया तो प्रकारांतर में वे महिलाओं की मातृ भूमिका का ही वंदन कर रहे थे। प्रसिद्ध फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था। 'तुम मुझे कुछ योग्य माताएं दो मैं तुम्हे एक योग्य राष्ट्र दूँगा।' वास्तव में किसी भी शिशु के व्यक्तित्व में स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम और परोपकार जैसी भावनाओं का समावेश करना माताओं का ही कार्य होता है।

(ii) **अर्थव्यवस्था के नियामक के रूप में** -अर्थव्यवस्था के नियामक रूप में नारियों का योगदान दो स्तरों पर होता है

(अ) **परिवार की सीमाओं मे** - परिवार की मुख्य धुरी महिलाएं ही होती हैं। मनुष्य जब आदिम अवस्था में था और शिकार तथा वनोपज संकलनों पर आश्रित था, पुरूष शिकार आदि का दायित्व संभालते थे, और महिलाओं का दायित्व होता था कि शिशुओं, बालकों और वृद्धजनों की देखरेख करें और उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार आवंटन करें कि न सिर्फ सभी सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो वरन् प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल होने की स्थिति में भविष्य हेतु कुछ बच भी सके।

(ब) **अर्थव्यवस्था में सहयोगी भूमिका** - नारियों की कर्तव्यशीलता मात्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रही थी, अर्थोपार्जन के कामों में भी उन्होने सक्रिय सहयोग किया था और कर रही हैं, खेती बाडी के कार्य में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती है। यह अलग तथ्य है कि पारिवारिक संपत्ति होने के कारण उन्हे नगद भुगतान पाने में कठिनाई होती है और अर्थव्यवस्था में परिवार के मुखिया जो ज्यादातर पुरूष होते हैं, की तुलना में उनका योगदान कमतर दिखाई देता है। वर्तमान युग में तो महिलाएं सीधे तौर पर घर से बाहर अपनी योग्यताओं के आधार पर आर्थिक उपार्जन में संलग्न हैं और अधिकतर अवसरों पर अपनी कार्यकुशलता की छाप छोड़ती है।

अपने अन्य आर्थिक दायित्वों की पूर्ति के साथ महिलाएं परिवार हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती हैं। वर्ष १९३०, २००८ तथा २०१४ की आर्थिक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रमाणित नहीं हुई क्योंकि भारतीय महिलाएं बचत की प्रवृत्ति रखती हैं आज भारत में लगभग ६५ प्रतिशत महिलाएं कृषि और पशुपालन जैसे आधारभूत उद्योगों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रही है।

(iii) **परंपराओं की वाहक** - पीढ़ी–दर–पीढ़ी किसी देश की संस्कृति और परंपराओं को वर्तमान की पीढ़ी से भविष्य के नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य महिलाएं ही करती रही हैं। विश्व की जो सभ्यताएं प्राचीन और जीवित है, उन सभी सभ्यताओं में नारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

(iv) **सामाजिक-धार्मिक-शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान** -स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो एक आधारभूत आवश्यकता है, आज भी हमें अधिकतर महिलाएं ही प्राथमिक शिक्षक के रूप में मिलती है, क्योंकि उनमें धैर्य और विनम्रता के गुण होते है और छोटे बालकों को प्रशिक्षित करने हेतु इन गुणों की महती आवश्यकता होती है। अर्थात् कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक अनौपाचारिक तथा औपचारिक दोनों तरह की शिक्षाएं अधिकतर नारियों से ही प्राप्त करता है। यह कथन सर्वथा सत्य है कि 'सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला' है।[3]

(v) **वैज्ञानिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान** - जब हम राजनैतिक, प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हैं तो हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती थेरेसा, श्रीमती एंजेला माकैल, मैडम क्यूरी, जैसी महिलाओं को पाते हैं जिन्होने समूचे विश्व को अपनी बौद्धिक और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित किया है। वर्तमान भारत में भी रक्षा के क्षेत्र का दायित्व श्रीमती निर्मला सीतारमण के हाथों में ही है। प्रशासनिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी राष्ट्र विकास के क्षेत्र में नारियों का योगदान अतुलनीय है।

वास्तव में 'आधी आबादी' को पुरूषों की तुलना में कम अवसर और संसाधन उपलब्ध है फिर भी उन्होने राष्ट्र विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उन अनगिनत महिलाओं का कहीं कोई उल्लेख या यशोगान सुनाई नहीं देता जो निरंतर अपने परिवार समाज और अंततः राष्ट्र के विकास में अपना जीवन समर्पित करती हैं, उनके बारे में महाकवि जयशंकर प्रसाद का यह कथन उचित है कि:–

आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा।
तुमको अपनी स्मिति रेखा से यह संधिपत्र लिखना होगा।'[४]

## संदर्भ


१ जैन, पुखराज; प्लेटो–द. रिपब्लिक –राजनीति विज्ञान, पब्लिकेशन, पृ० ५

२ झा, गुंजेश गौतम; राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान–विविधा अप्रैल २०१४

३ कुनार, डॉ. प्रदीप; राष्ट्र निर्माण और विकास में महिलाओं की भूमिका–साहित्य पीड़िया पब्लिशिंग–२०१७, पृ. १

४ प्रसाद, जयशंकर; कामायनी–लज्जा सर्ग– ०१६

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. : 41386
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol. 2; P. 32-34

# राष्ट्र की अवधारणा और भारतीय चिंतन

**श्रीमती कांति अंचल**

*सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय,* **मस्तूरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़**

*(प्राप्त : १० मई २०१८ )*

**Abstract**

*राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अर्थात् राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जो किसी भी देश के नागरिकों की एकता व अखण्डता को बढ़ावा देती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं सम्पन्नता के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और भाषायी विविधता से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है और इसमें राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।*

*पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र चिंतन पर विचार करते हुए भारतीय राजनीति की एक मौलिक भूल के बारे में लिखा है कि भारतीय राजनीतिज्ञों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे भारत के भिन्न–भिन्न वर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। उनके इस अस्तित्व को स्वीकार करके फिर वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि यह अस्तित्व किस प्रकार राष्ट्र के हितार्थ काम में आये। आज तक उनका सम्पूर्ण प्रयत्न इस प्रकार भिन्न–भिन्न स्वतंत्र मानी हुई इकाईयों के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करने का ही रहा है। किसी भी वर्ग के अस्तित्व को, जो कि वास्तविक नहीं है; संकट न पहुंचाते हुए बल्कि उनका संवर्द्धन करते हुए, आज तक के राजनैतिक प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया गया है और उसका परिणाम सदा ही असफलता के रूप में आया है।*

Figure : 00 References : 04 Table : 00

**Key Words** : **राष्ट्रवाद और भारतीय दर्शन, दीनदयालजी का राष्ट्र चिंतन**

राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अर्थात् राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जो किसी भी देश के नागरिकों की एकता व अखण्डता को बढ़ावा देती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं सम्पन्नता के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और भाषायी विविधता से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है और इसमें राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र चिंतन पर विचार करते हुए भारतीय राजनीति की एक मौलिक भूल के बारे में लिखा है कि भारतीय राजनीतिज्ञों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे भारत के भिन्न–भिन्न वर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। उनके इस अस्तित्व को स्वीकार करके फिर वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि यह अस्तित्व किस प्रकार राष्ट्र के हितार्थ काम में आये। आज तक उनका सम्पूर्ण प्रयत्न इस प्रकार भिन्न–भिन्न स्वतंत्र मानी हुई इकाईयों के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करने का ही रहा है। किसी भी वर्ग के अस्तित्व को, जो कि वास्तविक नहीं है; संकट न पहुंचाते हुए बल्कि उनका संवर्द्धन करते हुए, आज तक के राजनैतिक प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया गया है और उसका परिणाम सदा ही असफलता के रूप में आया है।

उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजों के शासन में हमने यह स्वीकार किया कि देश में मुसलमान, इसा... आदि अनेक वर्ग हैं तथा उनके स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा करते हुए ही राष्ट्रीयता का निर्माण हो सकेगा

भारत में राष्ट्रीयता के स्तर पर उनका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना एक बड़ी भारी भूल है, क्योंकि मुसलमान, ईसाई आदि का वर्गीकरण मजहब के आधार पर करना राष्ट्रीयता से भिन्न बात है। एक मजहब को मानने वाले अनेक राष्ट्रों के अंग हो सकते हैं और एक ही राष्ट्र में अनेक मजहब के मानने वालों का समावेश हो सकता है। राष्ट्रीयता यदि कोई शक्तिशाली प्रेरणा है तो उसके चेतना–क्षेत्र में मजहब का स्थान नहीं होता, किन्तु आज तक हमारा प्रयत्न यही रहा है कि इन वर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व मानकर उनका एकीकरण करें, ऐसा एकीकरण जिसमें किसी को कुछ भी न छोड़ना पड़े। आश्चर्य की बात यह है कि यह जो सबको मिला कर एक बनाने वाले तत्व हैं, उनकी भी स्पष्ट कल्पना किसी को नहीं है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने अनेक बार कहा था कि स्वतंत्र भारत का राज्य न हिन्दू का होगा, न मुसलमानों का होगा और न ईसाई का। सवाल उठता है कि फिर किसका होगा? इसका उत्तर बहुत लोगों ने यह उत्तर देने का प्रयत्न किया है कि वह 'हिन्दुस्तानियों का होगा। किन्तु फिर झगड़ा आता है कि यह हिन्दुस्तानी कौन है? इसमें किसका कितना समावेश होगा? और किस आधार पर होगा? क्या संख्या बल के आधार पर या और किसी आधार पर? अभी तक हमने संख्या बल का आधार माना है तथा जिस–जिस [illegible] के वे वर्ग अपना कह कर खड़े हुये हैं, उनको मिलाने का प्रयत्न किया है। अंग्रेजों से होने वाले सभी समझौतों तथा उस काल के सभी आंदोलनों में वही प्रश्न प्रमुख रहा है तथा उसका परिणाम पाकिस्तान हुआ, यह मानने में किसी समझदार व्यक्ति को आपत्ति नहीं होगी।

इस प्रकार वर्गीकरण केवल साम्प्रदायिक आधार पर ही नहीं, भाषा और आर्थिक आधारों पर भी किया जाता है। आज हमारे सभी नेता यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक भाषा–भाषी वर्ग का एक स्वतंत्र अस्तित्व है तथा ऐसे अनेक स्वतंत्र वर्गों को मिलाकर समूचे भारत की रचना करनी चाहिए। आर्थिक आधार पर भी स्वतंत्र वर्गों की कल्पना की जाती है। एक जमींदार तो दूसरा कृषक, एक पूंजीपति तो दूसरा मजदूर, एक शोषक तो दूसरा शोषित। इस प्रकार का वर्गीकरण करके एक को दबाकर दूसरे का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न होता है या अधिक से अधिक दोनों में सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है।

उपर्युक्त सभी एवं ऐसे अनेक वर्ग जिनको राजनीतिज्ञ, कठोर सत्य मानकर चलते हैं, वास्तव में मिथ्या है तथा जब तक हम उनका अस्तित्व मानकर, उनको संतुष्ट करने की नीति अपनाकर, उनके अहंकार और स्वार्थ की वृद्धि करते रहेंगे तब तक राजनीति विपरीत दिशा में ही बहती रहेगी। सत्य तो यह है कि सम्पूर्ण भारत एक है तथा भारत की संपूर्ण संतान एक है और उसको इस एकता का अनुभव करते हुए रहना चाहिए। अनेक अंगों को एकत्रित करके शरीर की सृष्टि नहीं होती। किन्तु शरीर के अनेक अंग होते है और इस लिये प्रत्येक अवयव अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिये नहीं अपितु शरीर के अस्तित्व के लिये प्रयत्न करता है। इसी प्रकार के राष्ट्र के सभी अंगों की अपनी रुपरेखा, राष्ट्रीय स्वरूप और हितों के अनुकूल बनाना चाहिये न कि राष्ट्र को ही इन अंगों के अनुसार काटा–छाँटा जाये। सम्प्रदायों, प्रांतों, भाषाओं और वर्गों का तभी तक मूल्य है जब तक वे राष्ट्रहित के अनुकूल हैं अन्यथा उनका बलिदान करके भी राष्ट्र की एकता की रक्षा करनी होगी।

पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि जैसे नदी के जल में तरंगों के अनेक रूप होते है; किन्तु उनका अस्तित्व नदी के जल से भिन्न और स्वतंत्र नहीं होता और न ही नदी उनके समुदाय का नाम

है। वे पहली दृष्टिकोण से समस्त समस्याओं को देखते है जब तक राजनीति की इस मौलिक भूल का परिमार्जन नहीं होगा। तब तक राजनैतिक भारत का निर्माण सुदृढ़ नीव पर नहीं हो सकता।

महात्मा गांधी के निधन के बाद भारतीय राजनीति में जिस तरह उनके विचारों को हाशिए लगाया गया तब दीनदयाल जी उन्हें एक नए संदर्भ में सामने लाये। वे मनुष्य की मुक्ति के विचार के प्रस्तुत कर्ता थे, इसलिए वे व्यक्ति की आत्मा तक का विचार करते हैं। यह सौभाग्य है कि हम सब इस महान भारत राष्ट्र के उत्तराधिकारी हैं। हमें इस का भी गर्व है कि हम दीनदयाल जी के राजनैतिक दर्शन के अनुगामी हैं, तथा इस दर्शन को लोक स्वीकृति मिल रही है। सदियों से पड़ी धूल झाड़कर एक नया भारत खड़ा हो रहा है। भारत के भविष्य का विचार करती हुई एक नई राजनैतिक पीढ़ी तैयार हो रही है, जिसके प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषी हैं।

## संदर्भ


१. फड़िया, डॉ.बी.एल., आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स , आगरा २०१२

२. अवस्थी, डॉ. अमरेश्वर, एवं अवस्थी, डॉ. रामकुमार, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, रिसर्च पब्लिकेशन्स नई दिल्ली १९९७

३. शर्मा , डॉ. वीरेन्द्र, आधुनिक भारतीय राजनैतिक विचारधाराएं, श्री पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली १९९४

४. द्विवेदी, संजय, डॉ. श्री कांत , मीडिया विमर्श वार्षिकांक अक्टूबर से दिसम्बर २०१४

ISSN : 0975-3664
RNI : U.P.BIL/2012/43696
UGC No. : 41386

# शोध - धारा
# SHODH DHARA

(A peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences with **Grade 'A'** & **Impact Factor 5-10**)

**Year : 2018** **Month : JUNE** **Vol. 2**

**Chief Editor**
***Dr. (Smt.) Neelam Mukesh***
**Editor**
***Dr. Rajesh Chandra Pandey***

## 49

बिलासपुर संगोष्ठी विशेषांक

**Guest Editor**
***Dr. (Smt.) Rajesh Chaturvedi***
**Guest Co-Editor**
***Dr. Kiran Thakur***

**Published by : Shakshik Avam Anusandhan Sansthan, Orai (Jalaun) U.P.**

RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC :41386

# शोध - धारा
# SHODH-DHARA

[illegible] Research Journal of Humanities & Social Sciences with [illegible]

Year 2018 JUN Vol. 2

## अनुक्रम Contents


| | लेखक | |
|---|---|---|
| [illegible] चिन्तन | साहनु राम महेन्द्र<br>डॉ० सुधीर सिंह गौर<br>डॉ० वी.पी. देवांगन | [illegible] |
| [illegible] एवं संस्कृति की भूमिका: एक [illegible] | डॉ० (श्रीमती) अंजू शुक्ला<br>डॉ० स्वाती शर्मा | 7-11 |
| [illegible] म वैश्वीकरण | डॉ० श्रीमती नंदिनी तिवारी<br>डॉ० संजय कुमार तिवारी | 12-1[illegible] |
| [illegible] और संस्कृति का चिंतन | डॉ० सुनीता राठौर | 19-2[illegible] |
| [illegible] राष्ट्रवादी विचारधारायें | डॉ० महेश कुमार शुक्ल | 24-28 |
| [illegible] संस्कृति में प्रतिबिम्बित राष्ट्र-भारत | डॉ० राजीव शर्मा<br>डॉ० अजय कुमार सिंह | 29-3[illegible] |
| [illegible] और भारतीय चिंतन | श्रीमती कांति अंचल | 32-34 |
| [illegible] भारत मे प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन | डॉ० दिनेश कुमार पाण्डेय<br>श्रीमती श्वेता पंड्या | 35-4[illegible] |
| [illegible] प्रकृति | डॉ० फुलसो राजेश पटेल | 41-43 |
| [illegible] में धर्म और संस्कृति का चिंतन | डॉ० रेखा दुबे | 44-45 |
| [illegible] राष्ट्र निर्माण पर विवेकानन्द के कालजयी [illegible] | डॉ० आलोक वर्मा<br>डॉ० मंजू पाण्डेय | 46-48 |
| [illegible] राष्ट्र विकास | डॉ० तारणीश गौतम | 49-53 |
| [illegible] धर्म और संस्कृति का चिंतन | डॉ० ए.एल. ध्रुवंशी<br>डॉ० सुरेश मणि त्रिपाठी | 54-58 |
| [illegible] गांधी चिंतन | डॉ० एम.पी. रोहणी | 59-61 |
| [illegible] प्रौद्योगिकी नीति का योगदान | डॉ० (श्रीमती) संजू पाण्डेय<br>डॉ० प्रवीण कुमार पाण्डेय | 62-66 |
| [illegible] आर्थिक आयाम | डॉ० एस.पी. भारद्वाज<br>डॉ० जी.सी. भारद्वाज | 67-69 |
| [illegible] और आर्थिक विकास | डॉ० डी.के. सिंह | 70-73 |
| [illegible] और भारत | डॉ० हेमचन्द्र पाण्डेय | 74-77 |

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC NO. :
SHODH-DHARA ; JUN 2018; Vol. 2; P.

# पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास

डॉ. डी.के. सिंह
स०प्रा०, वाणिज्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर, छत्तीसगढ

(प्राप्त : १० मई २०१८)

**Abstract**

प्रकृति और मानवता का संबंध आदि काल से चला आ रहा है। मानव जाति उस जटिल और सम पारिस्थितिकीय श्रृंखला का एक अंग है; जो अपने में वायु, जल और विविध रूपों में वनस्पति व पशु को समेटे हुए है। जब मानव का विकासात्मक क्रियाओं के परिणामस्वरूप प्रकृति की स्वच्छता तथा सतु भंग हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण का जन्म होता है। आज सारा विश्व पर्या प्रदूषण से आक्रान्त है। ज्यों–ज्यों आर्थिक प्रगति और विकास होता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होता रहा है। इस प्रदूषण के भविष्य में कितने भयंकर परिणाम होंगे इसका अनुमान अभी तो लगाना संभव नह लेकिन यह अवश्य है कि वे परिणाम जन–जीवन के लिए अवश्य ही खतरनाक होंगे।

Figure : 00 References : 11 Table : 00
Key Words : पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण

पिछले वर्षो में प्राकृतिक संपदा के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय विकृतियों की विश्व समाज का ध्यान आकर्षित हुआ है, परन्तु अभी भी आर्थिक विकास प्रक्रिया और पारिस्थिति तंत्र असंतुलन के संबंधों की पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की ओर सम् ध्यान नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप हमारे पर्यावरण सुधार के प्रयत्न फलदायी नहीं हो पा रहे राष्ट्र का विकास उसके औद्योगिकीकरण पर निर्भर करता है, जो मानव जाति के उच्च एवं महत्वा जीवन–यापन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परन्तु तीव्र औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप से प्रदूष उत्पन्न खतरों के कारण समस्त जाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है।

**पर्यावरण असंतुलन :** - जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारा आशय प्राकृतिक संपदा से है। अतीत में हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि समाज प्राकृतिक संपदा को अक्षुण्ण बनाए रखता था विकास एवं पर्यावरण संतुलन के मध्य किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं था। परन्तु आधुनिक वि जहाँ एक ओर पर्यावरण में प्रदूषण तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न कर रहा है दूसरी ओर निर्धन और गरीब व्यक्तियों की संख्या भी बढा रहा है। बढ़ती आबादी के परिप्रेक्ष्य में प्राकृ संपदा का न केवल सरंक्षण आवश्यक है, बल्कि उसकी समृद्धि भी की जानी चाहिए, परन्तु हमारी आ विकास व्यवस्था तो प्राकृतिक संपदा के वर्तमान भंडार को ही कम कर रही है। आधुनिक और प्रगति कही जाने वाली हमारी जीवन शैली में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संतुलन को भंग कर दिय इसने अमृततुल्य जल और हवा को प्रदूषित कर दिया है। हमारी मृदा, जलस्रोत, वायुमण्डल, वन नैसर्गिक संपदा का निरंतर प्रदूषित होना हमें आर्थिक विकास के पर्यावरणीय प्रभावों की ओर ध्या देने को मजबूर कर रहा है। पाश्चात्य प्रेरित आर्थिक विकास मॉडल ऊर्जा और सघन तकनीक आधारित रही है, आज के विश्व में विकसित राष्ट्रों में निवास करने वाली २० प्रतिशत आबादी उप

की अंधी दौड़ में विश्व के संसाधनों के ८० प्रतिशत भाग का उपयोग कर रही है, यातायात और के प्रचार प्रसार से विकासशील राष्ट्रों के धनी वर्ग ने भी विकसित राष्ट्रों की इसी जीवन शैली को ने का प्रयत्न किया है। परिणामस्वरूप विश्व के प्राकृतिक संसाधनों के विनाश की गति और तेज ई है, और अब विश्व इसके बढ़ते कुप्रभावों पर ध्यान देने को मजबूर हो रहा है।

**वरण और जनसंख्या** :- १९९४ में काहिरा में जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वरण की समस्या को एक नया आयाम मिला। इसमें यह बात उभर कर आयी कि आर्थिक विकास जनसंख्या का एक दूसरे से अभिन्न संबंध है। इनमें से किसी भी एक मुद्द को अलग रख कर विचार किया जा सकता। वास्तव में यह बात बिलकुल सही है। यदि हम अपने देश की स्थिति को ले तो नजर आता है कि शहरों में बढ़ती हुई आबादी के फलस्वरूप तंग बस्तियों का जाल बिछता जा रहा जहाँ लोगों को न तो स्वच्छ वायु उपलब्ध है और न ही स्वच्छता कायम रखी जा सकती है। जल सी और मल व्ययन की व्यवस्था नगर पालिकाओं के बस के बाहर की बात होती जा रही है। पेयजल लब्ध कराना ही अपने आप में समस्या है। इसके अलावा अधिक लोगों का पेट पालने के लिये अनाज उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिये वनों की सफाई करके कृषि भूमि विकसित की जाती है। दकता बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल से भी पर्यावरण को पैदा हो रहा है, ज्यादा लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये ज्यादा वस्तुओं का निर्माण करना , जिसके लिये नित नये उद्योग लगाने से वायु और जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक उन्नति उद्देश्य बिना पर्यावरण विनाश के विकास की धारणा होनी चाहिए, जिससे विकास की गति भी न और प्राकृतिक संतुलन को भी बनाये रखा जा सकें और यह तभी सम्भव है जब बढ़ती जनसंख्या कारगर रोक लगाई जाये ताकि वर्तमान और भविष्य में आने वाली मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण जीवन जीने का अवसर मिल सके।

**ता हुआ अपशिष्ट** :- औद्योगीकरण के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लोगों की धारणा है कि आसमान समुद्र ऐसे स्थान हैं, जिनमें पृथ्वी का सारा कूड़ा–करकट किसी भी रूप में उड़ेल दें, वे उसे अपने में समा लेंगे। हमारे देश में हर व्यक्ति प्रतिदिन ०–५० किलोग्राम कचरा उत्पन्न करता है। रों का वार्षिक औसत ५ करोड टन कचरा है। इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिय प्रत्येक वर्ष करोड़ रूपयें खर्च किये जाते है। महानगरों की सबसे बड़ी त्रासदी सफाई की रही है। यही कारण है विश्व का एक शहर न्यूयार्क हर वर्ष इतने टन कूडा करकट निकालता है, जिससे शहर को दस बार जा सकता है। समुद्र तट पर बसे नगरों का कचरा समुद्र में फेंक दिया जाता है. औद्योगिक कारखानों में रसायनों का उपयोग अवश्य होता है, तमाम रासायनिक कारखानों की जहरीली गंदगी ने लगाने की समस्या भी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गांधी प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित हमारा वरण में कहा गया है कि भूमि में दबाये गये विषाक्त कचरे में से हजारों टन कचरा ऐसा है जो भारी पहुँचाने वाला है। दबे होने के कारण उसका जहर जमीन और भूमिगत पानी के भण्डार पर असर सकता है। बड़े–बड़े शहरों में चल रहे छपाई, रंगाई, सीमेन्ट, कागज, पेस्टीसाईड्स आदि के –कारखाने भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे है। औद्योगिक प्रदूषण से दमा, गुर्दों की बीमारी, पीलिया व जन्मजात अपंगता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। लिन्डेन, बेन्जीन, क्लोरोडीन, डी.डी.टी

ल्डीन, आदि कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से रक्त कैंसर व जिगर की बीमारियां फैल रही कीटनाशकों के धुयें से सारा वायुमण्डल विषाक्त होता है। औद्योगिक प्रदूषण के परिणामस्व वायुमण्डल के तापमान में वृद्धि हो रही है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण अपशिष्ट के रूप में नि कार्बन डाईआक्साइड, क्लोरो–फ्लोरो कार्बन, नाईट्रिक आक्साइड, क्लोरो आक्साइड, मिथेन आदि पृथ्वी के चारों को आच्छादित होकर घेरा बना लेती हैं, जिससे सौर विकिरण पृथ्वी पर आते–जा लेकिन पृथ्वी से वापस होते ही विकिरणों को ये गैसें अंतरिक्ष पर जाने पर अवरोध का काम करती फलस्वरूप वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को ग्रीनहाऊस प्रभाव कहा जाता है।

औद्योगिक क्रांति की बात से हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला और तेल का दोहन की सीमा तक पहुंच गया है। दोनों ही समाप्ति के कगार पर हैं। तेल कुछ पहले, कोयला बाद औद्योगिक क्रांति ने उन प्रदूषकों को जन्म दिया है, जिसके कारण वन संकट बढ़ा है। सामान्य पौधों वृद्धि में रूकावट आ गई है, हमारे कारखाने प्रचुर मात्रा में ऐसा कचरा नदी और झीलों में डाल रहे जिसमें घुलनशील, नाइट्रोजन और फास्फेट है। इसमें पानी में शैवाल और उसी प्रकार के सूक्ष्म की प्रचुरता हो जाती है, जो अन्य प्राणियों के लिये घातक सिद्ध होती है। औद्योगिक कल कारखान अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए हानि रहित वैज्ञानिक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। मानव जीवन को सुखी बनाने व भावी पीढ़ी के कल्या के लिये औद्योगिक प्रदूषण पर कारगर नियंत्रण आवश्यक है।

**पर्यावरण सरंक्षण जरूरी** :- विकासशील और गरीब राष्ट्रों के आर्थिक जीवन में प्राकृतिक संपदा महत्व भूमिका अदा करती है, अतः आर्थिक विकास की कोई ऐसी व्यवस्था ही उपयुक्त होगी जो कि प्राकृ संपदा के सरंक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती हो। पिछले अनेक वर्षो से पाश्चात्य से प्रेरित बाध्य होकर विकासशील राष्ट्रों के द्वारा ऐसी नीति अपनाई गई थी जिसने न केवल प्राकृतिक संपदा विंनाश को जन्म दिया बल्कि विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता भी बढ़ाई गई है। विकसित राष्ट्रों ने अपने उपभोग स्तर को उनके पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस बात की पूरी सावधानी बरती है प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुएं विकासशील राष्ट्रों से आयात करते हैं। ताकि उनके प्राकृतिक स सुरक्षित रहें। परिणाम यह हो रहा है कि विकासशील राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का ह्रास उनके के विकृति उपभोग ढांचे और पाश्चात्य राष्ट्रों को प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुओं के नियति के कारण रहा है। पर्यावरण और परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिये हमें सर्वप्रथम अपने आर्थिक को बदलना होगा। हमें पाश्चात्य जगत की इस धारणा से मुक्ति प्राप्त करनी होगी की अधि आवश्यकताओं की किसी भी प्रकार पूर्ति करना ही आर्थिक विकास है। हमें व्यापारिक लाभ के पारिस्थतिकीय सिद्धान्तों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। औद्योगीकरण के नाम पर अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में विशाल आकार वाले आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योगों की स्थापना की प्रवृत्ति भी छोड़ना होगा। ये उद्योग ऊर्जा प्रधान होने से विकासशील राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्त होते इन उद्योगों की जहरीली गैसें सारे वायुमण्डल को प्रदूषित कर रही हैं। आधुनिक कृषि के नाम प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक दोहन करने वाली कृषि व्यवस्था पर रोक लगानी होगी। इसके मिट्टी में सूक्ष्म पोषण और कार्बनिक तत्वों का अभाव तथा उसमें लवणीयता और क्षारीयता में वृ



भूमि बंजर होती जा
परागत तरीकों का पु
उपयोग कृषि, उद्योगों
का सरंक्षण जीवन का
प्रयोग में लाया जा स
प्रथम इससे उद्योग
द्वारा नदियों एवं
का उपयोग शीतलन
का प्रयोग किया जा
का बार–बार प्रयोग
मांग को भी सरंक्ष
यदि आर्थिक ए
से हो। हमें विश्व
ति को रोकना होगा
की उपेक्षा नहीं
हो सकता है, जब
स ही समझा जाना
आये कि वह व्य
वरण सरंक्षण एक–
अवहेलना नहीं की
प्रसाद निर्मित करने


Asthana, D.K.; &
Chand & Compa
Surana, N.M.; (2
Sharma, R.R.; (19
महेश्वरी, पी.डी.; (२०
नामोरिया, सी.; एवं
आगरा.
तिवारी, विजय कुमार
सृजन कर्म अंक ५ म
योजना–अंक ०३ जून
तिवारी, विजय कुमार
दत्त, गौरव एवं महाज
दिल्ली

जर होती जा रही है। परंपरागत कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक सुसंगत है। अतः कृषि गत तरीकों का पुनर्मूल्यांकन कर उनमें से उपयुक्त तरीकों को पुनः अपनाया जाना चाहिए। जल योग कृषि, उद्योगों , यातायात, ऊर्जा तथा घरेलू उपयोग के संसाधन के रूप में किया जाता है। का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल एक चक्रीय संसाधन है, जिसको वैज्ञानिक ढंग से साफ कर प्रयोग में लाया जा सकता है। उद्योगों में पानी की भारी मांग होती है। इसे कम करने से दो लाभ । प्रथम इससे उद्योग के अन्य खण्डों की पानी की मांग को पूरा किया जा सकता है। द्वितीय इन योगों द्वारा नदियों एवं नालों में छोड़े गए दूषित जल की मात्रा कम हो जाएगी। अधिकांश उद्योगों में का उपयोग शीतलन के लिए होता है, इस कार्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वच्छ और शुद्ध का प्रयोग किया जाए। इस कार्य के लिए पुनर्शोधित जल का उपयोग किया जा सकता है। इस नी का बार–बार प्रयोग करके स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित किया जा सकता है। जल की इस लू मांग को भी सरंक्षण की विधियों द्वारा कम किया जा सकता है।

यदि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में ही मानव विकास है तो उनका उपयोग नियोजनात्मक से हो। हमें विश्व स्तर एवं समाज के स्तर पर इस ह्रास और प्रदूषण की ओर ध्यान देकर संहारक ति को रोकना होगा। अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण क्षण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आर्थिक विकास योजनाओं का मानव जाति को तभी सही लाभ त हो सकता है, जब इन योजनाओं का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ ास ही समझा जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि मानव के सोच में इस प्रकार का ाव आगे कि वह व्यक्तिगत हित की बजाय सामूहिक हित को सर्वोच्च समझे। आर्थिक विकास और वरण सरंक्षण एक–दूसरे के प्रतिद्वन्दी न होकर पूरक हैं। परन्तु आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति अवहेलना नहीं की जा सकती। पर्यावरण की उपेक्षा करके किया गया आर्थिक विकास बारूद के ढेर ासाद निर्मित करने के समान है। अतः दोनों में सामंजस्य आवश्यक है।

## संदर्भ


sthana, D.K.; & Asthana, M.; (2015) 'A Text Book of Environmental Studies' S. hand & Company ltd. New Delhi.

ırana, N.M.; (2016) 'Environmental Studies' SBPD Publishing House Agra.

arma, R.R.; (1998) 'Development Environment Economics' Ram Prasad & Sans Agra.

श्वरी, पी.डी.; (२०१३) '' पर्यावरणीय अर्थशास्त्र'' कैलाश पुस्तक सदन भोपाल।

ोरिया, सी.; एवं सिसौदिया, एम.एस.; (२०१४)''पर्यावरण एवं विकास'' एस.बी.पी.डी.पब्लिशिंग हाऊस ग्रा.

री, विजय कुमार; (२०१५) ''पर्यावरण विज्ञान'' एस चन्द्र एण्ड कम्पनी नई दिल्ली.

न कर्म अंक ५ मई (२००८). ८ कुरूक्षेत्र अंक ०६ जुलाई २००५.

ना–अंक ०३ जून २००२.

ी, विजय कुमार; (१९९८) ''पर्यावरण प्रदूषण'' हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नागपूर.

गौरव एवं महाजन, अश्विनी; (२०१२) '' भारतीय अर्थव्यवस्था'' एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई

ISSN : 0975-3664
RNI : U.P.BIL/2012/43696
UGC No. : 41386

# शोध - धारा

# SHODH DHARA

ed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences
with Grade 'A' & Impact Factor 5.10)

Month : JUNE Vol. 2

**Chief Editor**
***Dr. (Smt.) Neelam Mukesh***

**Editor**
***Dr. Rajesh Chandra Pandey***

**49**

## बिलासपुर संगोष्ठी विशेषांक

**Guest Editor**
***Dr. (Smt.) Rajesh Chaturvedi***

**Guest Co-Editor**
***Dr. Kiran Thakur***

Shakshik Avam Anusandhan Sansthan, Orai (Jalaun) U.P.

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696,
SHODH-DHARA : JUN 2018, Vol.

# नारी सशक्तिकरण

डॉ० संतोष सिंह ठाकुर
सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
डॉ० किरण ठाकुर
सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर

(प्राप्त : १० मई २०१८)

**Abstract**

आधुनिक युग में भारतीय एवं विश्व परिदृश्य में केवल वही समाज या राष्ट्र विकसित हो सकता है जहाँ नारी या महिला की सहभागिता जीवन एवं विकास के सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित ... सशक्तिकरण वह अवधारणा, सिद्धांत या आवश्यकता है, जिससे नारी को शिक्षित एवं जागरूक ... अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक जानकारी प्रदान कर ज्यादा जबाबदेह बनाया जा सकता है ... समता, स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता तो आएगी ही इसके अलावा यह अपने विरुद्ध होने ... और अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि की लड़ाई खुद–ब–खुद लड़ सकेगी ... परिणामस्वरूप नारी शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक रूप से इतनी सुदृढ़ होगी कि जीवन की हर ... को पार कर विकास की दिशा में अग्रसर होगी।

Figure : 00 References : 02
Key Words : नारी सशक्तिकरण, अशिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

**पृष्ठभूमि** : आधुनिक युग में भारतीय एवं विश्व परिदृश्य में केवल वही समाज या राष्ट्र ... प्रगतिशील हो सकता है जहाँ नारी या महिला की सहभागिता जीवन एवं विकास के ... सुनिश्चित हो। नारी सशक्तिकरण वह अवधारणा, सिद्धांत या आवश्यकता है, जिससे नारी ... एवं जागरूक बनाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक जानकारी प्रदान कर ज्यादा ... जा सकता है। इससे उनमें समता, स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता तो आएगी ही इसके ... अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय और अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि की लड़ाई ... खुद लड़ सकेगी एवं इसके परिणामस्वरूप नारी शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक रूप से ... होगी कि जीवन की हर बाधाओं को पार कर विकास की दिशा में अग्रसर होगी।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में निम्न बाधाओं एवं उपायों पर ध्यान देना आवश्यक ...

- **गरीबी एवं अशिक्षा**: भारत जैसे विशाल राष्ट्र में गरीबी एवं अशिक्षा न केवल नारी सशक्तिकरण ... लिए बल्कि सभी परियोजनाओं के लिए एक 'कामन एनमी' है। अशिक्षित है इसलिए गरीब है ... है इसलिए अशिक्षित है जैसे दोनों अन्योनाश्रित हों। जब तक नारी को शिक्षित न किया ... सशक्तिकरण सिवाय मृग–मरीचिका के कुछ नहीं।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता**: शिक्षित नारी यदि आत्मनिर्भर न हो तो नारी सशक्तिकरण केवल ... ही रह जायेगी। अतः यह जरूरी है कि उसे रोजगार, उद्यमिता या व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन ...

... उसकी आर्थिक आम
... किसी अन्य का।
... एवं व्यक्तित्व विकासः
... जिससे वह अपने कैरियर
... का सहारा ले। जैसे
... एवं पेशेवर कला
... कार्य कुशलता के साथ
... वहन कर सके। जिन
... उपलब्ध कराये ताकि वह
... एवं निर्णय में सहभागि
... सुनिश्चित होना चाहिए
... एवं समानताः एक
... भयभीत न हो तभी
... कि स्त्री जाति पर अ
... अन्य क्षेत्रों में समान
... हो या प्राइवेट सेक्
... आत्मक सोच में बदला
... पुरूष को परिवार क
... सम्पत्ति में हिस्सेदारी
... सेक्स' मानी जाती
... नारी सशक्तिकरण किय
... सुरक्षाः विवाह के
... आर्थिक रूप से निर्भर
... कि उसे सामाजिक सुर
... युक्त सुझावों के अलाव
... क्रम (यू.एन.डी.पी.)
... आन्दोलनों, लेखकों,
... कई लोग नारी सश
... हैं जो कि सही नहीं
... द्वारा इसी प्रकाश
... सहायक है। नारी सशक्ति
... करने की रणनीति।
... में नारी सशक्तिक
... सकता है जब हम सब

**Journal of Chemistry and Chemical Sciences**, *Vol.9(5), 170-175, May, 2019*
(An International Research Journal), *www.chemistry-journal.org*
*ISSN 2229-760X (Print)*
*ISSN 2319-7625 (Online)*

# Solid Polymer Electrolytes: Temperature Dependent Ionic Conductivity and Solid State Battery Fabrication

**Kiran Thakur[1], Angesh Chandra[2], Archana Chandra[2] and S. S. Thakur[3]**

[1]Department of Chemistry,
Govt. Pataleswar College Masturi, Bilaspur, Chhattisgarh, INDIA.
[2]Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology,
Raipur – 492 015, Chhattisgarh, INDIA.
[3]Department of Chemistry,
Guru Ghasidas University, Bilaspur, Chhattisgarh, INDIA.
email: chandrassi@gmail.com; kthakur.02@gmail.com.

(Received on: April 30, 2019)

## ABSTRACT

Temperature dependent ionic conductivity studies of a newly synthesized silver ion conducting solid polymer electrolyte (SPE): [70PEO:30AgCl] have been reported. The activation energy ($E_a$) of SPE have also been calculated with the help of Arrhenius equation below the transition temperature. Solid state battery fabrication and cell potential discharge characteristic studies on thin film solid state battery are reported. $Ag^+$ ion conducting SPE: [70PEO: 30AgCl (wt.%) as electrolyte was sandwiched between Ag-metal foil as anode and hot-pressed film of ($C+I_2$+Electrolyte) as cathode. The cell potential discharge profiles were drawn under different load conditions at room temperature. An open circuit voltage (OCV) ~ 0.62 V, obtained in these batteries, is fairly low as compared to the theoretical OCV (~0.687V). Temperature dependent ionic transference number ($t_{ion}$) was determined with the help of dc polarization technique.

**Keywords:** Solid polymer electrolytes, ionic conductivity, ionic transference number, polymer battery.

## 1. INTRODUCTION

The ion conducting superionic solids show great technological promises as potential electrolyte systems to fabricate all solid-state electrochemical devices viz. batteries, fuel cells,

MAH/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

# विद्यावार्ता®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

Issue-33, Vol-07 January to March 2020

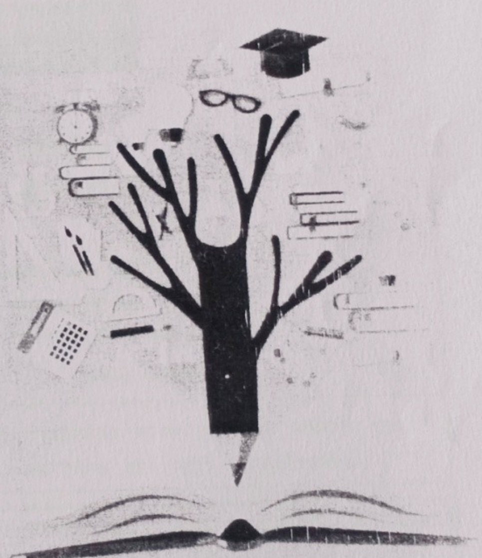

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

MAH/MUL/ 03051/2012 ISSN :2319 9318

आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक शोध पत्रिका

# विद्यावार्ता™

Jan. To March 2020
Issue-33, Vol-07

Date of Publication
01 Feb. 2020

Editor
Dr. Bapu g. Gholap
(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ **विद्यावार्ता** या आंतरविद्याशाखीय बहूभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मतांशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. **न्यायक्षेत्र:बीड**

"Printed by: **Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.** Published by **Ghodke Archana Rajendra** & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor **Dr. Gholap Bapu Ganpat.**

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

**Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.**
At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com
All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors

14) स्मरण प्रतिमानाची माध्यमिक स्तरावर परिणामकारकता– एक प्रायोगिक अध्ययन
आर. एम. माणुसमारे ||56

15) संत तुकारामांच्या अभंग रचनेचे मूल्यमापन
डॉ. गुंफा पाटीलबा कोकाटे, बेलापूर ||59

16) साहित्योपासक : श्री संत अच्युत महाराज
प्रा. साजिद के. शाह, अकोला ||64

17) शेतीविषयक धोरणांचा बदलता आलेख: शेती भाडे तत्वावर?
प्रा. प्रतिमा परदेशी ||68

18) संत तुकारामांचे अंधश्रध्दा निर्मूलनाचे कार्य
सूर्यकांत वरकड, अहमदनगर ||70

19) महात्मा गांधीजीचे राजकिय विचार
प्रा. डॉ. महादेव मुंडे, जि.बीड ||73

20) कृषी आणि कृषी वित्त पुरवठा : एक अभ्यास (विशेष संदर्भ धुळे जिल्हा)
डॉ. जितेंद्र डी. तलवारे, गुलाबसिंग जे. पावरा, धुळे ||75

21) विदर्भातील लोकनाटय दंडार
ज्योती वासुदेव बांन्ते, नागपूर ||78

22) मध्य प्रदेश में सहरिया जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति
डॉ. योगेश्वर प्रसाद बघेल, जॉजगीर चाम्पा ||81

23) समकालीन हिन्दी महिला कहानीकारों की कहानियों में स्त्री चेतना एवं संवेदना के ...
दुर्गेश शोध छात्र, झांसी ||89

24) सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' के काव्य में प्रगतिशील चेतना
डॉ. नेमीचंद कुमावत, भीलवाड़ा ||93

25) स्त्री विमर्ष : हिंदी सिनेमा
प्रा.डॉ. माधव सुभाषराव पाटील, परभणी ||102

26) एडल्टरी (धारा ४९७) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सामाजिक प्रभाव
डॉ. शारदा दुबें, डॉ. दुर्गा बाजपेयी, बिलासपुर ||104



www.vidyawarta.com/03 http://www.printingarea.blogspot.com

**26**

# एडल्टरी (धारा ४९७) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सामाजिक प्रभाव

**डॉ. श्रीमती शारदा दुबें**
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय बिलासपुर छ.ग.

**डॉ. श्रीमती दुर्गा बाजपेयी**
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र,
शासकीय. पातालेश्वर महाविद्यालय,
मस्तूरी, जिला. बिलासपुर, छ.ग.

***********

आई.पी.सी. की धारा ४९७ के तहत व्याभिचार को अपराध की श्रेणी में तो रखा गया है, लेकिन ये अपराध महज पुरूषों तक ही सीमित है। इस मामले में महिला को अपराधी नहीं माना गया है। इस धारा के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरूष किसी शादीशुदा महिला के साथ रजामंदी से संबंध बनाता है, तो उस महिला का पति एडल्टरी के नाम पर इस पुरूष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। उसे ५ साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। १८६० में बनें इस कानून के मुताबिक कोई भी महिला अपने पति को किसी पराई स्त्री से व्याभिचार करने पर सजा नही दिलवा सकती थी। केवल व्याभिचारिणी औरत का पति ही उस पुरूष के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता था।

१५८ साल पुराने इस विवाहेत्तर संबंध कानून की कहानी कॉफी दिलचस्प है। विवाहेत्तर संबंध के अपराध को १८३७ में थॉमस बाबिंगटन मैकॉले यानी लार्ड मैकाले की अध्यक्षता में तैयार भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) के पहले ड्राफ्ट में स्थान नही मिला था। हालांकि कानून आयोग ने १८४७ में दण्ड संहिता पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में अलग राय दी। आयोग ने कहा कि हम विवाहित महिला के साथ व्याभिचार के लिए अपने संज्ञान को सीमित कर देंगे। इसलिए देश में महिलाओं की हालत, उनके प्रति सम्मान में हम अकेले पुरूष अपराधी को दंड के लिए जिम्मेदार ठहरायेंगें। इसके बावजूद कानून आयुक्तों द्वारा यह सिफारिश स्वीकार नही की गई थी। बाद में इसे आई.पी.सी. की धारा ४९७ के रूप में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ६७ साल से धारा ४९७ पर बहस चली आ रही है।

१. १९५१ :– याचिकाकर्ता युसूफ अजीज ने धारा ४९७ को चुनौती दी। इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। कहा यह पुरूषों से भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्यत: पुरूष ही बहलाने फुसलाने वाला होता है, इसलिए महिला केवल पीड़ित होती है, अपराधी नहीं।

२. १९८५ :– यान्चिकाकर्ता सौंमित्री विष्णु की ऐसी ही दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में सिर्फ एक पुरूष को ही दूसरे पुरूष के खिलाफ शिकायत का अधिकार है। अगर कानून पुरूष को महिला के खिलाफ केस करने की इजाजत नहीं देता तो महिला को भी पुरूष के खिलाफ केस की इजाजत नहीं देता।

३. १९८८ :– याचिकाकर्ता बी. रेवती ने कहा कि इस कानून के तहत पुरूष को तो शिकायत करने का अधिकार है लेकिन महिला अपने व्याभिचारी पति के खिलाफ शिकायत नही कर सकती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला को अपराधी की श्रेणी में न रखने में दंपति को विवाद को सुलझाने और शादी की संस्था कायम रखने में मदद मिलती है।

विधि आयोग ने १९७१ में पेश अपनी ४२ वीं रिपोर्ट में सरकार से इस कानून को लैंगिक झुकाव से मुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद २००३ में भी आपराधिक कानूनों में सुधार पर विचार के लिए बनी मलीमथ समिति ने धारा ४९७ को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सलाह दी थी। मगर सरकार ने सिफारिशों पर गौर नहीं किया।

४. २०१७ :– इटली मे रहने वाले केरल के ४१ साल के बिजनेसमैंन जोसेफ शाइनी ने दिसम्बर २०१७ में सुप्रीम कोर्ट में धारा ४९७ को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। शाइनी ने ४५ पन्ने की याचिका में धारा ४९७ को भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ काम करने वाला कानून बताया था। कहा

था इसमें स्त्रियों की भूमिका को सिर्फ सेक्स के लिए सहमति देने तक सीमित कर दिया गया है। असहमति में सेक्स बलात्कार की श्रेणी में आता है। पर जब स्त्री संबंध बनाने की सहमति से भागीदार है तो फिर सजा में क्यों नही। अंग्रेजो ने बनाया था अडल्टरी कानून बनाया था लेकिन उन्होने इसे कभी अपराध नही माना। फैसले में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि भारत ने ब्रिटेन के कानून के बड़े हिस्से को अपनाया है। लेकिन उस देश ने कभी भी एडल्टरी को अपराध नही माना।

संविधान पीठ मे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर आर. एफ. नरीमन, वी. आई. चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा शामिल थी। बेंच ने २४३ पेज में चार अलग–अलग फैसले लिखकर एकमत से धारा ४९७ को असंवैधानिक करार दिया।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा औ जस्टिस ए. एम. खानविलकर ने कहा कि महिला को मजबूर नहीं कर सकते कि वह पुरूष या समाज की तरह ही सोचें। पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है। ऐतिहासिक भ्रांतियां खत्म करने का वक्त आ गया है। जिस पति को वे अपना स्वामी मानती रही है। वह अब न तो उसका 'मालिक' है और न ही वह उसकी कोई 'जागीर' उसके शरीर पर सिर्फ उसका (महिला का) ही हक है, और अगर वह किसी बाहरी पुरूष या पुरूषों के साथ शारीरिक संबंध कायम करती है तो ऐसा करना उसके या उस बाहरी पुरूष के लिए अपराध नहीं माना जायेगा। पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस तरह के विवाहेत्तर संबंधों के लिए तलाक का प्रावधान कानून में पूर्व की तरह कायम रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने कानून के कुछ प्रावधानों को बनाये रखते हुए विवाहित महिलाओं को एक नई 'शारीरिक आजादी' प्रदान करता है।

अब किसी और की पत्नी से संबंध बनाने वाले पुरूष पर किसी तरह का केस दर्ज नही हो सकेगा। मतलब यह है कि धारा ४९७ में अब कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। मगर कानून के कई जानकारों का मानना है कि केस इस श्रेणी में दर्ज नही हुआ तो असर दूसरे तरह के अपराधों के ग्राफ पर नजर आना तय है। खासकर छेड़छाड़ तथा दुष्कर्म के ग्राफ पर। दरअसल सुप्रीमकोर्ट के जजमेंट को देखकर अहसास होता है कि एडल्टरी में सजा का प्रावधान शहरी जीवनस्तर को ध्यान में रखकर खत्म किया गया है। मगर भारत की ७० प्रतिशत आबादी तो गांवों में बसती है। वहां दासता, जातिवाद, गरीबी, अंधविश्वास आज भी है।

चरित्रशंका के मामले भी ज्यादातर [illegible] सामने आते है। यहां खाप पंचायतें [illegible] दे देती है। अब तक तो [illegible] सच्चाई होती थी वे पुलिस या कोर्ट [illegible] मगर अब इनका हल [illegible] के दबाव में पत्नी को [illegible] ३५४ यानी छेड़छाड़ का केस दर्ज [illegible] फिर धारा ३७६ यानी दुष्कर्म का [illegible] बात नहीं मानती तो [illegible] है, इतने पर भी कोई [illegible] सकता है।

विधि आयोग ने [illegible] में पेश अपनी ४२ वीं रिपोर्ट में सरकार से इस कानून को लैंगिक झुकाव से मुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद २००३ में भी आपराधिक कानूनों में सुधार पर विचार के लिए बनी मलीमथ समिति ने धारा ४९७ को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सलाह दी थी। मगर सरकार ने सिफारिशों पर गौर नही किया।

इस पुराने कानून में महिला मूकदर्शक बनी रहती थी उसकी कोई भूमिका नही थी। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह दावा है कि उसके पांचो जजो ने महिला सम्मान की रक्षा कर दी है। उसने व्याभिचार को अपराध मानने से मना कर दिया है। यानी कोई आदमी उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाये या व्याभिचार करे तो वह उसे सजा नही दिलवा सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी महिला और पुरूष में आपस में सहमति हो जाये तो वे व्याभिचार कर सकते है, यह अवैध नही होगा। हाँ यदि विवाहेत्तर संबंध आत्महत्या का कारण बन जाये तो अदालत उस पर विचार कर सकती है।

लेकिन यदि किसी भी महिला पुरूष के बीच यदि विवाहेत्तर दैहिक संबंध कायम किये जाते है तो उन्हें न तो वैध माना जा सकता है और न ही नैतिक। पांच जजों की बेंच ने कानून रद्द करते हुए जो अहम बाते कही है। स्त्री के शरीर पर सिर्फ उसका हक है,

ये कानून पुरूष प्रधान समाज की सोच का नतीजा है।

• महिला बाहरी पुरूष से संबंध बनाती है, तो यह उसका अधिकार है वह पति की जागीर नही हो सकती।

• शादी का मतलब यह नही है कि महिला अपनी सेक्सुअल ऑटोनामी पुरूष को सौंप दे।

• यह कानून महिला की आजादी के खिलाफ है, इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है।

• पवित्रता सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है,ये पतियों पर भी समान रूप से लागू होती है।

• जब स्त्री संबंध की सहमति और संबंध बनाने में भागीदार है तो फिर सजा सिर्फ पुरूष को क्यों?

• कानून कहता है कि महिलाये उकसाती या संबंध की शुरूआत नहीं करती , यह बात भी एकतरफा है।

**दुनिया के ६० से ज्यादा देश एडल्टरी खत्म कर चुके है :–**

**दक्षिण कोरिया** :– २०१५ में विवाहेत्तर संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।

**जापान** :– १९४७ में ही इसे खत्म कर दिया।

**फिलीपींस** :– यहाँ ४ महीने से लेकर ६ साल तक की सजा का प्रावधान है।

**सऊदी अरब** :– पत्थर मार–मारकर जान से मारने की सजा का प्रावधान है।

**पाकिस्तान** :– ऐसे मामलों को २ श्रेणियों में बाटा जाता है। गंभीर विवाहेत्तर संबंध अवैध है, पर कई राज्यों में यह अपराध है। सजा आजीवन कारावास भी हो सकती है।

**ब्रिटेन** :– यहाँ एडल्टरी अपराध नही है, लेकिन इसे तलाक लेने की बड़ी वजह बताया गया है। १७०७ में मुख्य न्यायाधीश जॉन हाल्ट ने व्याभिचार को हत्या के बाद सबसे गंभीर अपराध बताया था। इस्लामी कानून के अनुसार व्याभिचार को सिद्ध करना आसान नही है, क्योंकि वह ४ गवाहों के सामने प्रत्यक्ष किया हुआ होना चाहिए। अफगानिस्तान के पठान कट्टर मुस्लिम होते हुए भी शरिया के इस प्रावधान को नही मानते व्याभिचार के मामलों में पश्तूनवाली चलाते हैं और कठोरतम सजा देते है।

ईसा मसीह का मानना था कि पुरूष का पराई महिला को ओर कामातूर नजरों से देखना भी पाप या अपराध की श्रेणी में आता है। पर जब एक महिला को अडल्ट्री के अपराध में यहूदी कानून के मुताबिक पत्थरों से मारने की सजा सुनायी जाती है तो वे ही ईसा मसीह फरमान देते हैं कि पहला पत्थर वह व्यक्ति चलाये, जिसने कभी कोई अपराध न किया हो। इसके बाद कथित व्याभिचारिणी सजा पाने से बच जाती है। कृत्य का भागीदार पुरूष तो पहले से ही बचा हुआ रहता है।

मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में व्याभिचार को अत्यंत धृणित अपराध कहा गया है। मनु और याज्ञवल्क्य ने व्याभिचारी व्यक्ति के लिए ऐसी सजा का प्रावधान किया है, जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते है। हमारी स्मृतियों में शारीरिक संबंध तो बहुत दूर की बात है, स्त्री–पुरूष संबधों में अनेक बारीक मर्यादाओं कारा भी प्रावधान है।

यदि विवाहेत्तर संबंध इसलिए होता है कि संतानोत्पति की जाय तो इसे हमारे प्राचीन शास्त्रों में नियोग कहा गया है।

इस तरह के मुक्त यौन–संबंधों से समाज में विवाह और परिवार नामक पवित्र संस्थायें नष्ट हुए बिना नहीं रह सकती। लिव इन रिलेशनशिप के बाद यह कानून महत्वहीन हो गया था, ऐसा जज का विचार है। शादियों के पंजीकरण की अब आवश्यकता नही है। मुक्त यौन संबंध समाज में अनेक कानूनी और नैतिक उलझने पैदा कर देंगें। यह महिला को भी पुरूष के जैसे स्वेच्छाचारी और निरंकुश बना देगा। यह प्रवृत्ति भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रतिकूल है। यह प्रकृति वैध तो है परन्तु नैतिक नहीं । २७ सितम्बर २०१८ को समाप्त हुए कानून का समाज पर तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव अवश्यम्भावी है।

**संदंर्भ** :–

१. दैनिक भास्कर दिनांक २८.०९.२०१८।
२. दैनिक भास्कर दिनांक २९.०९.२०१८।
३. दैनिक भास्कर दिनांक ०१.१०.२०१८।
४. दैनिक भास्कर दिनांक ०७.१०.२०१८।
५. नेट द्वारा प्राप्त सामग्री।
६. लेखक के स्वयं का अपना चिन्तन और विचार।

❑❑❑

Indian Journal of Pure & Applied Physics
Vol. 58, September 2020, pp. 686-690

# Silver ion conducting solid polymer electrolytes: Synthesis and ion transport studies

Angesh Chandra[a*], Archana Chandra[a], R S Dhundhel[a], Alok Jain[a], Kiran Thakur[b], S S Thakur[c], Subhashis Basak [d], M Z Khan [d] & Alok Bhatt[e]

[a]Shri Shankaracharya Institute of professional Management and Technology, Raipur, Chhattisgarh, 492 015, India
[b]Department of Chemistry, Govt. Pataleswar College Masturi, Bilaspur, Chhattisgarh, 495 551, India
[c]Department of Chemistry, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, India
[d]Dr. C V Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India
[e]Bharti College of Engineering and Technology, Durg-491 001, Chhattisgarh, India

*Received 26 February 2020; accepted 22 July 2020*

A new silver ion conducting Polyethylene Oxide (PEO) based solid polymer electrolyte (SPE) films: (1-x) PEO: xAgCl, where $0 \leq x \leq 70$ in wt.%, are synthesized by using a new hot-press and traditional solution-cast techniques. The electrical conductivity of the SPE increased with the concentration of salt AgCl. The optimum conducting composition (OCC): 70PEO: 30AgCl with ionic conductivity ($\sigma$) $6.0 \times 10^{-7}$ $Scm^{-1}$ have been determined at room temperature. The increase in ionic conductivity has been explained with the help of ionic mobility ($\mu$) and mobile ion concentration (n) studies. To explain the ionic nature of the present system, ionic transference number ($t_{ion}$) measurement has been carried out at room temperature.

**Keywords:** Solid polymer electrolyte, hot-press technique, ionic conductivity, ionic mobility, ionic transference number.

## Introduction

Solid polymer electrolytes with high ionic conductivity have been a subject of great interest in recent years in the area of polymer research due to theoretical interest as well as practical importance for the development of all-solid-state mini/micro electrochemical power sources *viz.* rechargeable batteries, electro chromic display devices, and fuel cells, or super capacitors and other applications[1-3]. Solid Polymer electrolyte (SPE) have been quite attractive because this can lead to flexible, compact, laminated solid state structure, free from leaks and available in different geometries[4]. Pure Poly ethylene oxide (PEO) polymers often exhibit poor electrical conductivity (PEO) but it dissolves in high concentrations a wide variety of salts to form polymeric electrolytes[5-7]. Recently Park *et al.* studied the differences between the erformance parameters for dye-sensitized solar cells DSCs) using liquid and poly (ethylene oxide)-based olid polymer electrolytes[7]. The conductivity of SPE lm was found to depend upon the concentration and rticle size of the inert phases[8-9]. In PEO polymer, cations are coordinated with the polymer chain. Physical properties can be changed by changing the chemical composition. The polymer electrolyte plays a roll of a solvent for ions that shows a liquid-like degree of freedom[10-11]. SPE films are usually prepared by the traditional 'solution cast' technique however in the recent years a completely dry procedure known as 'hot-press' technique, has been developed for casting dry polymer electrolyte films[12-15]. Polyethylene oxide (PEO) can be complexed with wide variety of ionic salts with the only requirement of selecting those having large anions and de localized charge, to assure the stability of the complex[16]. The several researches on silver-ion polymer electrolytes has been reported, such as poly ethylene oxide (PEO) and polyvinyl alcohol (PVA) based polymer salt complexes comprising $AgCF_3SO_3$, $AgNO_3$, AgI, $Ag_2O$ etc[17-19]. The present investigation reports, synthesis and ion transport studies of a new $Ag^+$ ion conducting conduction solid polymer electrolytes (SPEs): (1-x) PEO: x AgCl, where $0 \leq x \leq 70$ wt.%.

orresponding author: (E-mail: chandrassi@gmail.com)

## Experimental

SPE films of different salt concentrations: (1-x) PEO: x AgCl, where $0 \leq x \leq 70$ wt.%, have been casted

International Refereed
& Blind Peer-Reviewed
Multidisciplinary
Research Journal

Vol. 7
Issue 1
Jan.-Feb.-Mar.
2020

ISSN 2348 – 3318

# Recent Researches in Social Sciences & Humanities

幸福

RESEARCH

www.recentjournals.in
www.wellpress.in

# CONTENTS


| S.No. | Titles & Author/s | Pages |
|---|---|---|
| 1. | DICHOTOMY BETWEEN INDIVIDUAL AND SOCIETY : THE CRISIS IN HUMAN VALUES IN THE NOVEL - PETER CAMENZIND<br>***Mansi Vats*** | 1-7 |
| 2. | EFFECT OF SIX MONTHS SUPERVISED YOGIC PRACTICES ON POSITIVE MENTAL HEALTH OF COLLEGE STUDENTS<br>***Kapil Kumar Sahu & Jai Shankar Yadav*** | 8-11 |
| 3. | THE YOGIC THERAPY OF IYENGAR : A PHILOSOPHICAL STUDY<br>***Priyanka Shukla*** | 12-20 |
| 4. | CORPORATE & ECONOMICAL ASPECTS OF YOGA<br>***Gomati Singh*** | 21-25 |
| 5. | CONSUMER PROTECTION IN POVERTY, FOOD SECURITY AND HEALTH SERVICES WITH RESPECT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT<br>***Anuj Kumar Bhadana & Virendra Singh*** | 26-29 |
| 6. | YOGA IS A PROMISING APPROACH FOR DEALING WITH THE STRESS RESPONSE<br>***Mahesh Singh Dhapola & Debabrata Sarkar*** | 30-34 |
| 7. | CURRENT PERSPECTIVE ON SCIENTIFIC ASPECTS OF YOGA AND MEDITATION<br>***Kiran Thakur & S. S. Thakur*** | 35-37 |
| 8. | YOGA AS AN EFFECTIVE TOOL IN PEACE EDUCATION, ITS RELEVANCE IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM AND APPROACHES OF GOVERNMENT OF INDIA<br>***Avanish Kumar*** | 38-40 |
| 9. | BENEFITS AND TREATMENTS OF YOGA IN DE-ADDICTION<br>***Dinesh Bala*** | 41-43 |
| 10. | "SUDERSHAN KRIYA" ART OF BREATHING AND BOON TO HEALTH<br>***Ramesh Kumar Tamboli*** | 44-46 |
| 11. | योगाभ्यास का विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाला प्रभाव<br>***डी.आर. साहू, केवल चक्रधारी एवं डी. के. सिंह*** | 47-50 |
| 12. | भारत में बाल श्रम : सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य<br>***जगतार सिंह*** | 51-54 |
| 13. | अनुसूचित जातियों पर शहरीकरण का प्रभाव तथा सामाजिक परिवर्तन<br>***अंजली देवी*** | 55-58 |
| 14. | भारत में सामाजिक परिवर्तन : पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण<br>***निशा रानी*** | 59-62 |
| 15. | आधुनिक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की सहभागिता : आरक्षण के विशेष सन्दर्भ में<br>***सुमित कुमार*** | 63-65 |
| 16. | आधुनिक सन्दर्भ में स्त्री विमर्श एवं महादेवी<br>***भावना अग्रवाल एवं विमला सिंह*** | 66-72 |
| 17. | योग और संबंधित साहित्य<br>***ए. एल. ध्रुवंशी*** | 73-77 |


Contd.... to the next page.

RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 1, Vol. : 7,
Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 35 - 37
ISSN 2348 - 3318

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

# CURRENT PERSPECTIVE ON SCIENTIFIC ASPECTS OF YOGA AND MEDITATION

Kiran Thakur[1] & S. S. Thakur[2]

1. Department of Chemistry, Government Pataleshwar College, Masturi, Distt.- Bilaspur (C. G.)
2. Department of Chemistry, Guru Ghasidas Central University, Bilaspur (C. G.)

*Received* : 11/03/2020 *1st BPR* : 14/03/2020 *2nd BPR* : 18/03/2020 *Accepted* : 22/03/2020

## ABSTRACT

Yoga is known to be one of the finest ancient Indian techniques where physical, mental ad spiritual body meet out at a single point. Because of its various significance the UNO declared 21st June as 'Intrnational Yoga Day'. This technique is purely based on scientific methods which regulates the human physiology to become an overall psychological mindfulness well-being. The various scientific studies and brain chemistry supports this approach. According to Patanjali's Yoga Stutras, which come to the existance prior to 400 CE, there is eightfold (Ashtanga) pathway to attain complete mindfulness. The last i. e. 'Samadhi' and prior to the last i. e. Meditation pathway is the realization of absolute truth, which is commonly known as 'Bramha'. In this paper scientific aspects of Yoga and meditation have been discussed.

***Keyword*** : Yoga, Meditation, Mindfulness, Cognitive behaviour, Brain Chemicals.

## Background

Archaeological evidence shows that in Valley sites (c. 3000 – c. 1500 B.C.E.) there were figures which seated in a clear yogic posture particularly in meditative possture of padmāsana. Yoga and meditation has been practiced on the Indian subcontinent for well over 4000 years.1 The literary source of Yoga is cited on oldest Vedas text, Ṛg Veda (c. 1200– c. 1500 B.C.E.), Upaniṣads and Shri Madbhagawat Geeta. Yoga provides an experimental technique based protocols to expreience Bhramha or Aboslute Truth which is localized in human body as ātman/self whereas Upnisads focuses on pure jñāna/knowledge. The Patanjali Yoga Sutra ultimates goal is to realize the pure consciousness by meditative practices which is free from all kinds of sufferings, bondage, external and internal conflicts, and only aware of its being stated as state of Samadhi Sat-Chit-Ananda i.e. Sachitananda along with metaphysical mystical power.

## Scientific aspects of Meditation

In Yoga Sutra to attain the Absolute Truth eight method or pathway (Ashtanga ) is described which includes- yama (abstinences), niyama (observances), asana (yoga postures), pranayama (breath control), pratyahara (withdrawal of the senses), dharana (concentration), dhyana (meditation) and samadhi (absorption). Meditation is a type of mindfulness training process which involves concentration, observation and awareness which is performed in particular posture preferably Padmasan with eye closed manner. The next step of meditation is Samadhi where the absolute truth or cosmic energy meets out with Yogi or practitioner. The Yogi in a Samadhi state may get ecstatic state and capable of practicing meditation as long as he desires with any method of mediation.

In the recent years the research related to mindfulness-based interventions (MBIs) and meditation have been increased exponentially.2–8 Quite recently, the brain researchers detected improvements in

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 1, Vol. : 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 35-37 , ISSN 2348-3318
Kiran Thakur & S. S. Thakur
International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

cognition, positivity, revitalization, tranquillity, and emotional well-being in Yoga and meditation practitioner for both God believers and atheists.9 C. Streeter reported first time that after executing 60 minutes of meditation posture by Yogi, the brain chemical GABA attains maximum concentration.10 Needless to say that ` -aminobutyric acid (GABA) is a naturally occurring amino acid which functions as a neurotransmitter in brain and controls anxiety (Scheme I).11

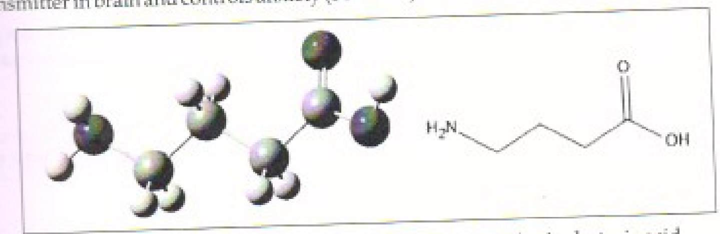


Scheme I- Structure of brain chemical GABA i.e. g-Aminobutyric acid

Further, there is also significant decrease in activity of other brain chemicals like dopamine and serotonin before, during and after Yoga and meditation. S. Lazar showed in a controlled experiment that the brain image of meditating Yogi is different with improved performance termed as neuroplasticity. 10-12

Schöne et al. Showed evidences of executing mindfulness meditation which increased performance on a range of cognitive tasks. They studied changes in behavioural performance of meditation practitioners during a multiple object tracking (MOT) task that taps core cognitive processes, namely sustained selective visual attention and spatial working memory by recording the steady-state visually evoked potential (SSVEP), an electroencephalo gram EEG signals. In their findings by means of a randomised active control group study, they showed the first electrophysiological and behavioural evidence of efficiency gains resulting from meditation in a demanding cognitive task that combines selective attention, executive control and visual short-term memory. Further, it is having the potential of using the scalable MOT task for tracking performance improvements and the SSVEP paradigm for investigating neural efficiency gains related to meditation practice.13

## Conclusion

Yoga and meditation is universal for all and not related to any particular region, religion or religious belief, God believers and atheists rather if it is performed individually or in a set of group, significant positive changes in brain, behaviour, cognition, societal may be observed and measured by the recent available scientific methods/techniques. However, generalizing and reproducing any scientific data related to the research findings i.e. effect of Yoga and meditation on human mind/brain (human consciousness), the probability of admixing with theoretical/theology and experimental ambiguity, needs to be addressed very carefully.

## References

1. A. H. Aranya Yoga Philosophy of Patanjali (with the commentary of Vyasa) 1984, Albany, State University of New York Press, ISBN: 0-87395-729-6.
2. Hofmann S. G., Sawyer A. T., Witt A. A. Journal of Consulting and Clinical Psychology 2010, 156, 169-183.
3. Piet J., Hougaard E. Clinical Psychology Review 2011, 31, 1032-1040.
4. Chiesa A., Serretti A. Substance Use & Misuse 2014, 49, 492-512.

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITI
Issue : I, Vol. : 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 35-37 , ISSN 2348-



International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

5. Gu J., Strauss C., Bond R., Cavanagh K. Clinical Psychology Review 2015, 37, 1-12.
6. Hilton L. et al. Annals of Behavioral Medicine 2017, 51, 199-213.
7. Sedlmeier P. et al. Psychological Bulletin 2012, 138, 1139.
8. Sedlmeier P., Loße, C., Quasten, L. C. Mindfulness, 2017, 1-17.
9. M. Jarvis Science, 2017, 358, 461.
10. C. Streeter lecture during The Neuroscience and Society series on "Meditating Brain" is a partnershi between the Dana Foundation and the American Association for the Advancement of Scienc September 28, 2017, Washington, USA.
11. ibid S. Lazar
12. U Kreplin, M Farias, I A Brazil Nature Scientific Reports, 2018, 8, 2403.
13. B. Schöne, T. Gruber, S. Graetz, M. Bernhof, P. Malinowski Nature Scientific Reports, 2018, 8, 13687.

International Refereed
& Blind Peer-Reviewed
Multidisciplinary
Research Journal

Vol. 7
Issue 1
Jan.-Feb.-Mar.
2020

ISSN 2348 – 3318

# Recent Researches in Social Sciences & Humanities

幸
福

www.recentjournals.in
www.wellpress.in

RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issu
Jan.-Feb.-Mar. 2020,
ISSN

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

# योगाभ्यास का विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाला प्रभाव

डी.आर. साहू[1], केवल चक्रधारी[2] एवं डी. के. सिंह[3]

1. प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर
2. सहायक प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर
3. सहायक प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, बिलासपुर

*Received* : 11/03/2020 *1st BPR* : 12/03/2020 *2nd BPR* : 14/03/2020 *Accepted* : 18/03/2020

## ABSTRACT

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है 'योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाला प्रभाव' शोध की पूर्ति के लिए रायपुर (छत्तीसगढ़) विद्यालय से उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा 100 दृष्टिहीन विद्यार्थि चयन कर प्रयोज्यों को 1 महीने तक प्रतिदिन 50 मिनट प्रज्ञायोग व्यायाम, नाड़ीशोधन प्राणायाम, ओउम् उच्चार नादयोग साधना का अभ्यास कराया गया। उपलब्धि अभिप्रेरण स्तर का मापन टी. आर. शर्मा (2005) द्वारा 'एकेडमिक एचिव्हमेन्ट मोटिवेशन टेस्ट' द्वारा किया गया। इस शोध में 'पूर्व–परीक्षण पश्चात्–परीक्षण नियंत्रित शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण टी–टेस्ट सांख्यिकीय विधि द्वारा किया सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त टी का मान 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। परिणाम यह प्रदर्शित क कियोगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

***की–वर्ड*** : योग, दृष्टिहीन, शैक्षिक निष्पादन, उपलब्धि अभिप्रेरण।

वर्तमान समय चुनौतियों एवं प्रतिस्पर्धाओं का समय है। जीवन के इस दौर में जो इन चुनौतियों से लड़ना सीख उनसे घबराये बिना अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं वही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। ऊँचा उठने की ललक सभी मे है। लेकिन जिनका आत्मविश्वास दृढ़ हो एवं कुछ कर गुजरने की जिनमें हिम्मत हो उस व्यक्ति के मार्ग में आने वाली भी उसे लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं सकती।

जिन व्यक्तियों में देखने की क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है उन्हें दृष्टिहीन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में देखने की के बराबर पायी जाती है। आधुनिक समय की प्रतिस्पर्धाओं, चुनौतियों एवं व्यापक सामाजिक परिवर्तन के दौर ने दृष्टिही को काफी पीछे छोड़ दिया है। जीवन के विभिन्न पक्षों में आज दृष्टिहीन व्यक्ति निराश एवं असफल होता हुआ दिखला दृष्टिहीन व्यक्तियों को उनके परिवार तथा समाज बोझ के समान मानने लगे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो परन्तु समाज में आया यह परिवर्तन दृष्टिहीन व्यक्तियों में कई मानसिक रोगों के जनन का कारण बनता जा रहा है। आज यह बड़ा विषय है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों की क्षमता एवं प्रतिभा समाज के सामने उभर नहीं पा रही है। इस मानवीय संसाधन का परिमार्जन नहीं हो पा रहा है। यदि इस संसाधन को खोजकर सही तरीके से पोशित, प्रशिक्षित किया जाए तो वे अपने क्षमताओं एवं प्रतिभाओं का सदुपयोग कर समाज उत्थान के कार्य में महत्त्वपूर्ण भुमिका निभा सकते हैं।

दृष्टिहीन व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनमें शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण का होना आ जाता है। शैक्षिक निष्पादन से तात्पर्य विद्यार्थियों के विद्यालय कार्य में दक्षता एवं उनके प्रदर्शन से है, जिसका मापन ए विभिन्न मानकीकृत परीक्षणों के आधार पर निर्धारित ग्रेड के रूप में किया जाता है। किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन को उनके भावी जीवन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं।

अभिप्रेरण से सामान्य अर्थ वैसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उपलब्धि तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरण से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधि सफलता मिल सके (सिंह, 1997)।

वर्तमान समय में योग व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं एवं क्षमताओं को विकसित करने का एक उपाय है। यौगिक अभ्यास व्यक्ति को अपने शरीर, मन एवं आत्म पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है (Matthe योग शरीर को अत्यधिक तनाव, चिंता एवं अवसाद से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है (Parshad, 2004)। योग का

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue: 1, Vol.: 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages: 47-50, ISSN 2348-3318
डी.आर. साहू, केवल चक्रधारी एवं डी. के. सिंह

International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

की समस्त क्षमताओं, प्रतिभाओं का समरसता पूर्वक जागरण करना है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाने का कार्य करता है (Manoj, 2004)।

योग के विषय पर अधिकांश शोध सामान्य व्यक्तियों पर योग के प्रभाव संदर्भ में ही हुए हैं। परंतु "योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरणपर प्रभाव" विषय पर कम ही शोध कार्य हुये हैं। इसलिए इस शोध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण स्तर पर क्या प्रभाव पड़ताहै?

**शोध विधि**

प्रस्तुत शोध अभिकल्प में उदेश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा रायपुर (छत्तीसगढ़) के दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय में पढ़ने वाले 100 दृष्टिहीन विद्यार्थियों का चयन किया गया। जिनकी आयु सीमा 14–17 वर्ष थी।

**योगाभ्यास सारणी–**

चयनित प्रयोज्यों को 4 महीने तक प्रतिदिन सायंकाल 5.30 बजे से 6.20 बजे तक निम्नलिखित योगाभ्यास कराया गया–

| योगाभ्यास | समय |
|---|---|
| प्रज्ञायोग व्यायाम | 15 मिनट/दिन |
| प्रणव जप (ओ३म् उच्चारण) | 10 मिनट/दिन |
| नाड़ीशोधन प्राणायाम | 10 मिनट/दिन |
| नाद योग साधना | 15 मिनट/दिन |
| कुल समय 50 मिनट/दिन | |

**शोध अभिकल्प**

प्रस्तुत शोध में 'पूर्व–परीक्षण पश्चात्–परीक्षण नियंत्रित समूह शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है।

**शोध विधि**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 'पूर्व–परीक्षण पश्चात्–परीक्षण नियंत्रित समूह शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है। जिसमें 100 प्रयोज्यों का चयन उद्देश्य पूर्ण प्रतिचयन विधि करके प्रयोज्यों का पहलेपूर्व परीक्षण किया गया फिर 4 महीने तक योगाभ्यास कराया गया फिर प्रयोज्यों का पून: पश्चात् परीक्षण किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण टी–टेस्ट सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया।

**उपकरण**

प्रस्तुत शोध में उपलब्धि अभिप्रेरण को मापने के लिए टी. आर. शर्मा (2005) द्वारा निर्मित 'एकेडेमिक एचिव्हमेन्ट मोटिवेशन टेस्ट' का प्रयोग किया गया एवं शैक्षिक निष्पादन का मापन विद्यार्थी द्वारा योग निष्पादन के पूर्व एवं पश्चात् विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम के आधार पर किया गया।

**सांख्यिकीय विश्लेषण –**

प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु टी–टेस्ट सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है।

**शोध परिणाम**

- सारणी 01 –उपलब्धि अभिप्रेरण के मध्यमान का स्तर –

| Group | N | Mean | SD | df | t-value | Level of singnificance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | 50 | 26.24 | 2.63 | 98 | 5.23 | 0.01 |
| Experimental | 50 | 29.02 | 2.18 | | | |

प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 29.02 एवं SD का मान 2.63 है तथा नियंत्रित समूह का मध्यमान 26.24 एवं SD का मान 2.18 है। सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त टी मान 5.23 है। यह मान df 0.98 के 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक टी–सारणी मान 2.364 से अधिक है। अत: परिणाम df 0.98 में 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक है।

- सारणी 02–शैक्षिक निष्पादन के मध्यमान का स्तर –

| Group | N | Mean | SD | df | t-value | Level of singnificance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Control | 50 | 58.57 | 6.96 | 98 | 4.70 | 0.01 |
| Experimental | 50 | 62.93 | 7.30 | | | |

सारणी 02 से प्रदर्शित है कि प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 62.93 एवं SD का मान 7.30 है तथा नियंत्रित समूह का मध्यमान

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HU
Issue : 1, Vol. : 7, Jan.-Feb.-Mar. 2020, Pages : 47-50, ISSN
डी.आर. साहू, केवल चक्रधारी एवं डी.
International Refereed, Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary & Open Access Research Journal

58.57 एवं SD का मान 6.96 है। सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त टी मान 4.70 है। यह मान df .98 के 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक टी–सारणी मान 2.364 से अधिक है। अतः परिणाम df 98 में 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक है।

## परिणामों की विवेचना

योग का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक समस्याओं का समाधान करना है। वर्तमान समय में व्यक्ति शारीरिक रोगों, मानसिक व्याधियों एवं सामाजिक समस्याओं से पीड़ित है जिसके निराकरण हेतु योग ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो व्यक्ति को सदैव प्रसन्नचित्त रखकर उसमें अन्ततः ज्ञान का भण्डार भरती है तथा मन एवं भावनाओं पर नियंत्रण की क्षमता विकसित करती है (मिश्र, 2002)।

शैक्षिक परिस्थितियों में दृष्टिहीन विद्यार्थियों में तनाव, चिंता एवं असुरक्षा शैक्षिक निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तनाव व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक संसाधनों पर गहरा दबाव डालते हैं। जिससे विद्यार्थी एकाग्रता एवं कुशलता पूर्वक अध्ययन नहीं कर पाता। जिससे उनकी शैक्षिक निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है (The Times of India, 2007)।

योगाभ्यास से मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है, मन प्रफुल्लित रहता है और शरीर हल्का, फुल्का, फुर्तिला एवं तेजस्वी बन जाता है तथा बुद्धि प्रखर हो जाती है (शास्त्री, 2002)। योग व्यक्ति में प्रसन्नता अनुभूति एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करने का कार्य करता है (कुलश्रेष्ठ, असीम. 2006)। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं एवं सामान्य बच्चों को जब शारीरिक व्यायाम का अभ्यास कराया जाता है तो उनके शैक्षिक निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (Erin & Russell, 2012)।

ध्यान से विभिन्न हार्मोन जैसे– डोपामाईन, एसिटिलकोलाईन एवं गामा एमिनो ब्युटेरिक एसिडका स्त्रावण होता है जो व्यक्ति के आन्तरिक प्रसन्नता, एकाग्रता एवं स्मृति में वृद्धि करते हैं (Davidson, et al., 1984)। ध्यान से विद्यार्थियों में समस्या समाधान करने की क्षमता, स्मृति, अवधान, एकाग्रता एवं मानसिक क्षमता में वृद्धि होती हैजिससे विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (Heaton, et al.,1974)।

Shrivastav & Verma, (2001) ने अपने शोध में पाया कि योगाभ्यास के फलस्वरूप विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण में सार्थक रूप से वृद्धि होती है। योग मन और मानसिक क्षमताओं का विश्लेषण करता हुआ उसके जागरण और सुनियोजन का परिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। मानसिक क्षेत्र के विभिन्न आयाम जैसे– स्मृति, बोध क्षमता, सीखने की क्षमता, रचनात्मक कार्य, तर्क क्षमता आदि के विकास में यौगिक क्रियाएँ महत्त्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई हैं।

योगाभ्यास से विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण में सकारात्मक परिवर्तन आता है जिससे वे अपने लक्ष्य के प्रति अभिप्रेरित होते हैं जिससे विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण में वृद्धि होती है (Biswas & Agrawal, 1971)। इसके साथ ही & Srivastava, (2009); Manjunath & Telles et al, (2004); Parshad, (2004) द्वारा किये शोध इस शोध परिणाम का समर्थन करते हैं कि योगाभ्यास से उपलब्धि अभिप्रेरण एवं शैक्षिक निश्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

## निष्कर्ष–

शोध परिणाम से स्पष्ट है कि योगाभ्यास से दृष्टिहीन विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण एवं शैक्षिक निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है जिससे यह पता चलता है कि योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण एवं शैक्षिक निष्पादन पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुलश्रेष्ठ, असीम (2006). नादयोग साधना का मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता अनुभूति एवं आत्मविश्वास पर प्रभाव का अध्ययन। संस्कृति इन्टर डिस्प्लिनरी ऑफ विहेवियर साईस एण्ड ओरिएंटल स्टडीज, 3(3),139–147।
2. मिश्र, प्रदीप (2002). योग तथा मानसिक स्वास्थ्य। लखनऊ– न्यू रॉयल बुक कम्पनी, 27–35।
3. शास्त्री, पं. पर्णचंद्र पंत (2002). योग विज्ञान। नाहन– इन्टरेक्टिव एजुकेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड, 19।
4. Biswas, A. & Agrawal J. C. (1971). Encyclopedia dictionary of education. New Delhi: The Ac Publishers, 1, 4.
5. Davidson, R. J. & Schwartz, G. E. (1984). Matching Relaxation Therapies to Types of Anxiety: A P Approach In Meditation: Classic and Contemporary Perspectives. New York: Aldine, 95.
6. Heaton, D. P. & Orme-Johnson, D.W. (1974). The Transcendental Meditation Program and Aca Achievement. International Centre for Scientific Research, Maharishi International University: Fairfield, Collected Papers, V1.60.
7. Joshi, S. & Srivastava, R. (2009). Self-esteem and Academic Achievement of Adolescents. *Journal of the*

Issue-74, Vol-02, March 2021

# Printing Area

International Peer Reviewed Referred Research Journal

ISSN 2394-5303

Editor
Dr.Bapu G.Gholap

www.vidyawarta.com

14] Human Resources Development for Agricultural Sector in India
**Dr. Krishan Deo Pandey, Gorakhpur** ||63

15] PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' USE OF AND FEELING FOR.....
**Prof. Ubale Rahul Vasantrao, Kolhar** ||66

16] उच्चशिक्षणापुढील आव्हाने
**Dr. Shital Dinkarrao Adgaonkar** ||70

17] भारताची कृषी क्षेत्रातील अनुदान निती
**प्रा. डॉ. कार्तिक पोळ, तुळजापूर** ||74

18] न्यूटनचे गतीविषयक नियम व खेळ यांचा सहसंबंधात्मक अभ्यास
**प्रा. डॉ. खुशाल पांडुरंग वाघमारे, घोणसी** ||76

19] आण्णा भाऊ साठे :चरित्र आणि कार्य
**डॉ. गजानन देवराव चिट्टेवाड, चिंचोली (लि.)** ||79

20] जात्यावरील ओवी : व्या□या, स्वरूप आ□ा प्र□ार
**प्रोफेसर डॉ.सदाशिव सरकटे, शिवाजी नगर, गढी ता.गेवराई जि.बीड** ||82

21] अ□यभाषीय साहित्याचा मराठी साहित्यावरील प्रभाव
**प्रा. डॉ. लक्ष्मण गित्ते, नांदुरघाट** ||89

22] वारकरी कीर्तन : एक लोककला
**येवले जालिंदर एकनाथ** ||91

23] शिक्षणशास्त्र महिला महाविद्यालयातील विद्यार्थी शिक्षिकांच्या समाजमाध्यमांच्या ....
**श्रीमती प्रतिभा उरसळ** ||94

24] भीड़तंत्र द्वारा हत्या (Mob Lynching)
**डॉ. श्रीमती शारदा दुबे, डॉ. श्रीमती दुर्गा बाजपेयी, मस्तूरी** ||100

25] ''बुन्देलखण्ड के उपन्यासों में दर्शन तत्व''
**डॉ. नीरज गुप्ता, अनिल कुमार दुबे, (उ.प्र.)** ||102

26] भारतीय समाज में स्त्री के विरुध्द हिंसा स्थिति पर परिदृष्य
**डॉ. पुरुषोत्तम भगवंता मनगटे, चिंचोली (लिं)** ||105




www.vidyawarta.com/03 | http://www.printingarea.blogspot.com

**24**

# भीड़तंत्र द्वारा हत्या(Mob Lynching)

**डॉ. श्रीमती शारदा दुबे**
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
शासकीय बिलासा कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

**डॉ. श्रीमती दुर्गा बाजपेयी**
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, बिलासपुर (छ.ग.)

************

Mob Lynching बिना किसी व्यवस्थित न्याय प्रक्रिया के किसी अनौपचारिक अप्रशासनिक समूह द्वारा की गई हत्या या शारीरिक प्रताड़ना को कहा जाता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर एक बड़ी भीड़ द्वारा अन्यायिक रूप से किसी कथित अपराधियों को दंडित करने के लिए या किसी समूह को धमकाने के लिए सार्वजनिक हत्या या अन्य शारीरिक प्रताड़ना को दर्शाने के लिया किया जाता है।

Mob का अर्थ भीड़ होना है और लिंचिंग का अर्थ गैरकानूनी ढंग से प्राणदंड देना इस प्रकार भीड़ के द्वारा दिया गया मृत्यु दंड इसका अर्थ हुआ। भीड़ की कोई शक्ल और मानसिकता नहीं होती है, लेकिन इन दिनों इस भीड़ ने अपना एक नया तंत्र खड़ाकर लिया है, इस तंत्र में कानून को धता बताकर तत्काल न्याय किया जाता है, बिल्कुल आदिम समाज की तर्ज पर। इन घटनाओं को सिर्फ हिन्दू मुस्लिम या बीजेपी–कांग्रेस के चश्में से देखना बेगानी होगा। हत्या का कारण, मरने वाले का नाम, धर्म, जाति, मारने की वजह और जगह का नाम बदलते जाइये, फेहरिस्त लंबी होती जायेगी। सिर्फ नही बदलेगा तो आरोपी, सभी वाकयों में आरोपी की जगह सिर्फ एक ही नाम है भीड़। इसके तमाम राजनैतिक कानूनी और मनोवैज्ञानिक पहलू है, कई दफा अदालतों पर से उठता विश्वास, लंबी कानूनी प्रक्रिया की बेचैनी और पुलिस का स्थापित घटिया रवैया भीड़ की हत्यारी मानसिकता के लिए उर्वरक का काम कर जाता है। भीड़ को भरोसा ही नही होता है, कि आरोपी को सजा और खुद उसें इंसाफ मिल सकेगा। इसलिए गुस्से और बहकावें में आकर भीड़ मूर्खतापूर्ण ढंग से हत्यारी भीड़ में तब्दील हो जाती है। लेकिन भीड़तंत्र की इस न्याय व्यवस्था को सिर्फ अदालत और पुलिस की नाकामी भर मान लेना जल्दबाजी होगी। असल में हमने नैतिकता और मर्यादा से चलने वाले समाज की बजाय कानूनी लाठी से हॉका जाने वाले असहिष्णु कुनबा ही खड़ा किया है। हम में से अधिकांश लोगों को इस बात का कतई यकीन नही है कि सिर्फ एक आम नागरिक की हैसियत से भी हमें इंसाफ मिल सकता है। इसीलिए संगठनों की अहमियत बढ़ गई है। एक नागरिक जब सिर्फ एक नागरिक के तौर, पर गुहार लगाता है तो उसे अनसुना कर दिया जाता है, उसकी सुनवाई तो तभी होती है। जब व किसी संगठन का सदस्य बनकर दबाव बनाने में कामयाब होता है। कई दफा भीड़ भी जल्दबाजी में खड़ा अव्यवस्थित संगठन' ही होता है। इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर ये संदेश देने की कोशिश भी की जाती है कि हम कानून से नही डरते इसी कारण से देखने में आता है कि ऐसी घटनाओं की बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाती है। सिर्फ अपना रौब और खौफ पैदा करने के लिए, जिस भीड़ की हिंसा का बार–बार जिक्र किया जाता है उसकी असली ताकत भी सबकुछ चुपचाप देखने वालों को बांधे और सिर झुकाए हुए सड़कों के किनारों पर स्थितप्रज्ञ भाव से खड़ी हुई यह भीड़ ही है जो हर एक परिस्थिति में बस अपनी मुट्ठियों को बांधे ही नजर आती है, वह किसी भी तरह की कोई दुख, पीड़ा या मूक विरोध भी व्यक्त नही करती।

राजनीतिक कारणों को तो अनदेखा किया

ही नही जा सकता। नेता जानते है कि भूखे को भड़काना आसान होता है। यही भीड़ राजनीतिक सत्ताओं के लिए भी असली ताकत का काम करती है।

बच्चा पकड़ने के शक में, गोहत्या के शक में मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे है। महाराष्ट्र में बच्चा चोरी की १० घटनाओं में ८ लोगों की मौत हो गई पुलिस ३ लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। नासिक में भीख मांगने आये ५ लोगों को भीड़ ने पीटा १३ लोग गिरफ्तार हुए। सबसे ताजा मामला पालघर का है, जहाँ साधु की पीट–पीट कर हत्या कर दी गई। अलवर के बहरोड़ में गो रक्षा बल और भीड़ ने गो तस्करी के संदेह में छह वाहनों को रोका और लोगों से मारपीट की।

२२ जून २०१७ को जुनैद की ट्रेन की सीट में बैठने को लेकर हुए विवाद में नई दिल्ली से मथुरा जा रही शटल ट्रेन में हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड में पलवल के खांदी गांव निवासी ६ लोग आरोपी बनाये गए।

२८ सितम्बर २०१५ को ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में कुछ युवकों ने अखलाक की हत्या कर दी थी, घर में गो मांस रखने के आरोप में पुलिस ने १८ लोगों को आरोपी बनाया जिसमें ३ नाबालिग थें।

पंजाब के बठिंडा में ९ जून २०१७ को तलवंडी साबो कस्बे में एक युवक को नशा बेचने के आरोप में भीड़ ने निशाना बनाया।

मॉब लिंचिंग को लेकर देश की कुछ हस्तियों द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किस तरह देश में मुस्लिमों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के विरूद्ध अपराध बढ़े है, और असहिष्णुता के माहौल के कारण निरपराध लोगों की हत्यायें हो रही है। दूसरे समूह द्वारा भी पत्र लिखकर सवाल उठाया गया कि देश के ये 'स्वयंभू गार्जियन' आतंकी हिंसा और नक्सलियों द्वारा गरीबों पर अत्याचार के खिलाफ चिट्ठी क्यों नही लिखते ।

बीते कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोषित वर्गों और हासिये पर मौजूद समुदायों के मध्य एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। वर्श २०१८ में सर्वोच्च न्यायालय ने लिंचिंग को भीड़तंत्र के एक भयावह कृत्य के रूप में संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को कानून बनाने के दिशा–निर्देश दिये थें।

**लिंचिंग के कारण** :— भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़े काफी मजबूत है। वर्तमान में लगातार बढ़ रही लिंचिंग की घटनायें अधिकांशतः असहिष्णुता और अन्य धर्म तथा जाति के प्रति घृणा का परिणाम है।

देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई है, जो कि हमेशा एक–दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने के लिए उकसाती है और मौका मिलने पर वे एक–दूसरे से बदला लेने के लिए भीड़ का इस्तेमाल करते है।

लिंचिंग में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी न होना देश में एक बड़ी समस्या है, जिससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है।

**संवैधानिक प्रावधान** :— भारतीय दंड संहिता (IPC) में लिंचिंग की घटनाओं के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर किसी तरह का स्पष्ट उल्लेख नही है और इन्हें धारा (३०२ हत्या) ३०७ (हत्या का प्रयास), ३२३ (जानबूझकर घायल करना) १४७–१४८ (दंगा–फसाद), १४९ (आज्ञा के विरूद्ध इकट्ठे होना) तथा धारा ३४ (सामान्य आशय) के तहत ही निपटाया जाता है।

CRPC में भी इस संबंध में कुछ स्पष्ट तौर पर नही कहा गया हें ,

भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते है, इसके बावजूद भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून मौजूद नहीं है।

**प्रभाव** :— मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं पूर्णतः गैर–कानूनी और संविधान में निहित मूल्यों के विरूद्ध होती है, ऐसे में यदि इन पर रोक नही

लगाई जाती है तो आम जनता का संविधान और न्यायपालिका से विश्वास उठ जायेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मॉब लिचिंग से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होना है।

यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो कानून द्वारा उसे सजा न देकर यदि भीड़ द्वारा हत्या कर दी जायेगी तो भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए समय रहते सावधान हो जाये।

**संदर्भ :—**

१. दैनिक समाचार पत्र।
२. नेट के माध्यम से प्राप्त सामग्री ।
३. लेखक के स्वतंत्र विचार।

❑❑❑

**25**

# "बुन्देलखण्ड के उपन्यासों में दर्शन तत्व"

शोध निर्देशक
**डॉ. नीरज गुप्ता**
(सहायक आचार्य)
गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्रकूट कर्वी (उ.प्र.)

शोधार्थी
**अनिल कुमार दुबे**
हिन्दी विभाग
बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)

**********

दर्शन —

दृश् धातु से ल्युट् प्रत्यय की योजना करने पर 'दर्शन' शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है देखना। परन्तु यह देखना 'सामान्य देखना' नहीं है— वस्तुतः दर्शन कुछ सिद्ध महात्माओं के देखे हुए सत्यों का पुनः स्थापन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी अभिप्राय से लिखते हैं। — 'यह देखना' तब वास्तविक होगा जब वह केवल इन्द्रिय द्वारा, प्राण द्वारा, मन द्वारा यहाँ तक कि बुद्धि द्वारा भी द्रष्ट स्थूल तथ्यों को पीछे छोड़ कर उस वस्तु के द्वारा देखा गया हो, जो आनन्द रूप है, जो सबके परे और सबसे सूक्ष्म है।[१] षड् दर्शनों में वेदान्त सर्वाधिक मान्य है, जिसमें उपर्युक्त आधार पर पाँच अर्थों पर विचार किया जाता है— (१) ब्रह्म या ईश्वर का स्वरूप (२) आत्मा या जीव का स्वरूप (३) ईश्वर प्राप्ति के उपाय (४) ईश्वर प्राप्ति का फल (५) प्राप्ति विरोध अर्थात् माया या अविद्या। इन्हें अन्य शब्दों से इस प्रकार कह सकते हैं — (१) ईश्वर (सगुण—निर्गुण) (२) आत्मा या